55 TH ANNUAL REPORT 2014-2015

प्रें वीं वार्षिक रिपोर्ट २०१४-२०१५



NATIONAL COOPERATIVE AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD. राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक महासंघ मर्यादित

BOARD OF MANAGEMENT

Chairman

Shri Sukhdarshan Singh Mrar Chairman, Punjab SCADB

Vice Chairpersons

Shri K. Sivadasan Nair, MLA Director, Kerala SCARDB

Shri Bijay Kumar Singh Chairman, Multi SCLDB

Shri Dalip Singh Yadav Director, Haryana SCARDB

Shri B.H. Jadeja Director, Gujarat SCARDB (From 30 April 2015)

Directors

Shri K. Veera Reddy

President, Andhra Pradesh SCB

Shri C. Panna Managing Director, Chhattisgarh RSKGVB

Shri R.S. Dahiya Managing Director, Delhi SCB

Shri Ulhas B. Phal Dessai Chairman. Goa SCB

Shri Shiv Lal

Chairman, Himachal Pradsh SCARDB

Shri K. Shadakshari, MLA Director, Karnataka SCARDB

Shri Ajit Kesari

Administrator, Madhya Pradesh SCARDB

Shri W.K. Kyndiah Chairman, Meghalaya CAB

Shri B. Shahul Ameed Chairman, Tamil Nadu CSARDB

Shri Jyotilal DuttaPresident, Tripura CARDB

Shri Alok Dixit Managing Director, Uttar Pradesh SGVB

Managing Director

Shri K. K. Ravindran

प्रबन्ध समिति

अध्यक्ष

श्री सुखदर्शन सिंह म्रार

अध्यक्ष, पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक मर्यादित

उपाध्यक्ष

श्री के. शिवदासन नायर, विधायक

निदेशक, केरल राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित

श्री बिजय कुमार सिंह

अध्यक्ष, बहराज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित, (बिहार-झारखण्ड), पटना

श्री दलीप सिंह यादव

निदेशक, हरियाना राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित

श्री बी. एच. जडेजा

निदेशक, गुजरात राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित (30 अप्रैल 2015 से)

निदेशक

श्री के. वीरा रेड्डी

प्रेसीडेन्ट, आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, हैदराबाद।

श्री सी. पन्ना

प्रबन्ध निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित

श्री आर. एस. दहिया

प्रबन्ध निदेशक, दिल्ली राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, नई दिल्ली

श्री उल्हास बी. फलदेसाई

अध्यक्ष, गोवा राज्य सहकारी बैंक मर्यादित

श्री शिव लाल

अध्यक्ष, हिमांचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित,

श्री के. सदाक्षरी, विधायक

निदेशक, कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित

श्री अजीत केसरी

प्रशासक, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित

श्री डब्ल्यू. के. किनडिया

अध्यक्ष, मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक मर्यादित

श्री बी. शाहल अमीद

अध्यक्ष, तमिलनाडु राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित

श्री ज्योतिलाल दत्ता

प्रेसीडेन्ट, ञिपुरा सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित

श्री आलोक दीक्षित

प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक मर्यादित

प्रबन्ध निदेशक

श्री के. के. रविन्द्रन

FIFTYFIFTH ANNUAL REPORT 2014-15



NATIONAL CO-OPERATIVE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LIMITED

701, A-wing, BSEL Tech Park, Plot No. 39, Sector 30 A, Opp. Railway Station Vashi, Navi Mumbai 400 703 (Maharashtra)

Tel. (022) 27814 114 / 226 / 426 Fax : (022) 2781 4225 E-mail : nafcard.org@gmail.com Website : www.nafcard.org



NATIONAL CO-OPERATIVE AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD., MUMBAI.

ANNUAL GENERAL MEETING OF THE FEDERATION

NOTICE

Notice is hereby given, that the Annual General Meeting of the National Co-operative Agriculture and Rural Development Banks' Federation Ltd., for the year 2014-15 will be held at 1.00 PM on August 24, 2015 in the Board Room of Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd., 10 Mall Avenue, Lucknow 226 001, to transact the following business.

- 1. To confirm the proceedings of the Annual General Meeting of the Federation held on August 8th 2014 at Hotel Orchid, Mumbai.
- 2. Consideration of Audited Statement of Accounts for the year 2014-15.
- 3. Disposal of surplus for the year 2014-15.
- 4. Consideration of the Statutory Report of Auditors for the year ended 31.3.2015.
- 5. Consideration of Compliance Report on Auditor's remarks in Audit Report as on 31.3.2015.
- 6. Consideration of Annual Report for the year 2014-15.
- 7. Appointment of Statutory Auditors for the year 2015-16 and fixing Audit Fees.
- 8. Consideration of Annual Budget for the year 2016-17.

In accordance with the provisions of Multi State Cooperative Societies Act, 2002 and the Byelaws of the Federation, the General Body shall consist of one representative of each member bank of the Federation who shall be either Chairman/President or the Chief Executive or a member of the Board of the member bank nominated by the Board of Directors of the respective Bank by a resolution, or the Administrator, by whatever name called, of a member bank where there is no Board. Accordingly, member banks are advised to inform the Federation the name of their representative to the General Body along with the resolution of the Board at least 10 days before the General Body Meeting.

By Order of the Board of Management

Sd/-

(K.K. Ravindran) Managing Director

Place: Navi Mumbai Date: August 3, 2015



I. ECONOMIC SCENE

- Indian economy has been the fastest growing among larger economies in the world during 2014-15. The growth rate in GDP at 2011-12 prices in 2014-15 was estimated at 7.4% as against 5.1% in 2012-13 and 6.9% in 2013-14. The growth rate projected for 2015-16 is in the range of 8.1%-8.5%.
- On the background of deepening of reforms backed by a strong political mandate, inflation continuing the declining trend and flow of foreign funds gaining strength and resilience, it is hoped that the economy will move to a possible double digit growth trajectory in the medium term.
- As per World Bank data, the size of Indian economy in 2014-15 was US\$2.047 trillion in nominal terms and US\$7.277 trillion in terms of purchasing power parity. Indian economy is now 7th largest in the world in nominal terms and 3rd largest in terms of purchasing power parity.
- However, on per capita income basis, which is considered as an important yardstick of the standard of living of people, India ranked 131st in the world in 2014-15 in nominal terms with US\$1625 (improved from 141st place last year) and 121st in terms of purchasing power parity with a per capita income of US\$5777 (improved from 130th place last year).
- Indian economy faces serious problems which lag the country far behind developed nations. Making economic growth sustainable which fulfils the needs of the present without compromising the prospects of future generations to meet their needs, is a big challenge before the country.
- India needs to invest much more in education, health care and infrastructure in an environmentally responsible way to make economic growth sustainable. India has almost 200 million people in the age group of 15-24 and 1/3rd of its total population of about 128 crore are in the age group of 20-35. With quality education and skilling, India should be able to reap rich dividend from this vast pool of human resources. It is a welcome sign that skill development and employment generation are given highest priority by the Govt.
- The critical problem facing India's economy is the sharp and growing variations



among different States and territories in terms of poverty, availability of infrastructure and socio economic development. Severe disparity exists among States in terms of income, literacy rate, life expectancy and living conditions. Economic growth in the last one decade has in fact increased inequalities rather than reducing it.

- Govt has recently accepted the recommendations of 14th Finance Commission to devolve 42% of the divisible pool of revenue to States during 2015-2020 against 32% given away during 2010-2015. This is expected to empower States financially to address regional development issues more effectively.
- Widening gap between India's exports and imports is another major problem. Fall in crude oil prices and restrictions imposed on gold import could moderate the growth rate of trade deficit during 2014-15. But still India's monthly imports are almost 35% higher than its exports. India has trade deficit with almost of all its major trading partners. The trade deficit during 2014-15 (April-February) was US\$125.22 billion compared to US\$124.84 billion for the corresponding period in 2013-14. Stagnation of manufacturing sector and inability to control cheap consumer imports from China have contributed significantly to trade deficit.
- Stagnation in the rate of investments and slow down of manufacturing sector were the main factor pulling back growth in the last 5 years. This period also witnessed high rate of inflation which made monetary and fiscal measures to boost up investment almost impossible. With moderation in the rate of inflation and policies under 'Make in India' campaign, investment climate is expected to improve significantly in coming years.
- India's economic growth is dependent heavily on agriculture. The impact of agriculture sector on the performance of manufacturing and services sectors is very strong. A consistent growth rate of agriculture above 4% is considered a prerequisite for GDP growth above 8%. This, however, continues to be a difficult challenge given the deficiencies in the policies and programmes to step up productivity and to address risks and uncertainties in agricultural production.
- Corruption is one of the pervasive problems affecting India's progress. India showed some improvement in addressing corruption during 2014-15 and



improved its rank in the transparency internationals index of corruption to 85th among 175 countries from 94th last year. Corruption in fact, is a common problem for countries in this region. In our neighbourhood, China ranks 100 (down from 80th place last year), Pakistan stands at 126 and Bangladesh is placed at 140th place while Sri Lanka was ranked 85th with India and Bhutan stands much better at 30th in the index of corruption.

II. AGRICULTURE - GENERAL SCENARIO

- According to the new series of national income released by the central statistics organisation at 2011-12 prices the share of agriculture in the GDP was 18% in 2013-14 which was originally estimated at 13.9% based on 2004-05 prices. As against growth target of 4% for agriculture and allied sectors in the 12th Plan the growth registered at 2011-12 prices was 1.2% in 2011-12, 3.7% in 2013-14 and 1.1% in 2014-15.
- The share of agriculture in GDP is progressively declining due to higher growth rate of services and manufacturing sectors in the last 3 decades. However, almost 70% of country's population still lives in rural India and about 60% of them depend almost entirely on agriculture for livelihood. Agricultural growth, therefore, is central to India's efforts to improve the standard of living of rural population and for achieving food security of growing population with rising incomes.
- India is said to be a global agricultural power house. It ranks first in the production of Milk, Pulses and Spices and in terms of cattle herd and area under Wheat, Rice and Cotton. India is the second largest producer of Rice, Wheat, Cotton, Sugarcane, farmed Fish, Sheep and Goat meat, fruit, vegetables and tea. 37% of India's area under cultivation of 195 million hectare is irrigated and the remaining 63% are rain-fed. The country has forest cover of 65 million hectares.
- Indian Agriculture has two major challenges of enhancing productivity and reducing rural poverty. Agricultural Productivity of India, i.e. crop production per ha., is one of the lowest in the world. Raising agricultural productivity per unit of land is the only way to increase production as virtually all cultivable land is



already farmed. Increasing yields, diversification to higher value crops and developing efficient supply chains to reduce marketing cost are some of the measures required to accelerate agricultural growth.

- Adopting a socially inclusive strategy that comprises both agriculture as well as non farm employment is needed for reducing poverty. Development should benefit poor, landless, women, scheduled castes and tribes.
- Majority of India's poor live in rain-fed areas in the Eastern Indo gangetic plains
 which is most backward in terms of infrastructure for growth. There should be
 special programmes to develop these regions at par with other parts of the
 country.
- The rate of reduction in rural poverty in the last 15 years has been just 1% per year, which is too insignificant to eradicate poverty in the foreseeable future.
- India's agricultural growth has slowed down considerably, after Green Revolution of 70s and agricultural intensification in the 80s. The faster growth of agriculture in the 70s and 80s could reduce rural poverty due to rising rural wages on account of increased demand for rural labour and declining food prices. However, agricultural growth declined in the 90s and 2000s averaging only about 3.5% per annum and Cereal yields slowed down to 1.4% per annum in the 2000s. Rice yields of India are just 1/3rd of China and about half of those in Vietnam and Indonesia. Same is true for most other agricultural commodities. Policy actions and public programmes are required to build a solid foundation for making Indian agriculture more productive, diversified and globally competitive.
- Govt of India approved the National Policy for Farmers in 2007. The policy envisages asset reforms in respect of land, water, livestock, fisheries and bio resources, support services and inputs like application of frontier technologies, agricultural and bio security systems, supply of good quality seeds and disaster free planting material, improving soil fertility and health, integrated pest management systems, support services for women like child care centres, nutrition and health training etc, easy reach of institutional credit at reasonable interest rates and farmer friendly insurance instruments, use of information and communication technology in agriculture, revitalising agricultural extension, effective implementation of Minimum Support Prices across the country,



development of agricultural market infrastructure and rural non farm employment initiatives for farm households, integrated approach for rural energy etc. However, the action points recommended under National Policy on Farmers are yet to be fully operationalised.

- Govt. has recently announced a number of measures to modernise the sector and remove structural weaknesses. Scheme to issue soil health cards to all farmers along with establishment of mobile soil testing laboratories, introduction of Pradhanmantri Krishi Sinchai Yojana to improve irrigation facilities, setting up price stabilisation fund for cereals and vegetables to reduce price volatality in perishable agricultural commodities, setting up of National Agri Tech Infrastructure Fund to create common e-market platform as the first step towards creation of a national market for agricultural commodities, are some of these new initiatives.
- Another important initiative is setting up National Adaptation Fund to address impact of climate change on agriculture. Continued focus is also being given for technology driven Second Green Revolution including Protein Revolution and developing indigenous cattle breeds and Blue Revolution to develop inland fisheries.
- However, resources allocated for these programmes are too meagre to create any perceptible impact in the foreseeable future.

III. RURAL CREDIT SCENARIO

The flow of credit to agriculture and rural sectors is reported to have registered year on year average growth rate of more than 20% during the last one decade, as given in the following table:

Year	Target	Achievement (₹ crs)
2004-05	105000	125309
2005-06	141000	180486
2006-07	175000	229400
2007-08	225000	254658



Year	Target	Achievement (₹ crs)
2008-09	280000	287149
2009-10	325000	384514
2010-11	375000	468291
2011-12	475000	510029
2012-13	575000	607375
2013-14	700000	735000 (estimate)
2014-15	800000	

In 2013-14, 75% of the total credit to agriculture was contributed by Commercial Banks and balance by Cooperatives with a share of 15% and RRBs accounting for 10%. The reported growth in credit, however, is hardly reflected in the field. Nearly half of India's 1540 million farming households are excluded from the formal credit system. Ordinary farmers still find it difficult to access credit from banking system. Rural areas also witness the trend of commercial bank branches being closed down in large numbers. Under these circumstances, one can genuinely doubt the correctness of figures reported as credit flow to agriculture. In fact, there is no mechanism at any level including RBI/NABARD/Department of Financial Services (DFS) to check the authenticity of figures reported by banks as agricultural lending.

In spite of domination of Commercial Banks in the statistics of agricultural lending, cooperatives continue to be source of credit for 60% of borrowing farmers. RRBs have significantly increased their share in agriculture lending accounting for 10% of the total credit and about 20% of total borrowers. The fact that Cooperatives and RRBs together cover nearly 80% of borrowing farm households leaves Commercial banks to finance just 20% of borrowing farmers. Evidently, the direct loans of Commercial Banks to farmers should be much less than what is reported. This over counting of agricultural lending by Commercial Banks has caused to vitiate Govt policies in rural credit and drastically diminished the importance of cooperatives in Govt policies and programmes to augment credit flow to the sector.

Another major issue in agricultural credit is the steep decrease in the proportion of investment credit in the total credit flow since 90s. This has considerably slowed



down capital formation in agriculture. The share of public investments in agriculture being only 25%, bulk of investments in this sector takes place through private initiative facilitated mostly through bank loan. Average rate of gross capital formation in agriculture in the last 5 years comes to only 15%, which goes down to half of that when adjusted to inflation. The capital formation in agriculture in real terms does not even fully cover the replacement needs of worn-out assets, which leaves net capital formation negative. Gross capital formation needs to be stepped up by an additional 10% to avoid negative net capital formation.

However, the policies of Govt continue to be highly unfavourable for improving this situation. In the first place, Govt continues to ignore the potential role of Long Term Cooperative Structure, which is the only specialized agency for investment credit to farmers. The revamping of LTCCS is badly delayed affecting its ability to meet the Long Term credit needs of farmers. Govt should implement the revival package for LTCCS recommended by VTF II without further delay.

High interest rates payable by farmers for investment credit is another issue that should be addressed on priority. Central Govt has taken steps for keeping interest rate of crop loans at affordable rates. After the interest subvention of 3% the maximum interest rate on crop loans is 4% per annum. With additional interest subvention by State Governments crop loans are now available at zero interest rate in some states. However, none of these measures to reduce the cost of agriculture credit has been extended to loans given for farm investments. NABARD's refinance support to banks for investment credit carries interest rates of about 10% per annum, making the cost of loans at ultimate borrower level in the range of 13-14% per annum. The huge gap between interest rates of crop loans and investment loans has become a major disincentive for farm investments.

Govt has set up Long Term Rural Credit Fund with NABARD out of deficit in commercial banks' lending to agriculture with an allocation of ₹5000 crores for 2014-15. NABARD is using this Fund for giving investment credit refinance at the rate of 7.6% per annum against loans issued for a period upto 5 years. The outlay of this fund for 2015-16 has been increased to ₹15000 crores. However, soon after this, RBI announced unprecedented liberalisation in the norms of priority lending by commercial banks. Under these liberalised norms, banks can easily achieve mandatory target for lending to agriculture, without any additional direct loans to



farmers. Under the new regime of priority sector lending, commercial banks are unlikely to end up in any shortfall in their quota for agricultural lending. This will lead to considerable shortfall in their projected contributions to various Funds at the level of NABARD out of shortfall in mandatory lending to agriculture, including RIDF, Short Term and Long Term Rural Credit Funds.

Financing agriculture, especially under rain-fed conditions, which accounts for 63% of the total area under cultivation, involves high risk. At present, the entire risk involved in farm financing is borne by lending institutions resulting in high level of NPAs with them. For large number of institutions in the cooperative credit structure including ARDBs which cater mainly to small and marginal farmers, the NPAs are beyond tolerable level.

Implementation of Debt Waiver Scheme by Central and State Govts, which benefitted only delinquent borrowers have further vitiated the climate of loan recovery. Govt support to farmers for agriculture insurance should be extended for insuring farm assets also apart from crops. Govt should also refrain from actions that vitiated recovery climate and restrain from interference in the recovery process of ARDBs.

Most part of the institutional credit goes to a few developed states in the South and North-west regions of India. Consequently, rural areas in Eastern and North-eastern states with huge potential for agricultural growth are not getting adequate credit. Addressing the skewed distribution of credit between various regions as well as between rural communities within each region is another major challenge for rural financial system.

IV. COOPERATIVE LONG TERM CREDIT STRUCTURE - OVERVIEW

Rural Cooperative Credit System in India evolved into two separate streams for ST credit and LT credit. The Long Term Credit Structure had its beginning in the early 1920s with the establishment of Land Mortgage Banks to provide long term loans to farmers to redeem debts on land. The first Land Mortgage Bank was established in 1920 in Punjab followed by establishment of a large number of such banks in all provinces. The first Central Land Mortgage Bank started functioning in Madras to centralize the issue of debentures and to coordinate the working of Primary Land



Mortgage Banks. The Bombay Banking Enquiry Committee (1930) mentioned about the inadequacy of resources of primary credit societies to undertake long term lending and advocated formation of Land Mortgage Banks to meet long term credit needs of farmers. The 1930s and 40s witnessed mushroom growth of Land Mortgage Banks throughout the country without any uniform pattern with regard to their size and operations. The All India Rural Credit Survey Committee recommended reorganization of Land Mortgage Banks with a State level apex body and Primary Land Mortgage Banks at taluka level affiliated to it. The Committee also recommended diversifying their operations into investment credit for agriculture. Central Land Mortgage Banks were established in almost all States during the IInd Five Year Plan which came to be known as State Cooperative Land Development Banks which were renamed as State Cooperative Agriculture & Rural Development Banks with further diversification into rural non-farm sector in the 80s.

The contributions of Agriculture & Rural Development Banks (ARDBs) to the development of Indian agriculture have been quite significant in the post Independence era. ARDBs played a very important role in improving the productivity of land especially through development of minor irrigation and facilitating farm mechanization in the 60s and 70s. While continuing to promote capital formation in agriculture, these banks started financing rural non-farm sector projects in a big way in the 80s and 90s which helped rural families to increase their incomes substantially through value addition to their produce apart from providing opportunities for alternate employment.

The Long Term Cooperative Credit Structure comprises of SCARDBs in 17 States operating either through their own branches at ground level or through Primary Agricultural and Rural Development Banks affiliated to the state level Apex. In Andhra Pradesh, the SCARDB was merged with Andhra Pradesh State Cooperative Bank in 1995 to form an integrated structure. Chhattisgarh State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank was also merged with Chhattisgarh State Cooperative Bank in October 2014. In most of the states formed after 1960, State Cooperative Banks also perform investment credit operations in agriculture and rural sectors in the absence of separate structure for Long Term credit.



Issues and challenges in the Long Term Cooperative Credit Structure (LTCCS)

The LTCCS is designed as non resource based specialized term lending agency. The structure consists of Agriculture and Rural Development Banks at State and Primary levels. These institutions are not given license to function as Banks coming under the purview of Banking Regulations Act. Hence they are not allowed to take deposits from public like other Rural Financial Institutions (RFIs). As a result, they are dependent heavily on borrowed funds for advancing loans. Before Independence, Government was the main source of funds for their operations. In 1961, Agriculture Refinance Corporation (ARC) was established to mobilize Long Term resources for the operations of Land Development Banks (LDBs). In 1963, ARC was renamed as ARDC. Till formation of NABARD in 1982, Agricultural Refinance and Development Corporation (ARDC) and Agricultural Credit Department (ACD) of RBI together provided funds for the operations of LTCCS. In July 1982, NABARD was formed by merging ARDC and ACD. Since then, NABARD is the main source of funds for the structure for carrying out its lending operations. The refinance support of NABARD, however, has been steadily declining since the beginning of 2000s. This has severely restricted the lending operations of SCARDBs. Moreover, SCARDBs in some States which could not access NABARD's refinance due to non-availability of Govt guarantee or failure to meet the eligibility conditions for refinance had to suspend lending operations for want of resources.

Inability to meet Short Term production credit/working capital needs of Long Term borrowers has been another major deficiency in the working of ARDBs. Because of restrictions in the Act, SCARDBs in general, were unable to diversify lending to short term purposes until recently. In recent years, ARDBs in most of the States are also meeting short term credit needs of long term borrowers out of funds mobilized as deposits from members and short term borrowings from NCDC and banking system.

The financial performance of institutions in the structure started declining since 90s due to heavy overdues and losses in Govt sponsored schemes, long regime of regulated interest rates without allowing adequate margins to meet their transaction and risk costs and implementation of debt waiver scheme in 1990 by Central Govt without fully reimbursing the loans written off under the scheme. In fact, all rural financial institutions including Commercial banks, RRBs and Short Term



Cooperative Credit Structure also incurred heavy financial losses due to the above reasons. While such losses of the Commercial banks, RRBs and STCCS have been compensated by the government through various revamping processes, the losses of ARDBs continue to remain uncompensated. Even though Task Force No.II for LTCCS headed by Prof. Vaidyanathan recommended a revival package comprising of one time assistance by Central and State Govts for recapitalisation of ARDBs in 2006, it has not been operationalised so far.

The undue delay in implementing the revival package has considerably affected the ability of the structure to meet the credit needs of its members. In spite of these setbacks, the structure continues to be relevant and needs to be strengthened to arrest the rapid fall in the proportion of investment credit in the total flow of farm credit. The revitalization of the structure involves transformation of SCARDBs and PCARDBs into self-reliant member driven organizations capable of delivering financial services to the rural sector effectively, in a competitive environment with focus on capital formation in agriculture.

V. FEDERATION DURING 2014-15

A significant event in the history of agriculture and rural development banking sector has been the establishment of the National Co-operative Agriculture and Rural Development Banks' Federation Ltd (NCARDBF) in 1960. Since its inception, the Federation has been playing an important role in the growth of institutions in the sector. It has established effective coordination and promoted understanding among member banks and liaison with Central and State Governments, NABARD and financing agencies of SCARDBs.

Other activities of the Federation include organizing Seminars and Workshops, undertaking research studies and formulation of plans and programmes through its Planning, Research and Development Cell, compilation and publishing of statistics of member banks' operations, sponsoring of study teams, co-coordinating investments in debentures, undertaking special training programmes, publicity work, providing guidance and advice on issues relating to operations and governance. The quarterly Land Bank Journal published by the Federation since the last 54 years has gained considerable popularity. The Federation is also assisting member banks in business development and expansion by designing new products.



Thrust areas of Federation's activities during 2014-15 were (i) lobbying with the Government for implementing revival package and reforms, (ii) guiding SCARDBs in reform initiatives, and (iii) guidance and support to member banks for resource mobilization, recovery management and business expansion and diversification.

Lobbying

- (i) Demand for revival package continues to be the main focus of Federation's lobbying with Central Govt during the year. The revival package for Long Term Cooperative Credit Structure was recommended by Vaidyanathan Task Force in 2006. Govt of India announced its implementation in the Union Budget 2008-09 and the Union Cabinet approved a revival scheme in February 2009. However, the scheme has not been operationalised so far. The delay in implementing the package aggravated financial weakness of ARDBs and drastically reduced their capacity to meet the credit requirements of about 134 lakh farmers who by and large are unable to access credit from other agencies since their land is already mortgaged with ARDBs. Implementation of the proposed revival package is the only solution to address credit crisis faced by them. The structure which is present in all major states with a network of 2600 outlets has the potential of expanding its annual lending at least by 5 times in the short run from the present level of about ₹5000 crs, if revived.
- (ii) There is growing consensus among all its stakeholders that ARDBs should be able to brought within the purview of Banking Regulation Act 1949 to address the deficiency in their design as non resource based lender dealing in a single product. Vaidyanthan Task Force also endorsed the need to transform these institutions as banks and recommended that the regulator may consider giving banking licence to entities in the structure which fulfil the conditions necessary for the same. We have moved Govt of India and Reserve Bank of India for taking steps to evolve appropriate norms for giving banking licence to ARDBs.

The interest subvention scheme for crop loans implemented by Govt of India is presently not extended to farmers who avail crop loans from ARDBs. The Federation has been persistently taking up with Ministry of Finance to address this issue by including SCARDBs in the list of institutions through which the crop loan interest subvention scheme is implemented.



Federation has moved Govt to introduce an interest subvention scheme for investment credit to agriculture in the pattern of crop loan interest subvention scheme in order to reduce the cost of long term loans for capital formation in agriculture.

Reform Initiatives

Core Group for Reform Initiatives (CGRI)

Core Group for Reform Initiatives constituted by SCARDBs based on Federation's guidelines in December 2012 continued to have regular meetings during the year. The performance of CGRI has been especially remarkable in Punjab, Kerala, Gujarat and Karnataka during the year. CGRI during the current year generally concentrated on deepening of reforms at the ground level. Following are the major initiatives taken by CGRI during the year apart from reviewing progress of reforms initiated in the past and taking corrective actions specific to each State.

- (i) Preparing manuals on all important functional areas to put in place consistent policies and well documented procedure specifying authority and accountability for officers involved in decision making at every stage.
- (ii) Identifying critical areas affecting Rating of SCARDBs and taking corrective actions. Profitability has been observed as a critical factor affecting rating of SCARDBs in most of the States apart from non performing assets. Profitability is very low or negative because of faulty pricing policies including not charging interest on defaulted instalments and failure to revise rate of interest on loans when there is subsequent increase in the rate of interest on refinance. NPA levels in ARDBs are also found disproportionately higher than overdue levels. Efforts are seen lacking in most of the banks to collect past due instalments to avoid loans being classified as NPAs before the cut off date of 31st March for asset classification. It is seen that NPAs can be brought down considerably if ARDBs start their annual recovery drive in January instead of April.
- (iii) On deposit mobilisation, CGRI focused mainly on the following aspects during the year.



- Ensuring opening of thrift deposit accounts by all borrowing members.
- Publicity and promotion to ensure consistent growth in deposits outstanding.
- (iv) <u>Loans and advances</u> Network expansion, increase in membership and outreach, introduction of short term loan products, strengthening risk management including introduction of risk appraisal of loan applications, constitution of risks teams etc. were given special attention during the year.

State Level Seminars on Reforms

Organising State level Seminars on Reforms was an important activity of the Federation during the year. These seminars were attended by Secretaries of PCARDBs and Managers in-charge of Branches and Regional/District Managers of SCARDBs who are the key personnel at ground level in the on-going drive for internal reforms. These seminars mainly considered action plans finalised by CGRI for widening avenues for mobilising resources including deposit mobilisation, revamping recovery system and making it more effective, capacity building of staff and enhancing managerial competence, improving governance, technology adoption/upgradation and business expansion/ diversification.

The Seminars have a standard programme design starting with inaugural session followed by thematic sessions on (i) Condours of reforms (ii) Policy environment of rural financial system (iii) Recovery strategies and NPA Reduction Drive (iv) HRD and training challenges for ARDBs (v) Deposit Mobilisation and (vi) Experience sharing in enhancing Member Proximity and Customer Service. The programme of State level Seminars was inaugurated by Dr. Harsh Kumar Bhanwala, Chairman, NABARD in conjunction with the first Seminar for Kerala on 12th August 2014 at Cochin. The inaugural sessions of seminars in other States were attended by dignitaries including Ministers, Chief General Manager in-charge of NABARD ROs, Principal Secretaries (Coopn), RCS etc.

Federation prepared detailed background notes on each of the thematic sessions. Sessions were guided by resource persons from Federation, NABARD, NCCT etc. State level seminars for six States were conducted during the year as below.



Name of SCARDB	Date	Venue (City)	
Kerala	12 th August 2014	Cochin	
Rajasthan	4 th September 2014	Jaipur	
Gujarat	23 rd September 2014	Ahmedabad	
Karnataka	rnataka 17 th October 2014		
Punjab 7 th November 2014		Chandigarh	
Tamil Nadu	29 th December 2014	Chennai	

Major recommendations and suggestions emerged in these seminars are listed below.

Suggestions and recommendations

Resource mobilisation

- SCARDBs should strive to improve their rating and thereby eligibility for NABARD's investment credit refinance and approach NCDC / STCCS / commercial banks for short term borrowings to meet the short term credit needs of their long term borrowers.
- Intensify deposit mobilisation.

Business development and diversification

- Business diversification to meet all kinds of financial services needs of clients.
- Sanctioning cash credit limit to meet short term credit needs of investment credit borrowers who are regular in repayment on the security of land already mortgaged.
- Promote value chain financing to help farmers to increase income and to reduce credit risk.
- Stepping up financing of agro forestry, financing of green houses, low power water efficient irrigation devices, organic farming, promoting integrated pest control etc., in order to help farmers to cope with climate change.

Recovery and NPA management

• SCARDBs should classify defaulters into willful and non-willful and initiate legal recovery measures in the case of willful defaulters.



- Engaging legal advisors of the bank for the work of issuing notices and completing legal procedure for sale of property given as security for loan.
- State-wide publicity for sale and identify prospective buyers from other districts to participate in the auction for sale of mortgaged land.
- Reschedulement of loan with extension of period wherever required to reduce the amount of instalment in the case of non-wilful defaulters.
- Undertaking a separate drive to reduce NPAs.
- Restructuring of loans under distress at individual or segment level based on financial viability and reasonable certainty of repayment by the borrower as per RBI guidelines.

Computerisation

- All functional SCARDBs should take urgent steps to fully computerise their operations.
- Instead of making huge investments upfront for computerisation, it was suggested that banks should consider the option of engaging Application Service Providers of Core Banking Solutions on Turn Key basis including software development, data centre and on-line connectivity services.

Network expansion

• Develop a low cost model for network expansion, consisting of ultra small branches manned by 2 to 3 staff and opening interior rural branches which operate for 3 days a week so that one set of branch staff can operate 2 nearby branches.

Human resource

 In most of the States, the structure is unable to expand operations and intensify recovery efforts and deposit mobilisation programme due to acute shortage of staff. Banks should take immediate steps to upgrade human resources in terms of quantity and quality.



2nd Conference of Principal Secretaries (Coopn) & Registrars of Cooperative Societies

The Federation organised 2nd Conference of Principal Secretaries (Coopn) & RCS on 20th November 2014 in Thiruvananthapuram. The Conference was inaugurated by Shri Oommen Chandy, Hon'ble Chief Minister of Kerala. The Conference which was attended by representatives from Govt and SCARDBs from 11 States made several important recommendations for bringing reforms in the legal and policy environment of ARDBs and to improve their working in general. Major recommendations of the Conference are listed below.

Recommendations concerning Central Govt

- Implementation of Revival package recommended by Vaidyanathan Task Force without further delay.
- Evolving appropriate policy for giving banking licence to ARDBs.
- Extending interest subvention scheme for crop loans to farmers who avail crop loans from ARDBs.
- Introducing interest subvention scheme for investment credit to farmers.

Recommendations concerning State Govts

- Priority to SCARDBs in giving govt. guarantee.
- Waiving guarantee fee or keeping it at a low rate if waiver not possible.
- Provision of adequate budget allocations for making matching contributions with Govt of India in the debentures floated by SCARDBs to meet the shortfall in refinance given by NABARD.
- Waiver of stamp duty and registration fee, which is yet to be done in some States.
- Introducing the system of loan documents being executed at the bank and sending the same to the sub registrar by the bank for registration without involving the borrower which is yet to be introduced in some States.
- Removing restrictions on legal recovery measures with regard to wilful defaulters.
- State Govts to issue guidelines for engaging recovery agents by ARDBs.



- Vesting sale powers with bank officials which is yet to be done in some States.
- State Govts to give permission for accepting deposits by ARDBs in some States including Haryana, Rajasthan and Himachal Pradesh.
- Act amendment required in some States to enable ARDBs to meet short term credit needs of members.
- Requirement of separate approval for recruitment of staff may be dispensed with once staff pattern is approved and procedure for recruitment is prescribed by the Govt.

Recommendations concerning SCARDBs

- SCARDBs to step up financing of purposes such as Agro Forestry, Green Houses, low energy water saving irrigation systems, organic farming, manufacturing and supply of quality inputs for organic farming etc. as part of adaptation strategies to address climate change.
- SCARDBs to encourage formation of cooperative societies/producers companies by small and marginal farmers to undertake post harvest operations of procurement, warehousing, processing, branding, packaging and wholesaling.
- SCARDBs to increase number of retail outlets of LTCCS by opening ultra small branches manned by not more than 2 or 3 persons, alternate day branches etc.
- Diversify business to short term loans and non fund businesses.
- SCARDBs to take steps to address deficiencies in human resources in terms of quantity and quality.
- SCARDBs to take steps to fully computerise operations without delay.

The Federation has forwarded the recommendations to concerned agencies and following up progress of implementation.

Enhancing Preparedness for Banking

The Board of Directors in its meeting on 10th January 2015 constituted a Sub Committee consisting of representatives of Kerala, Punjab, Gujarat, Karnataka & Uttar Pradesh SCARDBs & APCOB to examine the feasibility of promoting a



banking company by ARDBs. The first meeting of the Sub Committee was held on 16^{th} February 2015 in Hyderabad. The meeting examined the feasibility of promoting a banking company in terms of the following.

- (i) Whether it is permitted under the provisions of Acts and Byelaws.
- (ii) Whether it is necessary in terms of advantages and usefulness to ARDBs and their members.
- (iii) Ability of the structure to raise required capital.

The meeting found that there are enabling provisions in the Act and Byelaws permitting ARDBs to undertake activities either directly or through subsidiaries or joint ventures which are considered necessary for attainment of their broad objectives. Moreover, the 2nd Conference of Principal Secretaries & RCS also discussed this matter and suggested that the Federation should examine the prospects of promoting a Small Finance Bank (SFB) by SCARDBs.

Advantages in promoting a banking company

It was found that promoting a banking company owned by the structure will have the following advantages for ARDBs and their member farmers.

- (i) To render basic banking services to members and to meet their short term production and working capital needs as business correspondents of SFB without the risk of loosing customers to the bank which provides such services.
- (ii) SFB will particularly help in routing crop loans to borrowers of investment credit with interest subvention by Govt of India.
- (iii) Investments of SCARDBs in the equity of SFB are likely to give good returns in view of the business prospects of SFB and the likelihood of SFB graduating to a universal bank in due course.
- (iv) As promoters, SCARDBs get opportunity to gain experience in bank governance which will help them to restructure their operations when they become banks themselves.

Ability of the structure to raise minimum capital

The meeting found that the minimum capital requirement of ₹100 crore for SFBs which can be contributed by financially sound SCARDBs from their owned funds



meant for long term investments without affecting the liquidity and cushion of owned funds required. It was broadly agreed that the minimum capital requirement can be met by Kerala, Punjab, Gujarat and Uttar Pradesh which will be further augmented by other SCARDBs. The meeting also decided to explore the prospects of entering into financial and technical collaboration including equity participation with one of the leading cooperative banks outside India.

The meeting decided to complete preparatory works before end of 2015 so that the proposed banking company can apply for SFB licence when Reserve Bank is expected to reopen applications for SFB licence in 2016.

Restructuring of ARDBs

The ARDB system is completing 100 years of its service to agriculture and rural sector in India. The structure is proud to have contributed very substantially to capital formation in Indian agriculture and having played a significant role in Green Revolution in Indian agriculture. Till 1980s, the ARDBs were almost the only institutional credit agency for investment credit for agriculture. The ARDBs were the pioneers in financing wells/tube-wells/land development/horticulture/farm mechanization on project basis under the guidance of Agriculture Refinance & Development Corporation (ARDC). In fact, the commercial banks did not have a clue to financing agricultural development at the farmer level till 1980s. The share of commercial banks in household debts in India in 1981 was 2.4% whereas the share of cooperative was over 22%. The ARDBs were ably nurtured/guided by RBI/ARDC/NABARD and also liberally funded. Liberal funding by RBI/ARDC/NABARD served the purpose of Indian agriculture at a time when the inadequacies of the banking architecture compelled the Govt/RBI to focus on ARDBs as a credit channeling agency.

ARDBs, however, suffer from major constraints in their structural and functional design. These constraints include geographical/sectoral/single product risk, dependence largely on single funding agency subject to pervasive lending restrictions, close identification with the State, managerial deficit, deficiency in technology adoption, dual control, poor credit discipline among clients and inadequate internal efforts to enforce credit discipline etc.



On the background of changing banking architecture, it has been recognized that the structure in its present form is not sustainable and needs transformation to member driven autonomous resource based banking institutions offering a range of financial services. 2nd Conference of Principal Secretaries (Coopn) and RCS convened by the Federation on 20th November 2014 also made a specific recommendation in this regard. However, RBI does not have a policy for conversion of ARDBs into regular banks. At the same time, the recognition to the concept of differentiated banks and RBI guidelines for setting up SFBs with provision for converting Micro Finance Institutions and Non Banking Finance Companies into SFBs strengthen the case of ARDBs to be converted as SFBs. The Federation in this context has decided to pursue following strategies.

- (A) Lobbying with Govt and RBI for policy reforms and to frame norms for licensing ARDBs as banks.
- (B) Enhancing preparedness of ARDBs to become banks

Preparedness to fulfil the prudential stipulations likely to be prescribed for conversion into banks is a major challenge for SCARDBs.

One of the proposals to meet this challenge is to implement a pilot project for preparedness enhancement in a couple of States in collaboration with an external partner like Rabo International Advisory Services with focus on developing tools/solutions to deal with the core issues on capitalisation, risk control, capacity/core competencies, technology, governance etc. and to mainstream the pilot project results to other SCARDBs. The Federation is already in dialogue with Rabo International Advisory Services and NABARD for launching the pilot project. It is expected that majority of SCARDBs could become SFB in 4-5 years once norms are prescribed by RBI and SCARDBs prepare themselves for this transformation. The strategy for restructuring of ARDBs also include a programme exclusively focused on improving recoveries and introducing quality lending in all States and also promoting a SFB under Companies Act jointly by SCARDBs which are mentioned in this report separately.



Accelerated Recovery Drive

ARDBs in as many as six States became non functional since 2000 due to high overdue loans. Majority of remaining 13 SCARDBs which are fully functional at present have also been not successful in improving recovery to comfortable level. Recovery position of these SCARDBs during the last two years is given below.

Overdues Outstanding and Recovery Percentage of Member Banks

(₹ in Lakhs)

	Name of SCARDBs	At Apex Bank Level		At Ultimate Borrowers' Level	
Sr. No.		30 June 2013 30 June 2014		30 June 2013 30 June 2014	
		Overdues O/s /Recovery (%)	Overdues O/s / Recovery (%)	Overdues O/s /Recovery (%)	Overdues O/s /Recovery (%)
1.	Gujarat	28131.79 (45.22)	32936.10 (42.89)	28131.79 (45.22)	32936.10 (42.89)
2.	Haryana	56794.69 (37.61)	73912.23 (32.10)	117101.21 (26.62)	121285.12 (27.42)
3.	Himachal Pradesh	7096.21 (47.40)	6772.18 (50.24)	7096.21 (39.80)	6772.18 (43.51)
4.	Jammu & Kashmir	797.93 (33.95)	846.87 (40.07)	797.93 (33.95)	846.87 (40.07)
5.	Karnataka	51694.60 (36.40)	52014.14 (42.14)	29205.54 (51.26)	23214.01 (66.80)
6.	Kerala	5037.11 (94.88)	2407.21 (97.93)	35352.99 (72.62)	39096.41 (75.17)
7.	Pondicherry	84.25 (95.46)	121.93 (94.18)	84.25 (95.46)	121.93 (94.18)
8.	Punjab	10134.88 (83.65)	9918.98 (84.23)	43783.83 (63.57)	50180.20 (60.72)
9.	Rajasthan	42329.74 (43.86)	22849.63 (57.59)	71730.89 (37.90)	72948.82 (36.51)
10.	Tamil Nadu	18674.19 (69.86)	19032.77 (74.65)	13742.14 (79.50)	15891.77 (79.55)
11.	Tripura	611.89 (62.30)	740.25 (54.39)	611.89 (62.30)	740.25 (54.39)
12.	Uttar Pradesh	175426.51 (42.47)	87859.07 (60.06)	175426.51 (42.47)	87859.07 (60.06)
13.	West Bengal	15557.91 (57.21)	36504.63 (28.09)	25646.62 (44.51)	35140.90 (40.28)
	TOTAL	412371.70 (53.18)	345915.99 (59.49)	548711.80 (48.74)	487033.63 (54.42)

Note:- (1) Figures in brackets represent Recovery Percentage against Demand

(2) NR denotes Not Reported.



The total outstanding overdues of these 13 SCARDBs as on 30.6.2014 were ₹3459.16 crores which in fact are more than their owned funds. Owned funds having been fully locked up in overdue loans most of these banks do not have any cushion to manage repayment to NABARD and other creditors in the event of any shortfall in recovery. Outstanding over dues at apex level have shown substantial increase in 2014 in relation to 2013 in the case of Haryana from ₹567.95 crores to ₹739.12 crores, Gujarat from ₹281.32 crores to ₹329.36 crores and West Bengal from ₹155.58 crores to ₹365.05 crores. The total over dues showed a decline of ₹664.56 crores mainly on account of reduction of ₹875.67 crores in Uttar Pradesh, thanks to debt waiver scheme of the State Govt. At ultimate borrower level, overdues have increased in most of the banks including those who reduced it at the apex level like Kerala, Punjab and Rajasthan. Only Karnataka could reduce ground level over dues from ₹292.06 crores to ₹232.14 crores though it did not result in any reduction at the apex level because of heavy imbalance. The increase in ground level over dues has been more glaring in the case of Haryana from ₹1171.01 crores to ₹1212.85 crores and West Bengal from ₹256.47 crores to 351.48 crores.

At apex level the position has become extremely weak in the case of West Bengal which recovered only 28.93% of demand, Haryana with 32.10% and Gujarat with 42.89%. If these banks do not succeed in improving the position substantially within a short period, they face the risk of becoming ineligible for NABARD's refinance. Similarly, Karnataka needs to tackle the issue of imbalance on priority with the support of State Govt by blocking the amount of imbalance and clearing the blocked account in a phased manner in order to improve their rating and refinance eligibility. In the case of Tripura and J&K which are not getting NABARD's refinance at present, substantial improvement in recovery is vital to restore eligibility for refinance.

While SCARDBs are aware of the need to improve recovery and stepped up efforts in that direction, it is seen that most of them still have not evolved consistent policies and well thought out strategies to address the issue.

The objective of Accelerated Recovery Drive is to strengthen the repayment and recovery systems of ARDBs based on sound policies and practices which are generally found effective.



Repayment system

(i) Repaying capacity linked loaning

The most important aspect to be relied upon for deciding the amount of loan and the period of loan should be repaying capacity of the borrower. Field officer has to make realistic assessment of the repaying capacity in each case taking into account all sources of income.

Sanctioning authority should conduct field level random verification of the repaying capacity reported by the field officer before sanctioning the loan. Further, appropriate action should be taken against field officers for repeated lapses in this regard. Similarly, sanctioning authority should not hesitate to reject a loan application on the ground of insufficient repaying capacity.

(ii) Risk Team

Each Branch/PCARDB needs to have a Risk Team. Risk Team should assess risk of default in each loan case before sanctioning. It also has a wider role of risk profiling and taking general as well as case specific risk control measures .Risk team should be headed by the Branch Manager/Secretary and the Officer in charge of recovery cell.

(iii) Fixation of repayment instalments

Demand should be based on composition of income sources and regularity of income from various sources. Wherever monthly income from other sources is counted in repaying capacity, monthly instalment can be fixed to that extent in consultation with the borrower supplemented by half yearly or annual demand based on income from seasonal crops etc. This may be done by the Branch Manager on a case to case basis. Similarly monthly demand should be mandatory in the case of non farm sector units with continuous income stream.

Equated instalment system of demand followed by ARDBs where amount of instalment is the same from the beginning to end of loan period is not desirable. This practise deprives the opportunity to demand and collect proportionately higher amount in the peak phases of project when incomes are high and asset maintenance costs are lower. Moreover, borrowers generally do not understand the calculations



involved in fixing equal amount of instalment through out the loan period and often complain about instalments not being brought down in later years. It is also seen that reduction in the amount of instalment is essential with progression of time to sustain borrower's enthusiasm to repay. A demand system involving equal instalments or graduated instalments of principal along with interest on outstanding balance at the time of each demand will be recovery friendly.

(iv) Pre due date follow-up

Pre due date follow-up is vital in achieving good recovery. PCARDBs/branches should ensure communicating timely demand notices followed by pre due date reminders through telephone calls, SMS etc.

(v) Thrift deposit accounts

ARDBs not being banks cannot offer saving products like other banks. However, they can offer the facility of opening thrift deposit accounts by borrowing members. ARDBs should encourage it's members to open thrift accounts to keep their routine savings which can also be used for repayment of instalments on due dates.

(v) Short term loans

ARDBs which are also financing short term credit needs of members are found to have performed well in recovery. Short term loans have the advantage of maintaining frequent contacts with the borrower which helps in loan recovery.

Recovery system

Recovery system consists of post due date actions to recover overdue loans. This involves the following steps.

STEP 1

Defaulter classification into wilful and non wilful defaulters based on track record and personal knowledge about the borrower. Though many yardsticks can be used to identify wilful defaulter, one criterion which is found safe and generally acceptable is to classify a borrower as wilful defaulter if he **does not make even part payment of monthly or quarterly instalments during an entire year without giving an acceptable reason for the same.** The validity of this criterion can also be rechecked on the basis of known facts about the borrower, about his assets and income, lifestyle etc



The defaulters of each due date should be classified in to i) Non wilful, ii) Likely wilful, (whose wilful default period is less than one year) and iii) Wilful. Additions to these categories after each due date will go to the concerned main list for appropriate actions as mentioned in Step 2.

STEP 2

Approach to non wilful defaulters

It is seen that non wilful defaulter in normal times makes part payment of repayment instalments except on occasions when his repaying capacity is completely choked due to natural calamities and other miseries or unusual bulk expenditure in the family. The bank needs to pursue following steps in such cases in its own interest as well as that of the borrower.

- Rescheduling of loan including over dues outstanding with an extension of period.
- One time settlement of overdue portion.

Approach to Likely Wilful Defaulters

Bank should intensify follow up in the case of likely defaulters including contacting them personally apart from issuing notices and publishing it in his locality.

Approach to wilful defaulters

Banks should pursue legal recovery measures in case of wilful defaulters which generally involves the following steps.

Pre foreclosure notice immediately on classification as wilful defaulter followed by measures like publishing of defaulters list especially in cases involving substantial amount.

- Foreclosure of loan.
- Legal notice of recovery before filing execution petition with the sale officer.
- Initiating sale proceedings in batches of upto 5 cases at a time in each branch/PCARDB in the order of amount recoverable under due notices.
- Giving state wide publicity to sale proceedings.
- Taking steps to ensure the success of sale proceedings including arranging bidders from other districts.
- Advancing land purchase loan to prospective buyer if required.



The important point is that wilful defaulter has the capacity to pay and what is lacking is the readiness to pay. Wilful defaulter in most cases is prompted by monetary gains in avoiding repayment and the confidence that the recovery proceedings of ARDB unlike in the case of other banks would not progress to the stage of sale of security property. Wilful defaulters develop this confidence from their experience that recovery proceedings after the first or second notices never progress consistently to the later stages culminating to sale. Wilful defaulters usually are also successful in bringing interventions and interferences from various sources to stall the proceedings. But once the Bank starts pursuing a consistent policy and resist any kind of outside interference, wilful default will drastically come down and first or second notice will be enough to persuade reluctant payers to fall in line.

Outsourcing legal support for issuing notices and completing sale procedure

In most of the banks, execution of sale is delayed or stalled because of shortage of staff to issue required notices on time. In such cases, banks should take the services of legal firms in their panel to issue timely notices on a fee based arrangement depending on the amount recoverable. As decided by the Board of Management of the Federation, this fee can be fixed at ₹1000 per loan account where amount recoverable is upto ₹1 lakh and ₹1500 where it is more than ₹1 lakh.

Monitoring of Accelerated Recovery Drive

There should be monitoring committees at branch/PCARDB as well as state levels consisting of members of board and officers in-charge of recovery to oversee implementation and review the progress of accelerated recovery drive.

Publications

Land Bank Journal

Publication of Land Bank Journal is an important work of the PRD Cell. Four issues of Land Bank Journal i.e. March 2014, June 2014, September 2014 & December 2014 have been published and circulated during the year and March 2015 is under compilation.



Annual Statistical Bulletin

Collection and compilation of statistics relating to member banks' operations and publication of Annual Statistical Bulletin is also undertaken by the Cell. Statistical Bulletin for the year for the year 2012-13 was published during the year. The Bulletin for 2013-14 is under compilation. Federation is trying to make this important publication to be updated by streamlining the reporting system relating to ground level data relating to the operations of ARDBs.

Monthly Progress Report of ARDBs

Federation collects and compiles data on member banks' key operations on a monthly basis for review at its level and reporting to Govt of India. Loans disbursements, Recovery performance, Borrowings and Deposit Mobilisation are the main areas covered in the monthly progress report. 10 consolidated monthly reports from April 2014 to January 2015 were brought out during the year 2014-15. February 2015 report is under compilation.

VI. DEVELOPMENTS DURING 2015-16: HIGHLIGHTS

Union Budget 2014-15

Finance Minister Shri Arun Jaitley presented the budget of the new Govt on 10th July 2014. Steps announced in the budget aimed at sustained growth of 7-8% within 3-4 years along with macro economic stablisation and to recover growth in manufacturing and infrastructure sectors. Budget contained a number of proposals for agriculture sector. Thrust was given to productivity enhancement through investments in farm assets and farm technology. Emphasis was also given to agriculture research which did not produce much useful results for quite some time, by setting up two more research institutes of excellence in Assam and Jharkhand. Setting up of Rural Long Term Credit Fund in NABARD to augment investment credit support to farmers is another important initiative to enhance productivity in agriculture. It was also proposed to finance 5 lakh joint farm groups of landless farmers to benefit agriculture in the tribal belts in the north and north eastern regions where farmers find it difficult to access credit from banks as lands are mostly



community owned. The budget contained proposal to promote establishment of small banks and differentiated banks to serve local areas and identified target groups like small businesses, unorganized sector, low income households, farmers and migrant work force. Following are the highlights of the budget proposals relating to agriculture, agriculture credit and banking.

Agriculture

- Establishment of two more Agricultural Research Institute of Excellence in Assam and Jharkhand.
- Setting up Agri-tech Infrastructure Fund.
- New Agricultural Universities in Andhra Pradesh & Rajasthan.
- New Horticultural Universities in Telangana & Haryana.
- Soil health card to be issued to farmers.
- Setting up 600 mobile soil testing labs.
- Setting up National Adaptation Fund to address impact of climate change on agriculture.
- Sustainable growth of 4% in agriculture is the objective.
- Technology driven second green revolution including protein revolution will be stepped up.
- Setting up Price Stabilisation Fund for agriculture.
- Steps being taken to reorient APMC Acts of states.
- Developing indigenous cattle breeds and blue revolution to develop inland fisheries.

Agriculture credit

- 5 lakh joint farming groups of landless farmers being financed through NABARD.
- Agricultural credit target fixed at ₹8 lakh crores for 2014-15.
- RIDF outlay for 2014-15 being enhanced from ₹20,000 crores to ₹25,000 crores.
- Allocation of ₹5,000 crores to Warehouse Infrastructure Fund.
- Long Term Rural Credit Fund in NABARD with an allocation of ₹5,000 crores for providing refinance support to Cooperative Banks and Regional Rural Banks.
- ₹50,000 crores allocated for Short Term Cooperative Rural Credit.
- Allocation of ₹200 crores to NABARD's Producers Development and Upliftment Corpus to support 2,000 producers organisations over the next two years.



Banking

- Launching financial inclusion mission with focus on weaker sections.
- Encouraging banks to extend long term loans to infrastructure sector with flexible structuring.
- Permission to banks to raise long term funds for infrastructure lending with relaxed norms relating to CRR, SLR and priority sector lending.
- RBI to create a framework for licensing small banks and other differentiated banks.
- Differentiated banks serving niche interests, local area banks, payment banks etc are contemplated to meet credit and remittance needs of small businesses, unorganised sector, low income households, farmers and migrant work force.

Performance Awards to Member Banks

Federation during the year under report revived performance awards to member banks under revised norms. The awards based on performance during the year 2013-14 were presented on 20 November 2014 in conjunction with 2nd Conference of Principal Secretaries (Coopn) & RCS at Thiruvananthapuram.

Awards and Award Winning Banks are listed below.

1) Government of India Trophy for Best All-round Performance 2013-14

(Instituted by Ministry of Agriculture, Govt of India)

Awarded to : Kerala State Cooperative

Agricultural & Rural Development Bank Ltd.

2) Federation Trophy for 2nd Best All-round Performance 2013-14

Awarded to : Punjab State Cooperative

Agricultural Development Bank Ltd.

3) Meloth Narayanan Nambiar Memorial Trophy for Best Performance in Lending 2013-14 (Instituted by Kerala SCARDB)

Awarded to : Kerala State Cooperative Agricultural

& Rural Development Bank Ltd.

&

Punjab State Cooperative

Agricultural Development Bank Ltd.



4) Punjab Chief Minister's Trophy for Best Performance in Recovery 2013-14

(Instituted by Punjab SCADB)

Awarded to : Kerala State Cooperative

Agricultural & Rural Development Bank Ltd.

5) Federation Trophy for Best Performance in Deposit Mobilisation 2013-14

Awarded to : Tamil Nadu Cooperative State

Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

&

Himachal Pradesh State Cooperative Agriculture

& Rural Development Bank Ltd

6) Federation's Trophy for Best Turnaround Performance 2013-14

Awarded to : Gujarat State Cooperative Agriculture & Rural

Development Banks Ltd.

Meeting of CEOs of SCARDBs convened by NABARD on 5th June 2014 in Mumbai

NABARD convened a meeting of CEOs of SCARDBs on 5th June 2014 at NABARD's HO in Mumbai. The meeting was attended by representatives of 11 SCARDBs apart from MD, Federation. Dr. Harsh Kumar Bhanwala, Chairman, NABARD chaired the meeting. Chairman informed the house about the decisions of NABARD to extend refinance to more number of SCARDBs this year and to bring substantial reduction in rate of interest especially in respect of SCARDBs in the categories of medium and high risks. He said that ARDBs need to add more services to their portfolio to remain relevant to their customers and suggested that NAFCARD convene a National Seminar for new product development and business diversification. Chairman also stressed the need for ARDBs to establish digital contact with their borrowers and ARDBs to address their internal issues through professionalization of management, use of legal measures for recovery and adopting good governance practices.

Following are the issues suggested for deliberation by the Federation.

- (1) The timing of giving yearly allocation of refinance.
- (2) Need to restore two year cushion for repaying refinance.
- (3) Restoring the scale of refinance at pre 2011-12 level.
- (4) Charging of additional interest towards risk cost from SCARDBs in moderate and high risk categories.



- (5) Permission for rescheduling outstanding overdues in accounts where borrowers are making partial repayment regularly.
- (6) NABARD to institute a Study on Revival and Structural Reforms of LTCCS.
- (7) Assistance from CDF for computerisation.
- (8) Refinance support to Pondicherry SCARDB on the basis of guarantee by Govt of Pondicherry.
- (9) Restoring refinance support to Tripura SCARDB which performs well in recovery but incurs losses on account of inadequate business level.

Representatives of member banks also presented bank specific issues to be resolved at the level of ROs and HO of NABARD. NABARD identified following action points in the proceedings of the meeting.

- (1) A National level Seminar for new product development and business diversification to be organised by the Federation.
- (2) Review of rate of interest charged on refinance and two year grace period for repayment to be considered by NABARD.
- (3) Borrower profile to be updated by SCARDBs.
- (4) SCARDBs should take steps to bring down NPAs on par with other agencies by 31st March 2015.
- (5) Federation to approach Govt of India for extending crop loan interest subvention scheme to SCARDBs also.
- (6) NABARD to consider CDF assistance to SCARDBs for infrastructure development.

Policy Guidelines for financing PCARDBs as Mutli Service Centres by NABARD

NABARD has issued guidelines for financing PCARDBs as Multi Service Centres. The scheme is intended to provide lateral support to PCARDBs by NABARD for improving their viability especially in States where SCARDBs are not able to take care of their full financial requirements. The purpose of the scheme is to develop Primary ARDBs on the same lines of the programme launched by NABARD in 2012 to convert PACS into Multi Service Centres for farmers. The scheme envisages

(i) To provide multi services including custom hiring of agricultural implements, collective purchase of inputs, developing storage capacity, processing and



marketing facilities apart from investment credit to farmers through PCARDBs.

- (ii) To increase earning opportunity of PCARDBs and to make them self-sustainable entity.
- (iii) Improving viability and sustainability of PCARDBs through coordinated support by all stakeholders.
- (iv) To deliver credit to members of PCARDBs which has limited access to NABARD through SCARDBs.

PCARDBs as a Multi Service Centre will be supported to undertake the following activities.

- (i) Agro Storage Centres with godowns, sorting/grading unit as per Negotiable Warehousing Receipt System.
- (ii) Agro Service Centres engaged in owning and renting hi-tech agricultural implements like power tiller, land leveller, movers, seed driller, multi crop planter, paddy transplanter, sprayers, combine harvesters etc.
- (iii) Agro Processing Centres carrying out prime processing of sorting, grading, precooling chambers etc. and secondary processing involving value addition to produce by milling, processing etc.
- (iv) Agri Clinic Centres engaged in testing, lab for soil and water, knowledge dissemination centre, arrange training to farmers etc.
- (v) Agri Market Centres and Transportation carrying out procurement of agricultural produce, direct linkage, setting up of rural mart etc.
- (vi) Consumer store and other misc. activities running super markets, LPG agencies, petrol pump etc.
- (vii) Agro Production Facility for cattle/fish feed, bio-pesticides, bio-fertilisers, supply of quality seeds etc.
- (viii) Service provider booking of tickets, internet facility, BC for other FIs, bills payments, recharge of mobile etc.

NABARD will support PCARDBs to undertake these activities by providing loans upto 90% of project cost and also grant to cover initial administrative cost, providing activity specific training to farmers etc. Loan has to be fully secured by collaterals of which at least 50% should be by way of lien on securities.



Guidelines for Small Finance Banks in private sector

Reserve Bank of India on November 27, 2014 has issued guidelines for establishing Small Finance Banks (SFBs) in the private sector for supply of credit to micro and small enterprises, agriculture and providing banking services in unbanked and under-banked regions in the country. The salient aspects of the guidelines are as below.

Eligible promoters include resident individuals/professionals with 10 years of experience in banking and finance, companies and societies, existing NBFCs and MFIs etc. First preference will be given to local players who are focused on lending to unserved and underserved sections of the society.

Scope of activities include undertaking basic banking activities of acceptance of deposits and lending to unserved and underserved sections such as small business units, small and marginal farmers, micro and small industries and entities in unorganised sector. Branch expansion will be subject to RBI approval for the first five years. 25% of branches should be in unbanked rural areas with a population less than 10,000. There won't be any restriction in the area of operation but preference will be given for banks serving cluster of underbanked states/districts such as in north east, east and central regions without hindrance to expand to other regions in due course. Banks will have to use the words 'Small Finance Banks' in its name.

Minimum paid-up equity should be ₹100 crores. Should maintain minimum CRAR of 15% on a continuous basis, 50% of which will be Tier I capital. Promoters' minimum initial capital contribution should be 40%. Initial holding in excess of 40% should be brought down to 40% within 5 years. Listing is mandatory within 3 years after reaching net worth of ₹500 crores. Foreign shareholding is allowed upto maximum of 74% paid-up capital.

The Board of Small Finance Banks (SFB) should have a majority of independent directors. The SFB should comply with corporate governance and guidelines including fit and proper criteria for directors as issued by RBI from time to time.

SFB cannot be a business correspondent for another bank. However, it can have its own network of business correspondents. The first set of applications closed on



January 16, 2015. Based on experience gained in dealing with SFB, applications will be received on a continuous basis.

Merger of Chhattisgarh LTCCS with STCCS

Govt. of Chhattisgarh vide its letter dt. 7th October 2014 effected merger of Chhattisgarh State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank with Chhattisgarh State Cooperative Bank after obtaining required permissions from Reserve Bank of India and NABARD. 13 District Primary Cooperative Agriculture & Rural Development Banks have also been merged with 8 District Central Cooperative Banks in the State as per the above order. The assets, liabilities and staff of Chhattisgarh SCARDB has been transferred to Chhattisgarh SCB. Similarly, the assets, liabilities and staff of 13 PCARDBs have also been merged to 8 DCCBs to which they are amalgamated.

The Chhattisgarh SCARDB was not fully functional in the last few years due to heavy overdues and suspension of lending programme due to stoppage of refinance support by NABARD. The Govt of Chhattisgarh had taken the decision to merge SCARDB and District ARDBs with SCB and DCCBs respectively in 2011 and got the approval of RBI in June 2013.

Supreme Court directive to trial courts regarding disposal of cases u/s 138 of Negotiable Instruments Act 1881

The Supreme Court of India in landmark judgement given on 21st April 2014 laid down guidelines to be followed by all criminal courts in India for speedy and expeditious disposal of cases under section 138 of Negotiable Instruments Act 1881 (cheque dishonour cases). This judgement was issued in a petition filed by Punjab National Bank, Indian Banks' Association and others seeking intervention of Apex court to expedite disposal of large number of cases under section 138 of Negotiable Instruments Act pending with various trial courts in the country. In this judgement, Supreme Court directs trial courts to scrutinise the complaint and direct issuance of summons on the day when the complaint under section 138 is presented if accompanied affidavit and documents are found to be in order. It is further directed that the summons must be properly addressed and be sent by post as well as email address got from the petitioner and even to take the assistance of police or the nearby



court to serve notice if required. As per the judgement, the trial court is also required to take an early decision on an application by the accused for compounding of offences and to ensure that examination in chief, cross examination and reexamination of the complainant must be conducted within three months of assigning the case.

VII. AFFILIATIONS

At National level

Federation is affiliated to the following organizations at the national level.

National Cooperative Union of India (NCUI)

Federation is a member of NCUI and associates actively with its programmes. Shri K. Sivadasan Nair, Vice Chairman, of the Federation is also the Vice Chairman of NCUI.

Federation is also affiliated to the following other national level organizations/associations.

Cooperative Bank of India (COBI)

Federation is one of the founder members of COBI. The Chairman of the Federation is also one of the Directors of COBI.

National Film and Fine Arts Cooperatives Ltd. (NAFFAC)

MD, Federation is a member in its General Body and Board.

National Cooperative Development Corporation (NCDC)

Shri K.K. Ravindran, MD, Federation has been nominated as a Member of General Council of NCDC by Govt of India under Section 3(4)(XVII) of NCDC Act 1962.

Federation is also holding associate membership with the following organizations.

- Indian Merchants Chamber (IMC)
- Indian Banks' Association (IBA)
- Indian Society for Studies in Cooperation
- Indian Tourism Cooperative Ltd. (ITC)



Centre for International Cooperation and Training in Agricultural Banking (CICTAB)

MD, Federation is a member of its General Council. Federation regularly nominates officials and non-officials from member banks to the programmes of CICTAB.

Participation in CICTAB programmes during 2014-15 was as below:

- 1. Programme on Cooperative Governance for the Board of Directors of Rural Financing Institutions and Cooperatives during 23-27th June 2014 at VAMNICOM, Pune Participated by Shri G. Nagarajan, Vice Chairman, S.M. Sargunam, Board of Director and K. Chandrasekaran, Manager/Editor of Tamil Nadu Cooperative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Chennai.
- 2. Meeting of the Managing Committee & General Council of CICTAB held on 6th Aug 2014 at Delhi, attended by Shri K.K. Ravindran, Managing Director, Federation.

At International level

International Cooperative Alliance (ICA)

Federation is a member of ICA global as well as ICA Asia-Pacific Region. Federation also associates with the various Committees of ICA.

Shri K. Sivadasan Nair, as a representative of the Federation, continues to be the Chairman of Regional Cooperative Banking Association under ICA-AP. The representatives of the Federation participated in the following programmes of ICA during the year.

- 11th ICA Regional Assembly, 8th Cooperative Forum and related events during 15-20th September 2014 at Bali (Indonesia)-Participated by Shri K. Sivadasan Nair, Vice Chairman, Shri Ashok Kumar Faujdar, Vice Chairman and Shri K.K. Ravindran, Managing Director, Federation.
- 2. International Summit of Coops. 2014 during 6-9th October 2014 in Quebec city, Canada-Participated by Shri K.K. Ravindran, Managing Director, Federation and Shri G.S. Mangat, Managing Director, Punjab SCADB.



Asia and Pacific Regional Agricultural Credit Association (APRACA)

Federation is a founder member of APRACA. Shri K.K. Ravindran, MD, Federation is a member of its General Body since 1996. Representatives of the Federation attended the following programmes/meetings of APRACA during the year.

- ► IFAD grant project inception workshop on "Documenting Gobal Best Practices on Sustainable Models of Pro-poor Rural Financial Services in Developing Countries during 15-16th May 2014, Bangkok, Thailand-Participated by Shri Ankit Joshi, Assistant Director, Federation.
- ➤ Annual General Meeting and E.C. Meeting of CEOs Policy of APRACA during 18-21st May 2014 in Dhaka, Bangladesh - Attended by Shri K.K. Ravindran, Managing Director, Federation.
- 3. 65th Executive Committee meeting and Regional Forum on Adaptation and Mitigation of the Impact of Climate Change of APRACA during 30th Nov. 2014 to 4th Dec. 2014 in Colombo, Sri Lanka Participated by Shri K.K. Ravindran, Managing Director, Federation.

International Raiffeisen Union (IRU)

Federation is a member of IRU. Shri Sukhdarshan Singh Marar, Chairman represents the Federation in the General Body of IRU.

➤ General Assembly of International Raiffeisen Union during 20-21st October 2014 in Istanbul, Turkey-Participated by Shri K.K. Ravindran, Managing Director, NCARDBF.

BRICS Cooperatives Forum

Federation participated in the IVth BRICS Cooperatives Conference during 14-17th May 2014 in Curitiba (Brazil) as part of the delegation from Govt of India.

VIII. MANAGEMENT OF THE FEDERATION

General Body

The General Body consists of members of the Federation, represented by the Delegates nominated by the Board of Directors of the respective bank.



Following is the list of members of the Federation.

- 1. Andhra Pradesh State Co-operative Bank Ltd., Hyderabad.
- 2. Assam State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Guwahati.
- 3. Multi State Co-operative Land Development Bank Ltd. (Bihar-Jharkand), Patna.
- Chhattisgarh Rajya Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Maryadit, Raipur.
 (Member upto 7th October 2014. Amalgamated with Apex Bank as per Order No.credit-4/2014/4881 dt. 7.10.2014)
- 5. Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Ahmedabad.
- 6. Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Panchkula.
- 7. Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Shimla.
- 8. Jammu & Kashmir State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Srinagar.
- 9. Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Bangalore.
- 10. Kerala State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Thiruvananthapuram.
- 11. Madhya Pradesh Rajya Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Ltd., Bhopal.
- 12. Maharashtra State Co-operative Agriculture Rural Multipurpose Development Bank Ltd., Mumbai.
- 13. Orissa State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Bhubaneshwar.
- 14. Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd., Pondicherry.
- $15. \, Punjab \, State \, Co-operative \, Agricultural \, Development \, Bank \, Ltd., \, Chandigarh.$



- 16. Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd., Jaipur.
- 17. Tamil Nadu Co-operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Chennai.
- 18. Tripura Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Agartala.
- 19. Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd., Lucknow.
- 20. West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Kolkata.
- 21. Delhi State Cooperative Bank Ltd., New Delhi.
- 22. Goa State Co-operative Bank Ltd., Panaji.
- 23. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd., Shillong.

Board of Management

As per Byelaw No.20 (iii), the Board of Management of the Federation consists of 20 Directors elected by the General Body, 1 Director being nominated by the Central Govt., 2 Directors co-opted by the Board apart from Managing Director, who is exofficio member of the Federation.

The Board of Management as on 31.3.2015 consisted of the following persons:-

Sr.No.	Name of Board Member	Member Bank representing
1.	Shri Sukhdarshan Singh Mrar Chairman	Punjab State Cooperative Agricultural Development Bank Ltd.
2.	Shri K. Sivadasan Nair, MLA Vice Chairman	Kerala State Coop. Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
3.	Shri Bijay Kumar Singh Vice Chairman	Multi State Cooperative Land Development Bank Ltd. (Bihar-Jharkhand)
4.	Shri Dalip Singh Yadav Vice Chairman	Haryana State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Sr.No.	Name of Board Member	Member Bank representing
5.		Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.
	Shri Vijay Prakash Joshi Administrator (vide Bank's communication No.MD SEC./2014-15/32368 dt. 16.3.15)	
6.	Shri Ajit Kesari	Madhya Pradesh State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
7.	Shri K. Veera Reddy	Andhra Pradesh State Cooperative Bank Ltd.
8.	Shri C. Panna, Managing Director (Till October 2014)	Chhattisgarh Rajya Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Ltd.
	(Bank Merged with SCB in October 2014)	
9.	Shri R.S. Dahiya	Delhi State Coop. Bank Ltd.
10.	Shri B.H. Jadeja	Gujarat State Co-op. Agri. & Rural Dev. Bank Ltd.
11.	Shri Ulhas B. Phal Dessai	Goa State Cooperative Bank Ltd.
12.	Shri K. Shadakshari, MLA	Karnataka State Coop. Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
13.	Shri W.K. Kyndiah	Meghalaya Cooperative Apex Bank Ltd.
14.	Shri B. Shahul Ameed	Tamil Nadu Co-op. State Agriculture & Rural Dev. Bank Ltd.
15.	Shri Shiv Lal	Himachal Pradesh State Cooperative Agriculture &Rural Dev. Bank Ltd.
16.	Shri Jyotilal Dutta	Tripura Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
17.	Shri Alok Dixit, Managing Director since October 2014. (Shri Ram Jatan Yadav, Managing Director till October 2014)	Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.
18.	Shri K.K. Ravindran	Ex-officio



<u>Note</u>: Against 20 Directors to be elected by the General Body, only 17 elected Directors are in position as on 31.3.2015. Vacant positions being filled up by election/co-option of delegates of non represented member banks which have no outstanding dues.

Executive Committee

As per Byelaw No.26(a), Executive Committee shall consist of Chairman, 4 Vice Chairmen, Managing Director and 5 Board members elected by the Board. Accordingly, Executive Committee was also reconstituted in September 2013, after the election of new Board, with the following members.

- (1) Shri Sukhdharshan Singh Mrar, Chairman (Punjab State Coop. Agricultural Development Bank Ltd.)
- (2) Shri K. Sivadasan Nair, MLA, Vice Chairman (Kerala State Coop. Agricultural & Rural Development Bank Ltd.)
- (3) Shri Bijay Kumar Singh, Vice Chairman (Multi State Land Dev. Bank Ltd. Bihar-Jharkhand)
- (4) Shri Dalip Singh Yadav, Vice Chairman (Haryana State Coop. Agri & Rural Dev. Bank Ltd.)
- (5) Shri Ashok Kumar Faujdar, Vice Chairman Rajasthan Rajya Sahakari Gram Vikas Bank Ltd. (Till December 2014) Vacant since December 2014.
- (6) Shri K. Veera Reddy
 (Andhra Pradesh State Cooperative Bank Ltd.)
- (7) Shri K. Shadakshari, MLA (Karnataka State Cooperative Agri. & Rural Dev. Bank Ltd.)
- (8) Shri B. Shahul Ameed (Tamil Nadu Coop. State Agriculture & Rural Dev. Bank Ltd.)
- (9) Shri W.K. Kyndiah (Meghalaya Cooperative Apex Bank Ltd.)
- (10) Shri K.K. Ravindran, Managing Director, NCARDBF



Administrative Committee

As per Byelaw No.27(a), the Administrative Committee shall consist of the Chairman, 4 Vice Chairmen and the Managing Director. The Administrative Committee of the Federation consists of the following members.

- ➤ Shri S.S. Mrar, Chairman
- ▶ Shri K. Sivadasan Nair, MLA, Vice Chairman
- ▶ Shri Bijay Kumar Singh, Vice Chairman
- ▶ Shri Ashok Kumar Faujdar, Vice Chairman (Till December 2014)
- ▶ Shri Dalip Singh Yadav, Vice Chairman
- ➤ Shri K.K. Ravindran, Managing Director

Meeting of General Body, Board and Executive Committee during the financial year 2014-15

The Meetings of the General Body, Board and Executive Committee during the year under report with dates and venues are listed below:

Meetings	Place	Date
(a) Annual General Meeting (54 th)	Mumbai	08 Aug. 2014
(b) Board of Management		
143 rd Board	Mumbai	08 Aug. 2014
144 th Board	Navi Mumbai	10 Jan. 2015
(c) Executive Committee		
	Goa	31 Oct. 2014

Important issues discussed in Board Meetings

The Board Meetings continued to be the main forum for discussing the policy and operational issues related to rural credit apart from reviewing the operations of member banks.

During the year under report, the Board, besides discussing the regular items related to business operations of member banks and periodical review of performance under



debenture floatation, advances, recovery etc. also considered and discussed the following subjects in its meetings.

- 1. Decisions in the Meeting of CEOs of SCARDBs convened by NABARD on 5 June 2015 in Mumbai.
- 2. Supreme Court directive to trial courts regarding disposal of cases u/s 138 of Negotiable Instruments Act 1881.
- 3. Proposals relating to Agriculture and Rural Credit in Union Budget 2014-15.
- 4. Clarifications on TDS exemptions as applicable to member banks of Federation.
- 5. Allocation for Investment in debentures of SCARDBs by Central Govt.
- 6. Proposal to hold State level Seminars on Reforms in LTCCS.
- 7. Programme of Activities of the Federation during 2014-15.
- 8. Proposal by ICAI to conduct a joint seminar.
- 9. Proposal to convene meeting of Parliamentarians Forum.
- 10. Revival of Long Term Cooperative Credit Structure.
- 11. Performance of SCARDBs during April 2013-March 2014 in key operational areas.
- 12. 2nd Conference of Principal Secretaries & Registrars of Cooperative Societies held on 20th November 2014 at Thiruvananthapuram.
- 13. Guidelines for financing of Small Finance Banks in the Private Sector.
- 14. Merger of Chhattisgarh Long Term Cooperative Credit Structure with Short Term Cooperative Credit Structure.
- 15. Recommendations of National Advisory Committee of Development of Cooperative in India.
- 16. Debenture Programme of State Land Development Banks/SCARDBs under the Scheme of Investment in Debentures of State Land Development Banks.
- 17. Providing access to records on the National Register of Registration Certificates of Vehicles and Driving Licenses.



- 18. Proposed draft Multi State Cooperative Societies Amendment Bill 2014.
- 19. Recommendations of Working Group on Agriculture Production regarding Recovery of Cooperative Loans.
- 20. Proposal from UTI-ITSL for alliance with the Bank for furthering the process of financial inclusion by voluntary collection of PAN applications at branches all over India.
- 21. Performance of SCARDBs during April 2014-October 2014 in key operational areas.
- 22. National Livestock Mission.
- 23. Agricultural Marketing Infrastructure (AMI)-Stoppage of sanction of subsidy for New projects under Agriculture Marketing infrastructure sub scheme of ISAM.
- 24. Time limit for submission of final subsidy claims to NABARD under Rural Godown and AMIGS scheme.



IX. FINANCE AND ACCOUNTS

The summary of Assets and Liabilities and Income & Expenditure accounts for the year 2014-15 are given below:

ASSETS AND LIABILITIES

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	LIABILITIES	As	on	Sr. No.	ASSETS	As	on
		31.3.15	31.3.14			31.3.15	31.3.14
1.	Reserves & Other Funds	1868.25	1733.46	1.	Cash & Bank Balances	15.83	18.06
2.	Secured Loans	30.40	0.00	2.	Investments	1573.97	1446.38
3.	Other Liabilities & Provisions	30.83	50.62	3.	Fixed Assets	260.38	256.53
4.	Surplus transferred from Income & Exp.A/C	9.41	9.27	4.	Sundry Debtors & Receivables	77.69	55.90
				5.	Loans & Advances	6.08	11.30
				6.	Sundry Deposits & Prepaid Exps.	4.94	5.18
	TOTAL	1938.89	1793.35		TOTAL	1938.89	1793.35

INCOME AND EXPENDITURE

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Am	ount
	INCOME	2014-15	2013-14
1.	AMS & Additional contributions from member banks	86.75	74.12
2.	Interest Income	80.43	71.78
3.	Grants received (GOI & NCUI)	8.00	0.00
4.	Miscellaneous Income / Dividend / Guest House service charges	0.35	0.52
5.	Recovery from BDR /Prior Period Incomes/ Provisions reversed/ Payables written off	27.35	10.50
	TOTAL (1 to 5)	202.88	156.92
	EXPENDITURE		
1.	Management Cost	83.67	79.31
2.	Other Office Expenses	21.47	22.72
3.	Meetings/Seminar/Conference Expenses	12.20	8.45
4.	Premises Maintenance Expenses	9.88	8.31
5.	Provisions /Reserves	66.25	28.86
	TOTAL (1 to 5)	193.47	147.65
	Surplus	9.41	9.27



X. REPORT ON MEMBER BANKS' OPERATIONS DURING 2014-15

General Information

The Long Term Cooperative Credit Structure as on 31-03-2015 comprises of 17 SCARDBs and 4 SCBs as against 19 SCARDBs and 4 SCBs as on 31-03-2014. The number of SCARDBs came down to 17 on account of merger of Chhattisgarh SCARDB into Chhattisgarh SCB and liquidation of Maharashtra SCARDB during the year under report.

Of the 17 SCARDBs, 8 have federal structure operating through affiliated PCARDBs and 7 are unitary, operating through their branches and the remaining 2 SCARDBs have a mixed structural pattern serving through PCARDBs in some areas and through own branches in other areas of State. The general administrative data is compiled for both fully functional and Other SCARDBs for the year 2014-15, based on the information available at the time of finalizing this report. The position as on 31-03-2015 is considered for review. The Unitary/Mix structure SCARDBs were operating through 824 branches. The Federal structure had 627 PCARDBs which in turn had 734 branches. The total membership of 17 SCARDBs as on 31-03-2015 was 119.76 Lakh of which the borrowing members were 67.66 Lakh. While 12 SCARDBs had elected board and 4 SCARDBs did not have an elected board as on. At PCARDB level, 515 PCARDBs had elected board as on 31-03-2015. The data in brief in this is as under:-

Sr. No.	Particulars	As on 31-03-2015	As on 31-03-2014
1)	Number of SCARDBs (Federal)	8	10
2)	Number of SCARDBs (Unitary)	7	7
3)	Number of SCARDBS with mixed Structural pattern	2	2
4)	Number of Branches of SCARDBs (Unitary)	824	816
5)	Number of PCARDBs (Federal)	627	627
6)	Number of Branches of PCARDBs (Federal)	734	746
7)	Total Membership (in Lakh)	119.76	119.89
8)	Of item 7, Borrowing members (in Lakh)	67.66	68.18
9)	Number of SCARDBs having Elected board	12	12
10)	Number of PCARDBs having elected board	515	584
11)	Staff in SCARDBs (Number)	5477	5618
12)	Staff in PCARDBs (Number)	6986	6872



Loans Advanced

Total loans advanced by 13 SCARDBs (fully functional) during the year 2014-15 amounted to ₹5204.65 crore as against ₹4616.44 crore, showing a growth of 12.74% over the previous year. All SCARDBs except Tamil Nadu SCARDB registered growth over the previous year while total advances by Tamil Nadu SCARDB remained almost at the same level as last year. The aggregate loans outstanding at Ultimate Borrowers level stood at ₹17883.00 crore for the year 2014-15 as against ₹16522.75 crore for the previous year 2013-14.

Borrowings

Total borrowings by 13 SCARDBs (Fully functional) during the year increased to ₹3722.89 crore from ₹2517.16 crore during 2014-15. NABARD continued to be the main source of borrowings during the year, with total refinance support of ₹2876.11 crore accounting for 77.26% of total borrowings by the Banks. Remaining 22.74% of borrowings by these SCARDBs were sourced from Govt., NCDC, NHB and various SCBs. SCARDB-wise borrowings also registered growth compared to last year except in the case of West Bengal.

The Borrowings Outstanding of 13 SCARDBs as on 31-03-2015 (Fully functional) stood at ₹13639.50 crore as against ₹12876.15 crore as on 31-03-2014. SCARDB-wise position of borrowing outstanding showed increase over the previous year except for Pondicherry, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura and West Bengal who suffered negative growth in borrowings during the year.

Deposit Mobilisation

All fully functional SCARDBs except Haryana, Rajasthan and Tripura have been taking deposits during the year under report. Deposits of these banks mainly comprised of member deposits under various deposit schemes as approved by their Board of Directors. Some of the SCARDBs are also collecting fixed deposits of 1 to 3 years duration from public as permitted under NABARD's guidelines for deposit mobilization by SCARDBs issued in 1997.

Total deposits outstanding of SCARDBs as on 31-03-2015 were ₹1533.14 crore as against ₹1175.27 crore as on 31-03-2014, registering an impressive growth rate of 30.45%. Moreover all these banks except Tamil Nadu registered growth in deposit outstanding as on 31-03-2015 compared to the position as on 31-03-2014.



Financial Performance

The Profit/Loss position as on March 31, 2015 in respect of 13 SCARDBs (Fully functional) shows that 9 SCARDBs were in profit and remaining 4 SCARDBs (Haryana, Jammu & Kashmir, Pondicherry and Tripura) incurred losses. All SCARDBs which received NABARD's refinance except Haryana were in profit during the year. Tamil Nadu though not getting NABARD's refinance continued to maintain the growth in net profits during the year. Similarly number of profit making SCARDBs during the year increased to 9 from 7 last year. The total profit of 9 SCARDBs stood at ₹101.92 crore and the losses of 4 SCARDBs amounted to ₹109.81 crore.

Non Performing Assets

The total loan outstanding of 13 SCARDBs (Fully functional) amounted to ₹17883.00 crore as on 31-03-2015 and the NPA stood at ₹3969.13 crore amounting to 22.19% of the total loan outstanding as against 23.32% as on 31-03-2014. Of the 13 SCARDBs, NPA of 5 SCARDBs was below the average level. The high level of NPA average is mainly because of 5 SCARDBs viz. Gujarat, Haryana, Rajasthan, Tripura and Uttar Pradesh where it was over 39% level.

Recovery Performance

The yearly recovery performance at Apex and Ultimate Borrowers level is reported as of 30th June every year. Hence the latest available position of DCB is 30th June 2014. The total ground level demand of 13 SCARDBs (Fully functional) during 2014-15 were ₹10685.27 crore against which collections were ₹5814.70 crore which formed 54.42% of demand as against 48.74% as on 30th June 2013. The recovery percentage at Ultimate Borrowers level was above 60% in the case of 6 SCARDBs viz. Karnataka, Kerala, Pondicherry, Punjab, Tamil Nadu and Uttar Pradesh SCARDBs whereas Tripura SCARDB was in the range of 50 to 60% and Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir & West Bengal SCARDBs were in the range of 40 to 50%. The amount of overdues as on 30-06-2014 stood at ₹4870.34 crore compared to ₹5487.12 crore as of 30-06-2013, showing a decrease of ₹617.78 crore over previous year.

At Apex level as on 30-06-2014 against a total demand of ₹8539.14 crore total collections were ₹5079.75 crore, with a recovery percentage of 59.49% compared to 53.18% as on 30-06-2013.



XI.ACKNOWLEDGEMENT

The Federation continues to maintain close contacts and liaison with Central and State Govts., NABARD, RBI, NCDC, NCUI and various other agencies and institutions in its endeavour to strengthen the structure and expand the operations of member banks. The Board of Management places on record its gratitude to all these agencies and institutions for the support and cooperation extended to the Federation.

The Federation as well as its member institutions have been receiving financial and policy support from Government of India, Ministry of Agriculture. The Board of Management places on record its gratitude to the Ministry for its continued support and guidance to the Federation and to the Long Term Cooperative Credit Structure.

NABARD from its inception has been extending refinance as well as development support to SCARDBs. The Board of Management conveys its gratitude to NABARD for its continued refinance support to SCARDBs and the role it has been playing over the years to strengthen the Long Term Rural Cooperative Credit Structure.

We also extend our gratitude to NCDC, NHB, Scheduled Commercial Banks and State Cooperative Banks have been providing funding support to SCARDBs which helped them to meet the credit needs of their members better.

The NCUI has been providing active support to the Federation in its activities. The Federation places on record its appreciation and gratitude to Dr. Chandrapal Singh Yadav, President and Dr. Dinesh, Chief Executive.

The Board of Management places on record its gratitude to Hon'ble Members of Parliament especially Prof. P.J. Kurien, Deputy Chairman, Rajya Sabha who took the lead role in organizing the Meeting of Parliamentarians for taking up the issues in the Long Term Cooperative Credit Structure with Government of India.

The Federation continued to receive financial and other supports as well as active cooperation from its member banks during the year under report. We acknowledge our profound gratitude to the management and staff of all our member banks particularly to the Chairmen and Chief Executives of SCARDBs. The Board of Management also places on record the valuable contributions of Shri Sukhdarshan



Singh Mrar, Chairman who with the able support of Vice Chairpersons Shri K. Sivadasan Nair, MLA, Shri Bijay Kumar Singh, Shri Dalip Singh Yadav and Shri Ashok Kumar Faujdar, gave effective leadership to the Federation and the LT credit sector.

The Board appreciates the services of Shri K.K. Ravindran, Managing Director, who ably discharged the responsibilities of Chief Executive with dedication. The Management also appreciates the services of its officers and staff during the year.

On behalf of the Board of Management

Sukhdarshan Singh Mrar Chairman



(₹ Lakh)

TABLE 1 - LOANS DISBURSED AND LOANS OUTSTANDING

									(\ Eanii)
ò		Disbursed Do	Disbursed During 2014-15	Grand Total	l Total	Outsta as on 31 N	Outstanding as on 31 March 2015	Total Out	Total Outstanding
S O	Name of SCARDB	Farm Sector	Non Farm Sector (incl. of RHS/S.T. Loans/Others)	During 2014-15 (3+4)	During 2013-14	Farm Sector	Non Farm Sector (incl. of RHS/S.T. Loans/Others)	As on 31.03.2015 (7+8)	As on 31.03.2014
_	2	3	4	5	9	7	8	6	10
A. F	A. Fully Functional								
-	GUJARAT *	14744.88	2805.95	17550.83	17550.83	55154.76	3092.99	58247.75	58247.75
2.	HARYANA *	4412.50	2264.80	6677.30	6677.30	133334.83	76235.82	209570.65	209570.65
Э.	HIMACHAL PRADESH	4604.63	2402.55	7007.18	2577.42	19235.96	13360.01	32595.97	28693.68
4	JAMMU & KASHMIR	1059.50	682.40	1741.90	1147.50	2875.68	1171.58	4047.26	2799.72
2.	KARNATAKA	32971.15	300.02	33271.17	22866.06	147661.40	1897.51	149558.91	139251.67
9.	KERALA	36162.59	161806.92	197969.51	195295.91	79866.18	401542.79	481408.97	413342.12
7.	PONDICHERRY	0.00	1744.87	1744.87	1642.40	10.68	1951.75	1962.43	1906.11
œ.	PUNJAB	44963.28	13994.96	58958.24	50111.70	160717.46	86366.92	247084.38	225350.78
9.	RAJASTHAN	13225.04	8641.83	21866.87	21766.62	109141.73	36162.24	145303.97	144349.47
10.	TAMIL NADU	0.00	95202.90	95202.90	95974.90	1940.63	75543.21	77483.84	78022.49
1.	TRIPURA	37.27	191.79	229.06	103.18	487.54	1905.05	2392.59	2579.41
12.	UTTAR PRADESH	43109.71	15924.20	59033.91	40653.06	NR	42533.61	271623.63	245649.82
13.	WEST BENGAL	16314.90	2896.75	19211.65	5277.52	N.	N.	107019.55	102511.17
	TOTAL A [1 to 13]	211605.45	308859.94	520465.39	461644.40	710426.85	741763.48	1788299.90	1652274.84
B. C	B. Others								
-	ASSAM *	0.00	77.29	77.29	77.29	458.89	406.57	865.46	865.46
2.	BIHAR*	16.00	38.85	54.85	54.85	3590.16	1754.64	5344.80	5344.80
_.	MADHYA PRADESH	0.00	00.0	0.00	0.00	95749.88	7861.41	103611.29	105351.70
4.	ORISSA	NR	N.	NR	N.	NR	N.	N	NR
	TOTAL B [1 to 4]	16.00	116.14	132.14	132.14	99798.93	10022.62	109821.55	111561.96

Note:- (1) * Position as on 31.03.2014 is considered for review as the data was not available at time of report finalisation.
(2) NR denotes 'Not Reported'.



TABLE 2 - BORROWING

(₹ Lakh)

Sr. No.	Name of SCARDB	NABARD	Central Govt.	State Govt.	Others (NCDC / NHB/ SCB etc.)	2014-15 (3+4+5+6)	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8
A. F	Fully Functional						
1.	GUJARAT *	8900.00	0.00	0.00	0.00	8900.00	8900.00
2.	HARYANA *	6797.25	377.63	377.63	41650.00	49202.51	49202.51
3.	HIMACHAL PRADESH	4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	4000.00
4.	JAMMU & KASHMIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	KARNATAKA	23635.75	371.67	371.67	0.00	24379.09	11198.17
6.	KERALA	115479.07	0.00	0.00	25000.00	140479.07	82800.06
7.	PONDICHERRY	0.00	0.00	0.00	461.82	461.82	389.10
8.	PUNJAB	53200.00	0.00	0.00	0.00	53200.00	43000.00
9.	RAJASTHAN	17100.00	238.33	238.33	0.00	17576.66	19300.00
10.	TAMIL NADU	0.00	0.00	0.00	15113.00	15113.00	12743.00
11.	TRIPURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	UTTAR PRADESH	45000.00	0.00	0.00	478.05	45478.05	7183.10
13.	WEST BENGAL	12998.64	0.00	0.00	0.00	12998.64	12999.99
H	TOTAL A [1 to 13]	287610.71	987.63	987.63	82702.87	372288.84	251715.93
B. (Others						
1.	ASSAM *	0.00	57.48	2882.69	12.00	2952.17	2952.17
2.	BIHAR *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	MADHYA PRADESH	0.00	0.00	12954.76	0.00	12954.76	14101.97
4.	ORISSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL B [1 to 4]	0.00	57.48	15837.45	12.00	15906.93	17054.14

Note:- (1) * Position as on 31.03.2014 is considered for review as the data was not available at time of report finalisation.



TABLE 3 - BORROWING OUTSTANDING

(₹ Lakh)

		Oı	utstanding as	on 31 March 2	2015	Grand	d Total
Sr. No.	Name of SCARDB	NABARD	Central Govt.	State Govt.	Others (NCDC / NHB/ SCB etc.)	As on 31/03/2015 (3+4+5+6)	As on 31/03/2014
1	2	3	4	5	6	7	8
A. F	Fully Functional						
1.	GUJARAT *	13100.10	105.79	0.00	51.47	13257.36	13257.36
2.	HARYANA *	157510.42	4373.71	4399.45	27569.00	193852.58	193852.58
3.	HIMACHAL PRADESH	18495.54	610.05	127.42	0.00	19233.01	18220.37
4.	JAMMU & KASHMIR	0.00	279.28	336.72	0.00	616.00	616.00
5.	KARNATAKA	134953.01	3498.86	5736.55	0.00	144188.42	141533.45
6.	KERALA	377471.44	1027.35	1027.35	10170.13	389696.27	317102.16
7.	PONDICHERRY	0.00	0.38	0.00	708.60	708.98	757.77
8.	PUNJAB	227172.25	478.67	128.28	0.00	227779.20	216314.83
9.	RAJASTHAN	112813.45	3442.31	3360.07	0.00	119615.83	124573.95
10.	TAMIL NADU	0.00	0.00	0.00	10130.00	10130.00	14031.57
11.	TRIPURA	2252.44	1.61	40.23	128.57	2422.85	2986.98
12.	UTTAR PRADESH	151791.73	1946.91	1949.24	3116.00	158803.88	159743.24
13.	WEST BENGAL	83378.05	0.00	0.00	267.68	83645.73	84624.27
	TOTAL A [1 to 13]	1278938.43	15764.92	17105.31	52141.45	1363950.11	1287614.53
В. 0	Others						
1.	ASSAM *	0.00	57.48	2882.69	12.00	2952.17	2952.17
2.	BIHAR *	553.36	0.85	860.66	60.61	1475.48	1475.48
3.	MADHYA PRADESH	48163.36	2211.50	65058.81	4711.60	120145.27	124411.43
4.	ORISSA	NR	NR	NR	NR	NR	NR
	TOTAL B [1 to 4]	48716.72	2269.83	68802.16	4784.21	124572.92	128839.08

Note:- (1) * Position as on 31.03.2014 is considered for review as the data was not available at time of report finalisation.
(2) NR denotes 'Not Reported'.



TABLE 4: DEPOSIT MOBILIZATION

(₹ Lakh)

Sr.	Name of SCARDB	Deposit Rai	sed During	Deposit Outs	standing as on
No.	Nume of GOARDS	2014-15	2013-14	31.03.2015	31.03.2014
1	2	3	4	5	6
A.	Fully Functional				
1.	GUJARAT#	18840.90	17705.57	24283.20	22017.30
2.	HIMACHAL PRADESH	802.21	2249.21	6532.16	5729.95
3.	JAMMU & KASHMIR	832.56	2622.08	6020.73	3586.78
4.	KARNATAKA	7991.94	7306.79	13506.36	12383.12
5.	KERALA	60272.69	25632.46	49912.15	16049.61
6.	PONDICHERRY	912.75	849.92	1306.61	1138.85
7.	PUNJAB	169.59	2394.77	15753.86	15866.38
8.	TAMIL NADU	14961.08	30117.71	13962.87	19882.29
9.	UTTAR PRADESH	2871.44	3414.37	5705.35	5568.07
10.	WEST BENGAL	1026.24	1850.83	16331.12	15304.88
	TOTAL A [1 to 10]	108681.40	94143.71	153314.41	117527.23
В.	Others				
1.	ASSAM *	72.20	72.20	73.49	73.49
2.	MADHYA PRADESH	0.00	0.00	3748.07	4659.25
3.	ORISSA	NR	NR	NR	NR
	TOTAL B [1 to 3]	72.20	72.20	3821.56	4732.74

Note:- (1) * Position as on 31.03.2014 is considered for review as the data was not available at time of report finalisation. (2) # Data reported from Monthly Statements - March 2015. (3) NR denotes 'Not Reported'.



TABLE 5 - PROFIT / LOSS (AT APEX BANK LEVEL)

(₹ Lakh)

Sr. No.	Name of SCARDB	As on 31-03-2015	As on 31-03-2014
1	2	3	4
A. Fully Func	tional		
1.	GUJARAT *	2349.97	2349.97
2.	HARYANA *	(5904.93)	(5904.93)
3.	HIMACHAL PRADESH	120.35	(545.48)
4.	JAMMU & KASHMIR	(4993.31)	(4467.80)
5.	KARNATAKA *	12.82	12.82
6.	KERALA	2341.18	2110.66
7.	PONDICHERRY	(58.44)	(74.55)
8.	PUNJAB	2610.45	2566.95
9.	RAJASTHAN	425.44	
10.	TAMIL NADU	290.00	269.00
11.	TRIPURA	(24.66)	(16.67)
12.	UTTAR PRADESH	2000.34	1811.47
13.	WEST BENGAL	41.81	(2420.75)
B. Others			
Others			
1.	ASSAM *	(533.82)	(533.82)
2.	BIHAR *	(2207.86)	(2207.86)
3.	MADHYA PRADESH	NR	(19763.56)
4.	ORISSA	NR	NR

Note:- (1) * Position as on 31.03.2014 is considered for review as the data was not available at time of report finalisation.

- (2) Figures in brackets indicate loss.
- (3) NR denotes 'Not Reported'.

TABLE 6 - NON-PERFORMING ASSETS (NPA)

(₹ Lakh)

		NPA - A	NPA - AS ON 31 MARCH 2015	3H 2015	NPA - A	NPA - AS ON 31 MARCH 2014	;H 2014	
Sr. No.	Name of SCARDB	Total Loan Outstanding	NPAs	% of NPA to Total Loans Outstanding	Total Loan Outstanding	NPAs	% of NPA to Total Loans Outstanding	
~	2	3	4	5	9	7	8	
A. Ful	Fully Functional							
←	GUJARAT *	58247.75	25317.14	43.46	58247.75	25317.14	43.46	
2.	HARYANA *	209570.65	97962.47	46.74	209570.65	97962.47	46.74	
რ	HIMACHAL PRADESH	32595.97	9720.15	29.82	28693.68	10844.20	37.79	
4.	JAMMU & KASHMIR	4047.26	437.20	10.80	2799.72	454.47	16.23	
5.	KARNATAKA	149558.91	34955.16	23.37	139251.67	37103.40	26.64	
9	KERALA	481408.97	5355.03	1.11	413342.12	13041.86	3.16	
7.	PONDICHERRY	1962.43	108.76	5.54	1906.11	84.46	4.43	
89	PUNJAB	247084.38	3407.24	1.38	225350.78	4580.50	2.03	
· 6	RAJASTHAN	145303.97	57878.54	39.83	144349.47	38536.83	26.70	
10.	TAMIL NADU	77483.84	14775.00	19.07	78022.49	14940.00	19.15	
	TRIPURA	2392.59	1116.18	46.65	2579.41	1307.74	50.70	
12.	UTTAR PRADESH	271623.63	117920.10	43.41	245649.82	113654.43	46.27	
13.	WEST BENGAL	107019.55	27959.59	26.13	102511.17	27557.82	26.88	
	TOTAL A [1 to 13]	1788299.90	396912.56	22.19	1652274.84	385385.32	23.32	
B. Others	ners							
←	ASSAM *	865.46	800.12	92.45	865.46	800.12	92.45	
2.	BIHAR *	5344.80	5241.01	98.06	5344.80	5241.01	98.06	
რ	MADHYA PRADESH	N N	NR	N N	105351.70	90924.69	86.31	
4.	ORISSA	NR	NR N	NR	NR	NR	N N	5 A 2
	TOTAL B [1 to 4]	6210.26	6041.13	97.28	111561.96	96965.82	86.92	5th Innual 1014-1
Note:- ((1) * Position as on 31.03.2014 is considered for review as the data was not available at time of report finalisation. (2) NR denotes 'Not Reported'.	onsidered for rev	riew as the data	was not availab	ole at time of rep	ort finalisation.		Report 5

TABLE 7 - DEMAND, COLLECTION, BALANCE POSITION AS ON 30 JUNE 2014

(₹ Lakh)

,			AT AF	AT APEX BANK LEVEL	VEL		AT	ULTIMATE	AT ULTIMATE BORROWERS' LEVEI	ERS' LEVE		
	Name of SCARDB	Demand	Collection	Balance	Recovery (%)	As on 30.06.2013 Recovery (%)	Demand	Collection	Balance	Recovery (%)	As on 30.06.2013 Recovery (%)	
_	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12	
A. Ful	A. Fully Functional											
← :	GUJARAT	57670.70	24734.60	32936.10	42.89	45.22	57670.70	24734.60	32936.10	42.89	45.22	
5.	HARYANA	108846.90	34934.67	73912.23	32.10	37.61	167103.28	45818.16	121285.12	27.42	26.62	
33	HIMACHAL PRADESH	13609.04	98.9689	6772.18	50.24	47.40	11989.13	5216.95	6772.18	43.51	39.80	
4.	JAMMU & KASHMIR#	1452.18	581.91	846.87	40.07	33.95	1452.18	581.91	846.87	40.07	33.95	
5.	KARNATAKA	89900.18	37886.04	52014.14	42.14	36.40	69630.63	46716.62	23214.01	08.99	51.26	
9.	KERALA	116095.86	113688.65	2407.21	97.93	94.88	157462.93	118366.52	39096.41	75.17	72.62	
7.	PONDICHERRY	2096.67	1974.74	121.93	94.18	95.46	2096.67	1974.74	121.93	94.18	95.46	
8.	PUNJAB	62890.08	52971.10	9918.98	84.23	83.65	127744.27	77564.07	50180.20	60.72	63.57	
6	RAJASTHAN	53878.43	31028.80	22849.63	57.59	43.86	114893.13	41944.31	72948.82	36.51	37.90	
10.	TAMILNADU*	75083.69	56050.92	19032.77	74.65	98.69	77716.84	61825.07	15891.77	79.55	79.50	
Ξ.	TRIPURA	1623.00	882.75	740.25	54.39	62.30	1623.00	882.75	740.25	54.39	62.30	
12.	UTTAR PRADESH	220002.71	132143.64	87859.07	90.09	42.47	220002.71	132143.64	87859.07	90.09	42.47	
13.	WEST BENGAL	50764.83	14260.20	36504.63	28.09	57.21	58841.91	23701.01	35140.90	40.28	44.51	
	TOTAL A [1 to 13]	853914.27	507974.88	345915.99	59.49	53.18	1068527.38	581470.35	487033.63	54.42	48.74	
			201100	2000	St.:05		20001		20.000 101	1		
B. Others	ners											
1.	ASSAM	20.655	102.90	456.15	18.41	96'8	529.05	102.90	456.15	18.41	8.96	
2.	BIHAR	35933.11	2638.49	33294.62	7.34	6.41	35933.11	2638.49	33294.62	7.34	6.41	
	MADHYA PRADESH	119271.68	2662.21	116609.47	2.23	3.56	103129.64	7305.93	95823.71	7.08	9.84	C
4.	ORISSA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	N.	N.	
	TOTAL B [1 to 4]	155763.84	5403.60	150360.24	3.47	4.26	139621.80	10047.32	129574.48	7.20	8.89	
Note:-	- (1) # Collection includes waiver of interest (2) NR denotes 'Not Reported'. (3) * Position as on 31st March (F.Y. April -	s waiver of inte ported'. March (F.Y. Aț		JTAS & IRA	C norms h	under OTAS & IRAC norms however percentage excludes waived amount. March)	entage ex	cludes wa	aived amo	unt.		h ual Report 4-15



TABLE 8 - GENERAL ADMINISTRATIVE DATA

(Number)

Sr.	Name of SCARDB	Number of Branches (Unitary / Mixed Structures)		No. of PCARDBs (Federal / Mixed Structures)		No. of Branches of PCARDBs (Federal Structure)		Total Membership (Borrowings+ Non-Borrowings)	
No.		31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. F	ully Functional					ı	I	1	
1.	GUJARAT *	181	181	NA	NA	NA	NA	673488	673488
2.	HARYANA *	0	0	19	19	76	76	737978	737978
3.	HIMACHAL PRADESH	49	49	1	1	16	16	79905	77804
4.	JAMMU & KASHMIR	51	45	NA	NA	NA	NA	95239	94389
5.	KARNATAKA	25	23	177	177	0	0	1108472	1115943
6.	KERALA	14	14	63	63	175	175	1826175	1826175
7.	PONDICHERRY	1	1	NA	NA	NA	NA	17379	16951
8.	PUNJAB	0	0	89	89	0	0	839393	848248
9.	RAJASTHAN	7	7	36	36	133	133	1236932	1236932
10.	TAMIL NADU	0	0	180	180	0	0	1244656	1244656
11.	TRIPURA	5	5	NA	NA	NA	NA	22372	22796
12.	UTTAR PRADESH *	323	323	NA	NA	NA	NA	2915889	2915889
13.	WEST BENGAL	2	2	24	24	73	84	324555	324555
	TOTAL A [1 to 13]	658	650	589	589	473	484	11122433	11135804
В. О	thers	,		•		•	•		
1.	ASSAM *	28	28	NA	NA	NA	NA	45886	45886
2.	BIHAR *	131	131	NA	NA	NA	NA	701588	701588
3.	MADHYA PRADESH	7	7	38	38	261	262	105582	105582
4.	ORISSA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
	TOTAL B [1 to 4]	166	166	38	38	261	262	853056	853056

Note:- (1) * Position as on 31.03.2014 is considered for review as the data was not available at time of report finalisation.

(2) NA denotes 'Not Applicable'.

(3) NR denotes 'Not Reported'.

Conti...



TABLE 8 - GENERAL ADMINISTRATIVE DATA

(Number)

	Name of SCARDB	Borrowing Members		Whether SCARDB has elected Board (Yes/No)		Number of PCARDBs having elected Boards		Staff of SCARDBs (Number)		Staff of PCARDbs (Number)	
		31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	Fully Functional										
1.	GUJARAT *	673488	673488	Yes	Yes	NA	NA	406	406	NA	NA
2.	HARYANA *	217247	217247	Yes	Yes	19	19	93	93	1139	1139
3.	HIMACHAL PRADESH	25340	24320	Yes	Yes	1	1	107	111	59	60
4.	JAMMU & KASHMIR	76231	75381	No	No	NA	NA	248	148	NA	NA
5.	KARNATAKA	660673	673614	Yes	Yes	175	175	297	333	775	861
6.	KERALA	797800	797800	Yes	Yes	62	63	261	288	1177	1177
7.	PONDICHERRY	4209	4262	No	No	NA	NA	30	32	NA	NA
8.	PUNJAB	133857	174616	Yes	Yes	71	76	289	295	850	599
9.	RAJASTHAN	717967	717967	Yes	Yes	6	36	104	112	483	526
10.	TAMIL NADU	127450	127450	Yes	Yes	180	180	129	133	516	523
11.	TRIPURA	3663	4087	Yes	Yes	NA	NA	35	37	NA	NA
12.	UTTAR PRADESH *	2740936	2740936	Yes	Yes	NA	NA	2434	2560	NA	NA
13.	WEST BENGAL	262190	262190	No	No	NR	NR	112	109	564	564
	TOTAL A [1 to 13]	6441051	6493358	-	-	514	550	4545	4657	5563	5449
В.	Others										
1.	ASSAM *	4130	4130	Yes	Yes	NA	NA	217	217	NA	NA
2.	BIHAR *	215007	215007	Yes	Yes	NA	NA	495	495	NA	NA
3.	MADHYA PRADESH	105582	105582	No	No	1	34	220	249	1423	1423
4.	ORISSA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
	TOTAL B [1 to 4]	324719	324719	-	-	1	34	932	961	1423	1423

Note:- (1) * Position as on 31.03.2014 is considered for review as the data was not available at time of report finalisation.
(2) NA denotes 'Not Applicable'.
(3) NR denotes 'Not Reported'.

पचपनवीं वार्षिक रिपोर्ट 2014-15



राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक महासंघ मर्यादित

७०१, ७वी मंज़िल, बीएसईएल टेक पार्क, ए - विंग, रेल्वे स्टेशन के सामने, वाशी, नवी मुंबई - ४०० ७०३

टेलीफोन: (०२२)२७८१ ४११४, २७८१ ४४२६ फैक्स: ९१-२२-२७८१ ४२२५ ई-मेल: nafcard.org@gmail.com वेबसाईट: www.nafcard.org



राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास् बैंक महासंघ मर्यादित, मुम्बई की वार्षिक सामान्य निकाय बैठक

नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वर्ष 2014—15 के लिये राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक महासंघ की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक दिनांक 24 अगस्त 2015 की मध्यान्ह 1.00 बजे उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि., 10—मॉल एवन्यू, लखनऊ (226001) के सम्मेलन कक्ष में निम्नांकित कार्यों के सम्पादन हेतु आयोजित होगी :—

- 08 अगस्त 2014 को आर्किड, मुम्बई के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न महासंघ की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करने हेतु।
- 2. वर्ष 2014–15 के सम्प्रेक्षित खातों के लेखा विवरण पर विचार।
- वर्ष 2014–15 के अधिशेष का निस्तारण।
- 4. 31.03.2015 को समाप्त हुये वर्ष में लेखा परीक्षकों के लेखा के सांविधिक प्रतिवेदन पर विचार।
- 5. 31.03.2015 को लेखा सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन में लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के अनुपालन पर विचार।
- वर्ष 2014–15 के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार ।
- 7. वर्ष 2015—16 के लिये सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति तथा उनके शुल्क निर्धारण पर विचार।
- 8. वर्ष 2016–17 के लिये वार्षिक बजट पर विचार।

बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के प्रावधानों तथा महासंघ की उपविधियों के अनुरूप, सामान्य निकाय में महासंघ के प्रत्येक सदस्य बैंक का एक प्रतिनिधि, जो या तो अध्यक्ष अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा सदस्य बैंक के संचालक मण्डल का सदस्य, जिसे प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव द्वारा नामित किया गया हो, अथवा जहां प्रबन्ध समिति का गठन न हुआ हो, के सदस्य बैंक का प्रशासक अथवा जिस किसी भी नाम से उसे पुकारा जाता हो, से मिल कर बनेगा। तदनुसार सदस्य बैंक को सूचित किया जाता है कि वह महासंघ को सामान्य निकाय में भाग लेने वाले अपने प्रतिनिधि का नाम प्रबन्धक मण्डल के प्रस्ताव के साथ सामान्य निकाय की बैठक के कम से कम 10 दिन पहले सूचित करने का कष्ट करें।

प्रबन्ध समिति के आदेश के द्वारा

स्थान नवी मुम्बई **दिनांक** – 03.08.2015

हस्ताक्षरित / — (के.के.रविन्द्रन) प्रबन्ध निदेशक



।. आर्थिक परिदृश्य

- 2014—15 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की अपेक्षाकृत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ी है। 2011—12 के मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्ष 2012—13 में 5.1% तथा 2013—14 में हुई 6.9% के सापेक्ष वर्ष 2014—15 में 7.4% अनुमानित की गई थी। 2015—16 हेतु वृद्धि दर 8.1%— 8.5% की श्रेणी में अनुमानित की गई थीं।
- एक सशक्त राजनैतिक जनादेश द्वारा समर्थित सुधारों के सघनीकरण की पृष्ठभूमि पर मुद्रास्फीत में गिरावट का रुख तथा विदेशी कोष में जारी मजबूती तथा लचीलेपन के प्रवाह को देखते हुये आशा है कि अर्थव्यवस्था मध्यम अविध में सम्भावित दोग्नी अंक वृद्धि की ओर उन्मुख होगी।
- विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 2014—15 में सामान्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2.047
 ट्रिलियन अमेरिकी डालर और क्रय शक्ति समरूपता के आधार पर 7.277 ट्रिलियन अमेरिकी डालर था।
 भारतीय अर्थव्यवस्था अब विश्व में सबसे बड़ी, सामान्य रूप से सातवीं तथा क्रय शक्ति समरूपता के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- यद्यपि प्रति व्यक्ति आय, जो कि लोगों के जीवन स्तर का एक महत्वपूर्ण मापदण्ड है, के आधार पर, 2014 में भारत विश्व में सामान्य रूप से 1625 अमेरिकी डालर के साथ (गतवर्ष के 141वें स्थान सें हुये सुधार के बाद)
 131वें स्थान पर है तथा क्रय शक्ति समानता के आधार पर प्रति व्यक्ति 5777 अमेरिकी डालर की आय के आधार पर विश्व में (गतवर्ष के 130वें स्थान से हुये सुधार के उपरान्त) 121वें स्थान पर है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था अनेक गम्भीर समस्याओं से ग्रस्त है जिसके कारण विकसित देशों से वह काफी पीछे है।
 भावी पीढ़ी की प्रगति की सम्भावनाओं और उनकी आवश्यकता पूर्ति में कोई समझौता किये बिना वर्तमान पीढ़ी की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हुये आर्थिक विकास को संवहनीय बनाना देश के सम्मुख एक बहुत बड़ी चुनौती है।
- पर्यावरण की दृष्टि से आर्थिक विकास को उत्तरदायी ढंग से टिकाऊ बनाने के लिए भारत को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवायें तथा मूलभूत सुविधाओं में सर्वाधिक निवेश करने की आवश्यकता है। भारत में 200 मिलियन, 15 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के लोग हैं तथा लगभग 128 करोड़ लोग जो कि कुल आबादी का एक तिहाई हैं, में 20 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के लोग हैं। गुणात्मक शिक्षा और योग्यता के बल पर भारत अपने मानव संसाधन के विशाल भण्डार से प्रचुरमात्रा में लाभ अर्जित करने में सफल होगा। सुखद संकेत है कि सरकार द्वारा क्षमता विकास तथा रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था जिस नाजुक स्थिति से गुजर रही है वह है गरीबी, मूलभत संसाधनों की उपलब्धता तथा सामाजिक—आर्थिक विकास में तीव्र गति से बढ़ती भिन्नता। आय, साक्षरता दर, आयु सम्भाव्यता तथा



रहन—सहन की स्थितियों में गम्भीर असमानतायें राज्यों के मध्य विद्यमान हैं। पिछले एक दशक में आर्थिक विकास ने वस्तुतः गम्भीर असमानताओं को समाप्त करने के स्थान पर उनमें वृद्धि ही की है।

- हाल ही में सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राजस्व के विभाज्य पूल का 2010—2015 के दौरान दिये गये 32% के स्थान पर 2015—2020 के दौरान 42% राजस्व राज्यों को हस्तांतरित किये जाने की अपनी सहमति दे दी है। क्षेत्रीय विकास के मुद्दों को प्रभावी ढंग से निस्तारित करने के लिये राज्यों को अधिक सशक्त करने के लिये इसको क्रियान्वित किया जाना अपेक्षित है।
- भारत के आयात और निर्यात के मध्य बढ़ता अन्तराल दूसरी प्रमुख समस्या है। कच्चे तेल के मूल्य में गिरावट तथा स्वर्ण आयात पर लगाये गये प्रतिबन्ध 2014—15 के व्यापार घाटे में हुई वृद्धि दर को रोक सकते हैं। परन्तु भारत के मासिक आयात अभी भी इसके निर्यात की तुलना में लगभग 35% अधिक हैं। भारत का व्यापार घाटा इसके लगभग सभी प्रमुख व्यापार साझीदारों से है। 2014—15 (अप्रैल से फरवरी) में व्यापार घाटा 2013—14 में इसी अवधि के \$124.84 बिलियन अमेरिकी डालर की तुलना में \$125.22 बिलियन अमेरिकी डालर था। विनिर्माण क्षेत्र के ठहराव तथा चीन के सस्ते उपभोग्य आयात पर नियंत्रण कर पाने की असमर्थता ने व्यापार घाटे को बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान दिया।
- विनिवेश की दरों में ठहराव तथा विनिर्माण क्षेत्र की धीमी गित वृद्धि दर को पिछले पांच वर्षों में नीचे गिराने के प्रमुख कारण रहे। इस अविध में मुद्रास्फीत की दर भी ऊंची रहीं जिसने मौद्रिक एवं राजकोषीय उपायों से विनिवेश में वृद्धि को असम्भाव्य बना दिया। मुद्रा स्फीत दरों में गिरावट तथा मेक इन इण्डिया (भारत में निर्माण) नीति के अन्तर्गत चलाये जा रहे अभियान से विनिवेश वातावरण में आने वाले वर्षों में उल्लेखनीय सुधार होने की सम्भावना है।
- भारत का आर्थिक विकास सर्वाधिक कृषि पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र का विनिर्माण कार्यो एवं सेवा क्षेत्रों पर बहुत मजबूत प्रभाव है। कृषि क्षेत्र की 4% से ऊपर की सुसंगत वृद्धि दर को सकल घरेलू उत्पाद की 8% से अधिक की वृद्धि दर के लिये पूर्व अपेक्षित माना जाता है। यद्यपि उत्पादकता को बढ़ाने तथा कृषि उत्पादन में जोख़िम व अनिश्चितताओं का सामना करने के लिये नीतियों एवं कार्यक्रमों में किमयों को देखते हुए यह किठन चुनौती बनी हुई है।
- भ्रष्टाचार भारत की प्रगति को प्रभावित करने वाली व्यापक समस्याओं में से एक है। भारत ने 2014—15 में भ्रष्टाचार का समाधान करने में कुछ हद तक सफलता पाई तथा भ्रष्टाचार की अन्तर्राष्ट्रीय पारदर्शिता सूचकांक में 175 देशों के बीच अपनी स्थिति में सुधार करते हुये गत वर्ष इसे 94वें से नीचे 85वें क्रम पर ले आया है। भ्रष्टाचार इस क्षेत्र के देशों के लिये एक आम समस्या है। हमारे पड़ोस में चीन 100वें (गत वर्ष के 80वें क्रम से नीचे जाते हुये) स्थान पर पहुंच गया है, पाकिस्तान 126वें तथा बांग्लादेश 140वें स्थान पर है जब कि श्रीलंका, भारत के साथ 85वें और भूटान भ्रष्टाचार की सूची में अपेक्षाकृत इन सबसे बेहतर स्थिति में 30वें स्थान पर है।



II. कृषि-सामान्य परिदृश्य

- केन्द्रीय सांख्यकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय की 2011—12 के मूल्यों पर जारी की गई नई श्रृंखला के अनुसार 2013—14 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 18% है जिसे मौलिक रूप से 2004—05 के मूल्यों के आधार पर 13.9% अनुमानित किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के लिये निर्धारित 4% की वृद्धि दर के लक्ष्य के सापेक्ष 2011—12 के मूल्यों पर 2011—12 में 1.2%, 2013—14 में 3.7%, तथा 2014—15 में 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई।
- विगत तीन दशकों से सेवा एवं विनिर्माण क्षेत्र की उच्चतर वृद्धि दर के कारण सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है, यद्यपि देश की लगभग 70% जनसंख्या अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में रह रही है तथा उनमें से 60% अपनी जीविका के लिये पूर्णरूप से कृषि पर ही आश्रित हैं। इसलिये ग्रामीण जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार लाने के प्रयास तथा आय में वृद्धि के साथ बढ़ती हुई आबादी की खाद्य सुरक्षा की प्राप्ति भारत का कृषि का विकास का प्रमुख लक्ष्य है।
- भारत को कृषि का वैश्विक गढ़ कहा जाता है। यह दुग्ध, दाल और मसालों के उत्पादन में तथा पशुपालन व गेहूँ, कपास और गन्ना के क्षेत्र में पहले स्थान पर है। भारत चावल, गेहूँ, कपास, गन्ना, मछली, भेड़ तथा बकरे के गोश्त, फल, सब्जियां तथा चाय का विश्व में दूसरा सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। भारत के 195 मिलियन हेक्टेयर के कृषिगत क्षेत्र का 37% भाग सिंचित है जब कि अवशेष 63% भाग वर्षा पोषित है। देश का 65 मिलियन हेक्टेयर भू भाग वन से आच्छादित है।
- भारत के समक्ष उत्पादकता में वृद्धि तथा ग्रामीण गरीबी उन्मूलन की दो प्रमुख चुनौतियां हैं। भारत की कृषि उत्पादकता अर्थात प्रति हेक्टयर फसल उत्पादन विश्व में सबसे कम है। प्रति इकाई भूमि की कृषि उत्पादकता को बढ़ाना उत्पादन में वृद्धि का केवल एक मात्र उपाय है क्योंकि कृषियोग्य भूमि पर पहले से ही खेती की जा रही है। उत्पादन में वृद्धि, उच्च मूल्य की फसलों का चयन(उच्च मूल्य की फसलों की ओर परिवर्तन) तथा विपणन लागत को कम करने के लिये प्रभावशाली पूर्ति शृंखला का विकास आदि कुछ उपाय हैं जिनसे कृषि की उत्पादकता में तेजी से वृद्धि की जा सकती है।
- एक सामाजिक समावेशी नीति जो गरीबी उन्मूलन के लिये कृषि के साथ साथ अकृषि क्षेत्र के रोजगार दोनों को ध्यान में रख कर बनायी गयी हो को अपनाने की आवश्यकता है। विकास से गरीबों, भूमिहीन, महिलाओं, अनुसूचित एवं जनजाति के लोगों को लाभान्वित होना चाहिए।
- भारत की बहुसंख्यक गरीब जनसंख्या वर्षा सिंचित पूर्वी भारत के गंगा के मैदान क्षेत्र में निवास करती है जो मूलभूत संसाधनों की दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र नहीं है। इन क्षेत्रों के विकास के लिये देश के दूसरे हिस्सों में हो रहे कार्यक्रमों के अनुरूप विशेष कार्यक्रम होने चाहिए।



- गत 15 वर्षों में ग्रामीण गरीबी में कमी लाने की दर प्रति वर्ष 1% रही है जो निकट भविष्य में गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से नगण्य है।
- 70 के दशक की हरित क्रान्ति तथा 80 के दशक में कृषि में गहनता के उपरान्त भारत का कृषि विकास काफी कम हो गया है। 70 एवं 80 के दशक में कृषि का तीव्र विकास, ग्रामीण श्रम की मांग में वृद्धि तथा खाद्यान्न मूल्यों में गिरावट के फलस्वरूप हुई ग्रामीण मज़दूरी में हुई वृद्धि से ग्रामीण गरीबी कम हो सकती थी। फिर भी 90 व 2000 के वर्षों में लगभग 3.5% के प्रति वर्ष के औसत पर पहुंचती हुई कृषि वृद्धि दर नीचे आयी तथा 2000 में अनाज उत्पादन प्रतिवर्ष 1.4%दर पर नीचे गिर गया। भारत का चावल उत्पादन चीन का ठीक एक तिहाई तथा विएतनाम और इण्डोनेसिया का आधा है। दूसरे कृषि उत्पादों के संदर्भ में भी यही सच्चाई है। भारतीय कृषि को सुदृढ़ आधार निर्मित करने, अपेक्षाकृत अधिक उत्पादक विविध तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धामूलक बनाने के लिए नीतिगत कार्यवाही एवं कार्यक्रम अपेक्षित हैं।
- भारत सरकार ने 2007 में किसानों के लिये राष्ट्रीय नीति का अनुमोदन किया। नीति में भूमि, जल, पशु, मछली तथा जैविक संसाधन, समर्थन सेवायें एवं निवेश जैसे कि अग्रणी प्रौद्योगिकी का अमल, कृषि एवं जैविक सुरक्षा प्रणाली, अच्छे गुणात्मक बीजों की आपूर्ति, आपदामुक्त रोपण सामग्री, मिट्टी की उर्वरता तथा स्वास्थ्य में सुधार, एकीकृत कीट प्रबन्धन प्रणाली, महिलाओं के लिये समर्थन सेवा, जैसे कि बाल संरक्षण केन्द्र, पोषण एवं प्रशिक्षण इत्यादि तथा उचित ब्याज दरों पर संस्थागत ऋणों की सहज उपलब्धता एवं किसान अनुकूल बीमा उपकरण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का कृषि में उपयोग, कृषि प्रसार का पुर्नजीवतीकरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरे देश में प्रभावी क्रियान्वयन, कृषि विपणन के बुनियादी ढांचे का विकास, कृषक परिवारों के लिए ग्रामीण गैर कृषि रोज़गार की पहल, ग्रामीण ऊर्जा के लिये एकीकृत दृष्टिकोण इत्यादिके संदर्भ में सम्पत्ति सुधारों पर विचार किया गया है। यद्यपि किसानों पर राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत संस्तुत किये गये कार्यवाही बिन्दुओं का पूर्णरूप से अभी क्रियान्वयन किया जाना है।
- अभी हाल ही में सरकार ने इस क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने तथा संरचनात्मक किमयों को दूर करने के अनेक उपायों की घोषणा की हैं। सभी किसानों के लिये सचल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के साथ भूमि स्वास्थ्य पत्र के निर्गमन की योजना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, विनाशशील कृषि उत्पादों के मूल्यों की अस्थिरता को कम करने के लिए अनाज एवं सब्जियों के लिए मूल्य स्थिरता कोश की स्थापना, कृषि जिन्सों के लिए राष्ट्रीय बाजार के बनाने हेतु पहल के रूप में सामान्य ई—बाज़ार मंच के सृजन हेतु राष्ट्रीय एग्रीटेक इन्फ्रास्ट्रचर फण्ड की स्थापना आदि ये कुछ नये प्रस्ताव हैं।
- दूसरी महत्वपूर्ण पहल जलवायु परिवर्तन का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाने हेतु राष्ट्रीय अनुकूलन निधि की स्थापना करना है। प्रौद्योगिकी संचालित प्रोटीन क्रान्ति और स्वदेशी पशु नस्ल के विकास और



अन्तर्देशीय मत्यपालन विकास हेतु नीली क्रान्ति सहित द्वितीय हरित क्रान्ति पर निरन्तर ध्यान दिया जा रहा है।

 यद्यपि इन कार्यक्रमों के लिये आवंटित संसाधन निकट भविष्य में कोई स्पष्ट प्रभाव पैदा करने के लिये बहुत ही कम है।

III. ग्रामीण साख परिदृश्य

कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये ऋण के प्रवाह ने साल दर साल की औसत वृद्धि दर से गत दशक में 20% से अधिक पंजीकृत की जैसा कि निम्नांकित सारणी में दिया गया है :—

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां (करोड़ में)
2004-05	105000	125309
2005—06	141000	180486
2006-07	175000	229400
2007-08	225000	254658
2008-09	280000	287149
2009—10	325000	384514
2010—11	375000	468291
2011—12	475000	510029
2012—13	575000	607375
2013—14	700000	735000 (अनुमानित)
2014—15	800000	

2013—14 में कृषि हेतु कुल ऋण का 75% वाणिज्यिक बैंकों द्वारा तथा अवशेष, 15% के योगदान के साथ सहकारी बैंक और 10% के अंकन के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदत्त किया गया। यद्यपि ऋण में प्रतिवेदित वृद्धि कदाचित ही परिलक्षित हुई। भारत के 1540 मिलियन कृषि पर आश्रित परिवारों की आधी संख्या औपचारिक ऋण प्रणाली से बाहर हैं। साधारण किसान को अभी भी बैंकिंग प्रणाली से कठिनाई से ऋण मिल पाता है। ग्रामीण क्षेत्र भी वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं के बढ़ी संख्या में बन्द होने की प्रवृत्ति को भलीभांति देख रहे हैं। इन परिस्थितियों में किसी को भी सही अर्थों में प्रतिवेदित कृषि के लिये किये गये ऋण प्रवाह के सही होने पर संदेह हो सकता है। वास्तव में, भारतीय



रिज़र्व बैंक / नाबार्ड / वित्तीय सेवा विभाग सिहत किसी भी स्तर पर ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो कृषि क्षेत्र में वितरित किये गये ऋण के आंकड़ो की प्रामाणिकता को सिद्ध कर सके।

कृषि क्षेत्र में वितिरत ऋण के आंकड़ों में वाणिज्यिक बैंकों का प्रभुत्व होने के बावजूद 60% कृषकों के ऋणों का साधन निरन्तर सहकारी संस्थायें ही हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कुल ऋण का 10% तथा कुल ऋण लाभार्थियों का 20% को वितिरत कर कृषि वितरण के अपने योगदान में उल्लेखनीय वृद्धि की है। यह वास्तविकता है कि सहकारी संस्थायें एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दोनों मिलकर 80% कृषक परिवारों के ऋण को आच्छादित करते हैं और मात्र 20% कृषि ऋण वाणिज्यिक बैंकों के लिये छोड़ते हैं। स्पष्ट रूप से वाणिज्यिक बैंकों का किसानों को दिये गये प्रत्यक्ष ऋण प्रतिवेदित ऋण से काफी कम होना चाहिये। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा की जा रही कृषि ऋणों की इस अतिगणना ने सरकार की कृषि ऋण के लिये निर्धारित नीतियों को निष्प्रभावी कर दिया तथा कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिये सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों में सहकारी संस्थाओं के महत्व को बहुत तीवृता से नीचे गिरा दिया है।

कृषि ऋण में दूसरा प्रमुख मुद्दा 1990 से कुल ऋण प्रवाह में निवेश ऋण के अनुपात में भारी कमी होना है। इससे कृषि में पूंजी निर्माण की गित काफी धीमी हुई हैं। कृषि में सार्वजनिक निवेश केवल 25% रह गया है इस क्षेत्र में निवेश निजी पहल से अधिकांशतः बैंक ऋण के द्वारा ही प्रदत्त है। विगत 5 वर्षों में कृषि में सकल पूँजी निर्माण की औसत दर मात्र 15% रह गई है जो मुद्रास्फीत के समायोजन के उपरान्त इसकी आधी रह जाती है। सही अर्थों में कृषि में पूँजी निर्माण घिसी—पिटी परिसम्पत्तियों की स्थानापन्न आवश्यकताओं को भी आच्छादित नहीं करती, जिससे शुद्ध पूंजी निर्माण नकारात्मक बन जाता है। सकल पूंजी निर्माण को 10% अतिरिक्त बढ़ाये जाने की आवश्यकता है जिससे नकारात्मक शुद्ध पूंजी निर्माण को रोका जा सके।

यद्यपि इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार की नीतियां निरन्तर अत्यधिक प्रतिकूल रही हैं। प्रथमतः सरकार दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना, जो कृषि निवेश का एकमात्र विशिष्ट अभिकरण है, की सम्भावित भूमिका की लगातार उपेक्षा करती आ रही है। एलटीसीसीएस के पुनरुद्धारीकरण में बहुत अधिक विलम्ब कर दिया गया है जिससे इसकी किसानों की दीर्घकालीन ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने की सामर्थ्य प्रभावित हुई है। सरकार को वीटीएफ—।। द्वारा संस्तृत किये गये एलटीसीसीएस के पुनरुद्धार पैकेज को अविलम्ब लागू कर देना चाहिये।

निवेश ऋण पर भुगतान की जाने वाली ऊंची ब्याज दर दूसरा प्रमुख मुद्दा है जिस पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाना चाहिये। केन्द्र सरकार ने फसली ऋण को वहननीय सस्ती दर पर बनाये रखने के लिये कदम उठाये हैं। ब्याज में 3% की सहायता / छूट के उपरान्त फसली ऋण पर अधिकतम ब्याज दर 4% वार्षिक है। राज्य सरकारों द्वारा ब्याज में अतिरिक्त छूट / सहायता दिये जाने के उपरान्त फसली ऋण कुछ राज्यों द्वारा अब शून्य ब्याज दर पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। तो भी इन उपायों में कहीं भी कृषि निवेश के लिये दिये गये ऋणों पर कृषि ऋण की लागत को कम करने के लिये सुविधा नहीं प्रदान की गई है। निवेश ऋण के लिये नाबार्ड का पुर्नवित्त



सहयोग 10% वार्षिक ब्याज दर पर है जिससे अन्तिम ऋण लाभार्थी स्तर पर ऋण की लागत 13—14% वार्षिक हो जाती है। फसली ऋण और निवेश ऋण के बीच भारी अन्तर कृषि निवेश के लिये अत्यन्त निरुत्साहित करने वाला है।

सरकार ने नाबार्ड के साथ वाणिज्यिक बैंकों के कृषि में वितिरित ऋण की कमी के अंतर्गत 2014—15 में रु.5000 करोड़ का आवंटन करते हुये दीर्घकालीन ग्रामीण ऋण कोष की स्थापना की है। नाबार्ड इस कोष का उपयोग 5 वर्ष की अविध तक के लिये दिये गये ऋण के सापेक्ष 7.6% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश ऋण पुर्नवित्त के लिये कर रहा है। 2015—16 के लिये इस कोष का परिव्यय रु.15000 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। यद्यपि इसके तुरन्त बाद ही भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले ऋण के मानदण्डों में अभूतपूर्व उदारीकरण की घोषणा कर दी। इन उदारीत मानदण्डों के अन्तर्गत बैंक कृषि के लिये ऋण वितरण के अपने अनिवार्य लक्ष्य किसानों को बिना कोई अतिरिक्त प्रत्यक्ष ऋण दिये आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को ऋण दिये जाने की नई व्यवस्था के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंकों के कृषि ऋणों के अपने कोटे में शायद ही कोई कमी आये। इससे उनके द्वारा कमी के बाहर आरआईडीएफ, अल्पकालीन और दीर्घ कालीन गामीण ऋण कोषों सहित अनिवार्य कृषि ऋण वितरण में नाबार्ड के स्तर पर अनेक कोषों में दिखाये गये योगदानों में काफी कमी आयेगी।

कृषि वित्त पोषण, विशेषरूप से वर्षा—सिंचित परिस्थितियों में, जिसके अन्तर्गत कृषि जोत के अन्तर्गत कुल क्षेत्र का 63% क्षेत्र आता है, में भारी जोख़िम है। वर्तमान में, वित्त पोषण में आने वाली सारी जोख़िम ऋण वितरण करने वाली संस्थाओं द्वारा वहन की जाती है जिससे उनकी गैर निष्पादित आस्तियां उच्च स्तर पर फलीभूत होती हैं। एआरडी बैंको सिहत सहकारी साख संरचना की बड़ी संख्या में संस्थाएं जो मुख्य रूप से छोटे और सीमान्त किसानों की ज़रूरतों को पूरा करती हैं, की गैर निष्पादित आस्तियां सामान्य स्तर से सर्वथा बहुत अधिक हैं।

केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा लागू की गई ऋण माफी योजनायें जिनसे केवल कुसूरवार ऋणप्राप्तकर्त्ता लाभान्वित हुये हैं, ने आगे आने वाले समय के लिये भी ऋण वसूली के वातावरण को प्रदूषित कर दिया है। फसलों के अलावा कृषि भूमि परिसपत्तियों का बीमा किये जाने के लिये किसानों को कृषि बीमा के लिये सरकारी सहयोग बढ़ाया जाना चाहिये। सरकार को ऋण वसूली को विकृत करने वाली कार्यवाहियों से बचना चाहिये तथा एआरडी बैंको की वसूली प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने में निग्रह करना चाहिये। संस्थागत वित्त का अधिकांश भाग दक्षिण एवं उत्तर—पश्चिम के कुछ विकसित राज्यों को ही जाता है। फलस्वरूप भारत के पूर्वी और उत्तर—पूर्वी क्षेत्रों में कृषि विकास के लिये विशाल क्षमता होते हुये भी उन्हें पर्याप्त ऋण संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों के साथ प्रत्येक क्षेत्र के ग्रामीण समुदायों के मध्य में विषम ऋण वितरण का पता लगाना ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था की दूसरी प्रमुख चुनौती है।



IV. सहकारी दीर्घकालीन साख संरचना – विहंगावलोकन

भारत में ग्रामीण सहकारी साख प्रणाली दो अलग अलग धाराओं में विकसित हुई — अल्प कालिक एवं दीर्घ कालिक । दीर्घ कालिक साख संरचना का आरम्भ 1920 के प्रारम्भिक काल में किसानों को उनके पुराने ऋणों से मुक्त कराने हेतु, दीर्घ कालीन ऋण प्रदान कराने हेतु भूमि बंधक बैंक की स्थापना के साथ हुआ। पहला भूमि बंधक बैंक 1920 में पंजाब में स्थापित हुआ इसके बाद बड़ी संख्या में इस प्रकार के बैंक दूसरे प्रान्तों में स्थापित किये गये। मद्रास में ऋण पत्र निर्गमन को केन्दीकृत करने तथा प्राथमिक भूमि बंधक बैंकों से समन्वय स्थापित करने के लिये पहला केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक स्थापित किया गया। बम्बई बैंकिंग जांच समिति 1930 (बाम्बे बैंकिंग इन्क्वायरी कमेटी 1930) ने प्राथमिक ऋण समितियों के पास दीर्घ कालीन ऋण उपलब्ध कराने के संसाधनों की कमी का उल्लेख करते हुये दीर्घ कालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि बंधक बैंक की संरचना का सुझाव दिया। 1930 से 40 के दशक में पूरे देश में भूमि बंधक बैंको की तीव्र वृद्धि हुई जिनके कार्य व आकार की कोई समान संरचना नहीं थी। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने राज्यस्तरीय शीर्ष निकाय के साथ भूमि बंधक बैंको के पुर्नगठन तथा तालुका स्तर के प्राथमिक भूमि बंधक बैंको को इससे सम्बद्ध किये जाने का सुझाव दिया। समिति ने भूमि बंधक बैंको की कृषि के लिये निवेश साख में क्रिया कलापों को विविधीकृत करते हुये विकासात्मक भूमिका के लिये भी निर्दिष्ट किया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक लगभग सभी राज्यों में स्थापित किये जा चुके थे जिन्हें भूमि विकास बैंक के नाम से नवाज़ा गया तथा 80 के दशक में पुनः ग्रामीण अकृषि क्षेत्र में विविधीकृत करते हुये इन्हें ही राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक का नाम दिया गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय कृषि के विकास में कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। एसएआरडी बैंकों ने 60 एवं 70 के दशक में कृषि भूमि की उत्पादकता में वृद्धि कर विशेष रूप से लघु सिंचाई संसाधनों एवं कृषि यंत्रीकरण की सुविधायें प्रदान कर एक सराहनीय योगदान दिया। 80 तथा 90 के दशक में कृषि कार्य में पूँजी निर्माण के साथ ग्रामीण अकृषि क्षेत्र की योजनाओं में बड़ी मात्रा में वित्त पोषण का कार्य इन बैंकों द्वारा आरम्भ किये जाने से ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर दिये जाने के अलावा अपनी उपज के बेहतर मूल्य वृद्धि के माध्यम से अपनी आय वृद्धि का सुदृढ़ आधार मिला।

दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना में या तो निचले स्तर पर अपनी शाखाओं अथवा राज्य स्तरीय शीर्ष संस्था से सम्बद्ध प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों से संचालित 17 राज्यों के एससीएआरडी बैंक सिम्मिलित हैं। एक समन्वित संरचना बनाने हेतु 1995 में आंध्र प्रदेश एससीएआरडी बैंक का विलय आंध्रप्रदश राज्य सहकारी बैंक से कर दिया गया। छत्तीसगढ़ स्टेट कोआपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेण्ट बैंक का विलय भी अक्टूबर 2014 में छत्तीसगढ़ स्टेट कोआपरेटिव बैंक में कर दिया गया। 1960 के बाद बने राज्यों में अधिकतर राज्यों में दीर्घ कालीन साख के लिए पृथक संरचना के अभाव में, राज्य सहकारी बैंक ही कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में निवेश साख से सम्बन्धित क्रिया कलापों का भी संचालन करते हैं।



दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना (एलटीसीसीएस) के मुद्दे एवं चुनौतियां

एलटीसीसीएस को एक गैर स्त्रोत आधारित विशिष्ट अवधि के ऋण प्रदान करने वाली संस्था के रूप में आकल्पित किया गया। संरचना में राज्य एवं प्राथमिक कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक सम्मिलित हैं। इन संस्थाओं को बैंकिंग नियामक अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली बैंकों के रूप में कार्य करने का लाइसेन्स नहीं दिया गया है। फलस्वरूप इन्हें अन्य ग्रामीण वित्तीय संस्थानों (आरएफआई) की तरह आम लोगों से जमा लेने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। इन्हें अपने ऋण वितरण कार्यों के लिये भारी मात्रा में उधार के कोष पर निर्भर रहना पड़ता है। स्वतंत्रता से पूर्व अपने कार्यो के संचालन हेत् सरकार का कोष इनके वित्त पोषण का प्रमुख स्त्रोत था। भूमि विकास बैंकों के कार्यो के दीर्घ कालीन संसाधन जुटाने हेतु वर्ष 1961 में कृषि पुर्नवित्त निगम (एआरसी) की स्थापना की गई। वर्ष 1963 में कृषि पूर्नवित्त निगम (एआरसी) को एआरडीसी के रूप में नाम दिया गया। वर्ष 1982 में नाबार्ड की स्थापना होने तक भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि पुर्नवित्त विकास निगम (एआरडीसी) तथा कृषि ऋण विभाग(एसीडी) दोनों दीर्घ कालीन साख संरचना (एलटीसीसीएस) के कार्यों के लिये कोष की व्यवस्था करते थे। जुलाई 1982 में कृषि पूर्नवित्त विकास निगम (एआरडीसी) तथा कृषि ऋण विभाग(एसीडी) दोनों को मिलाकर नाबार्ड बनाया गया। तब से इस संरचना के ऋण वितरण कार्य संचालन हेत् नाबार्ड ही कोषों का प्रमुख स्त्रोत है। तथापि, वर्ष 2000 के प्रारम्भ से नाबार्ड द्वारा दिया जा रहा पुर्नवित्त सहयोग शनैः शनैः घटता जा रहा है। इससे एससीएआरडी बैंकों का ऋण संचालन गम्भीर रूप से प्रतिबन्धित हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों के एससीएआरडी बैंक जो शासकीय गारण्टी न मिल पाने अथवा पुर्नवित्त के लिए पात्रता की शर्तों को पूरा कर पाने में असफल रहने के कारण नाबार्ड से पुर्नवित्त प्राप्त नहीं कर सके, उन्हें संसाधनों के अभाव में ऋण वितरण कार्यों को निलम्बित करना पड़ा।

दीर्घ कालिक ऋण लेने वालों की अल्प अविध उत्पादन ऋण / कार्यशील पूँजी की आवश्यकता को पूरा कर पाने में असमर्थता, एआरडी बैंकों के कार्य संचालन की एक और प्रमुख कमी है। अधिनियम में प्रतिबन्ध के कारण, सामान्यतया एससीएआरडी बैंक अल्पकालीन ऋण वितरण के लिये स्वयं को विविधीकृत करने में अभी तक असमर्थ रहे हैं। हाल के वर्षों में, अधिकतर राज्यों में एआरडी बैंक सदस्यों की जमा एवं एनसीडीसी तथा बैंकिंग व्यवस्था से संयोजित निजी संसाधनों के माध्यम से दीर्घकालीन ऋण—प्राप्तकर्त्ताओं की अल्पकालिक ऋणों की मांग को भी पूरा कर रहे हैं।

भारी बकाया तथा शासकीय प्रायोजित योजनाओं में हानियां, अपने लेन—देन तथा जोख़िम लागत को पूरा करने के लिये पर्याप्त मार्जिन की अनुमित दिये बिना विनियमित ब्याज दरों की लम्बी अविध तथा 1990 में केन्द्र सरकार द्वारा ऋण माफी योजना का क्रियान्वयन तथा योजना के अन्तर्गत ऋणों की पूर्ण प्रतिपूर्ति किये बिना ऋणों को खारिज



करने के कारण दीर्घकालीन साख संरचना की संस्थाओं की वित्तीय उपलिख्यों में 90 के दशक से गिरावट आना प्रारम्भ हो चुका था। वस्तुतः उपर्युक्त कारणों से वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना (एसटीसीसीएस) को भी वित्तीय हानियां उठानी पड़ीं। जब कि वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना (एसटीसीसीएस) की क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा विभिन्न सुधार प्रक्रियाओं द्वारा 1990 में प्रारम्भ कर दी गई थी, एआरडी बैंकों की हानियों का क्षति पूरण अभी तक नहीं किया गया है। यद्यपि प्रो. वैद्यनाथन के नेतृत्व में एलटीसीसीएस के लिये गठित टास्क फोर्स—2 ने 2006 में पुनरुद्धार पैकेज जिसमें एआरडी बैंकों के पुर्नपूँजीकरण हेतु एक बार की सहायता केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा दिया जाना सम्मिलित है, की संस्तुति की है, जिसे आज तक क्रियान्वित नहीं किया गया है।

पुनरुद्धार पैकेज के लागू करने में अनपेक्षित विलम्ब ने संरचना की अपने सदस्यों की ऋण आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। इन असफलताओं के बावजूद संरचना—स्वरूप प्रासंगिक बना हुआ है तथा कुल कृषि ऋण के प्रवाह में निवेश ऋण के अनुपात में तेजी से आ रही गिरावट को रोकने के लिए इसके पुर्नजीवित किये जाने की आवश्यकता है। संरचना के पुनरुद्धार के लिए एससीएआरडी बैंकों तथा पीसीएआरडी बैंकों को कृषि क्षेत्र में पूँजी निर्माण संकेन्द्रित प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश में आत्म निर्भर, सदस्य संचालित, प्रभावी रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लिए वित्तीय सेवायें देने में सक्षम संगठन के रूप में रूपान्तरित किया जाना सम्मिलित है।

V. 2014–15 के दौरान फेडरेशन

वर्ष 1960 में राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक्स फेडेरशन(एनसीएआरडीबीएफ) की स्थापना कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकिंग क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। अपनी स्थापना के बाद फेडरेशन ने इस क्षेत्र की संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इसने प्रभावी समन्वय स्थापित किया है तथा सदस्य बैंकों के मध्य आपसी समझ को प्रोत्साहित किया है तथा केन्द्र तथा राज्य सरकार, नाबार्ड एवं एससीएआरडी बैंकों को पूर्नवित्त पोषण करने वाली संस्थाओं के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखा है।

फेडरेशन की अन्य गतिविधियों में — संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन, अनुसंधान अध्ययन कराना तथा अपने नियोजन अनुसंधान एवं विकास (पीआरडी) प्रकोष्ठ के माध्यम से योजना एवं कार्यक्रमों का निर्माण, सदस्य बैंकों के क्रिया कलापों सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन, अध्ययन दलों का प्रायोजन, ऋण पत्रों के निवेश में सहसमन्वय करना, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, प्रचार कार्य, संचालन एवं प्रशासन से सम्बन्धित मामलों में मार्गदर्शन एवं सलाह देना है। गत 54 वर्षों से फेडरशन द्वारा प्रकाशित कराये जा रहे त्रैमासिक लैण्ड बैंक जरनल ने विशेष ख्याति अर्जित की है। फेडरेशन अपने सदस्य बैंकों को नये उत्पाद की रूपरेखा बनाकर व्यवसाय के विकास तथा प्रसार में भी सहायता प्रदान करता है।



2014—15 के दौरान फेडेरशन की गतिविधियों के महत्व वाले क्षेत्र थे, (i) पुनरुद्धार पैकेज तथा सुधारों के क्रियान्वयन के लिए शासन व सरकार से पैरवी करना, (ii) सुधार की पहल में एससीएआरडी बैंकों का मार्ग दर्शन करना, (iii) सदस्य बैंको को संसाधन जुटाने, वसूली प्रबन्धन तथा व्यापार संवर्धन व विविधीकरण में मार्गदर्शन एवं सहयोग देना।

पैरवी करना

- (i) वर्ष के दौरान पुनरुद्धार पैकेज की मांग पैरवी अभियान का प्रमुख केन्द्र बिन्दु बनी रही। दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना के लिए पुनरुद्धार पैकेज दिए जाने की संस्तुति वैद्यनाथन टास्क फोर्स द्वारा 2006 में की गई थी। भारत सरकार ने अपने 2008—09 के बजट में इसके क्रियान्वयन की घोषणा भी की थी तथा केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने पुनरुद्धार योजना का अनुमोदन फरवरी 2009 में कर दिया था। फिर भी योजना को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। पैकेज के क्रियान्वयन में विलम्ब के कारण एआरडी बैंकों की वित्तीय कमज़ोरियां और अधिक विकृत हो गई जिसने उनकी 134 लाख किसानों को, जो सामान्य रूप से, अपनी भूमि के एआरडी बैंकों के पक्ष में पूर्व से बन्धक होने के कारण, किसी अन्य संस्था / एजेन्सी से ऋण प्राप्त नहीं कर सकते थे, को ऋण उपलब्ध करा पाने की क्षमता को तीव्रता से कम कर दिया। इन किसानों के सम्मुख उत्पन्न ऋण संकट से निदान का केवल एक मात्र उपाय है— प्रस्तावित पैकेज को लागू करना। दीर्घकालीन साख संरचना जिसका नेटवर्क 2600 आउटलेट है यदि पुनरुखान किया जाता है तो परिव्यय में वार्षिक ऋण वितरण को रु.5000 करोड़ के वर्तमान स्तर से थोड़े समय में ही कम से कम पांच गुना बढ़ाने की क्षमता है।
- (ii) इसके सभी हितधारकों के मध्य आम सहमित है कि एआरडी बैंकों को उनके एक ही उत्पाद में काम करने वाले गैर संसाधन आधारित ऋण वितरक की रूप—रेखा स्वरूप की किमयों को जानते हुये बैंकिंग रेगयूलेशन एक्ट 1949 की परिधि में लाया जाना चाहिये। वैद्यनाथन टास्क फोर्स ने भी इन संस्थाओं को बैंक के रूप में रूपान्तरित किये जाने की आवश्यकता का समर्थन किया है तथा यह सुझाव दिया है कि नियामक संरचना की उन संस्थाओं को बैंकिंग लाइसेन्स देने पर विचार कर सकता है जो उसके लिये निर्धारित आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं। हमने भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को एआरडी बैंको को बैंकिंग लाइसेन्स दिये जाने के लिये उचित मापदण्ड विकसित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिये प्रस्तावित किया है।

फसली ऋणों के लिये भारत सरकार द्वारा लागू की गई ब्याज अनुदान योजना वर्तमान में एआरडी बैंकों से फसली ऋण लेने वाले कृषकों पर लागू नहीं होती है। फेडरेशन एससीएआरडी बैंकों को उस सूची में जिसमें फसली ऋण पर ब्याज अनुदान लागू की गई है, में सम्मिलित करने के लिये लगातार वित्त मंत्री के समक्ष इस मुद्दे पर विचार करने हेतु प्रस्तुत करता रहा है।

फेडरेशन ने फसली ऋण की तरह ही कृषि के निवेश ऋण हेतु ब्याज अनुदान योजना का प्रारम्भ करने हेतु प्रस्ताव भेजा है जिससे कि कृषि में पूँजी निर्माण के लिये दीर्घ कालीन ऋण की लागत को कम किया जा सके।



सुधारों की पहल

सुधारों की पहल हेतु कोरग्रुप (सीजीआरआई)

फेडरेशन के दिशा निर्देश पर आधारित, एससीएआरडी बैंकों द्वारा दिसम्बर 2012 में सुधारों की पहल हेतु बनाये गये कोर ग्रुप (सीजीआरआई) की वर्ष के दौरान नियमित बैठकें आयोजित की गई। वर्ष के दौरान सीजीआरआई के क्रियाकलाप पंजाब, केरल, गुजरात तथा कर्नाटक में उल्लेखनीय रहे। सीजीआरआई ने चालू वर्ष, सामान्यरूप से बुनियादी स्तर पर सुधारों के सघनीकरण पर संकेन्द्रित किया। सीजीआरआई द्वारा वर्ष के दौरान आरम्भ किये गये विगत सुधारों की समीक्षा तथा प्रत्येक राज्य के लिये विशेष सुधारात्मक कार्यवाही करने के अलावा निम्नांकित प्रमुख उपक्रम किये गये:—

- (i) सुसंगत नीतियों को रखने और प्रत्येक स्तर पर शामिल अधिकारियों के प्राधिकार एवं जवाबदेही की सु—प्रलेखित प्रक्रिया तैयार कर सभी महत्त्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों के नियम संग्रह (मैनुअल) तैयार करना।
- (ii) एससीएआरडी बैंकों की श्रेणी को प्रभावित करने वालें नाजुक क्षेत्रों की पहचान तथा सुधारात्मक कार्यवाही करना। गैर निष्पादित आस्तियों के अलावा लाभप्रदता को अधिकांश राज्यों में एससीएआरडी बैंकों की श्रेणी को प्रभावित करने वाली एक नाजुक कारक के रूप में देखा गया है। बकाया किस्तों पर ब्याज वसूल न करने तथा जबिक पुनर्वित्त पर ब्याज दर में आगामी वृद्धि लागू की जाती है, वितरित ऋण की ब्याज दर में संशोधन न कर पाने में असफलता सिहत दोषपूर्ण मूल्य नीति के कारण लाभप्रदता बहुत ही न्यून अथवा नकारात्मक है। एआरडीबी बैंकों में एनपीए स्तर, अतिदेयों के स्तर से विषमतापूर्ण रूप से ऊंचा है। 31 मार्च की निर्दिष्ट तिथि से पहले परिसम्पत्ति वर्गीकरण के लिये एनपीए के रूप में वर्गीत किये जा रहे ऋण से बचने के लिये पिछली बकाया किश्तों को जमा कराने में अधिकांश बैंकों के प्रयासों में कमी देखी गई है। ऐसा देखा गया है कि यदि एआरडी बैंक अपना वार्षिक वसूली अभियान अप्रैल के स्थान पर जनवरी में करें तो एनपीए को बड़े पैमाने पर नीचे लाया जा सकता है।
- (iii) जमा संग्रहण पर, सीजीआरआई ने वर्ष के दौरान मुख्य रूप से निम्नांकित पहलुओं पर संकेन्द्रित किया:—
- ऋण प्राप्त कर्त्ता—सदस्यों द्वारा बचत खाता खोले जाने को सुनिश्चित करना।
- बकाया जमा में अनुकूल वृद्धि सुनिश्चित करने के लिये प्रचार एवं प्रोत्साहन।
- (iv) <u>ऋण एवं अग्रिम</u> नेटवर्क में विस्तार, पहुँच एवं सदस्यों में वृद्धि, अल्पकालीन ऋण उत्पादों का आरम्भ, ऋण प्रार्थनापत्र के जोखिम मूल्यांकन को आरम्भ करने के साथ जोख़िम प्रबन्धन को सशक्त करना, जोख़िम टीम का गठन आदि पर विशेष ध्यान दिया गया।



सुधारों पर राज्य स्तरीय सेमिनार

सुधारों पर राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन करना फेडरेशन की वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण गतिविधि रही। इन संगोष्ठियों में एससीआरडी बैंकों के सिचवों एवं शाखाओं के प्रभारी प्रबन्धक व एससीएआरडी बैंकों के क्षेत्रीय / जिला प्रबन्धक जो बुनियादी स्तर पर आन्तरिक सुधारों हेतु चलाये जा रहे अभियान के प्रधान कार्मिक है, सिम्मिलित हुये। इन संगोष्ठियों में मुख्य रूप से सीजीआरआई द्वारा निर्णीत संसाधनों को जुटाने के लिये अवसर विस्तार करने, वसूली प्रणाली में सुधार तथा इसे और अधिक प्रभावी बनाना, कार्मिकों की कार्य क्षमता निर्माण तथा प्रबन्धकीय सामर्थ्य में विस्तार, शासन में सुधार, प्रौद्योगिकी अंगीकार करने / उन्नयन तथा व्यवसाय विस्तार एवं विविधीकरण आदि की कार्य योजनाओं पर विचार किया गया।

संगोष्ठियों में उदघाटन सत्र से प्रारम्भ हो कर विषयगत सत्र तक स्तरीय कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार हैं :—(i) सुधारों का स्वरूप (ii) ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था का नीतिगत परिवेश (iii) वसूली नीतियां और एनपीए न्यूनीकरण अभियान (iv)मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण —एआरडी बैंकों के लिये चुनौतियां (v) जमा संग्रहण एवं (vi) सदस्य सान्निध्यता विस्तार के लिये अनुभव सहभाजन तथा ग्राहक सेवा। राज्य स्तरीय संगोष्ठी का उद्घाटन नाबार्ड के चेयरमैन डा. हर्ष कुमार भानवला द्वारा 12 अगस्त 2014 को कोचीन में केरल की संगोष्ठी संयोजन के साथ किया गया। दूसरे राज्यों के उद्घाटन सत्रों में उच्चाधिकारी, मंत्री, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड के प्रभारी अधिकारी —क्षेत्रीय अधिकारी, प्रमुख सचिव सहकारिता तथा निबन्धक सहकारी समितियां आदि ने भाग लिया।

फेडरेशन ने प्रत्येक विषयगत सत्र के लिये विस्तृत पृष्ठभूमि टिप्पणियां तैयार कीं। सत्रों का मार्गदर्शन फेडरेशन, नाबार्ड, एनसीसीटी आदि के संसाधन विशेषज्ञों द्वारा किया गया। राज्य स्तरीय संगोष्ठियों का आयोजन वर्ष में छः राज्यों के लिये सम्पन्न हुआ जिनका विवरण नीचे दिया है:—

एससीएआरडी बैंक का नाम	নিখি	स्थान(शहर)
केरल	12 अगस्त 2014	कोचीन
राजस्थान	4 सितम्बर 2014	जयपुर
गुजरात	23 सितम्बर 2014	अहमदाबाद
कर्नाटक	17 अक्टूबर 2014	बैंगलोर
पंजाब	7 नवम्बर 2014	चण्डीगढ़
तमिलनाडु	29 दिसम्बर 2014	चेन्नैई

इन संगोष्ठियों में उभर कर आयी प्रमुख सिफारिशें एवं सुझाव क्रमवार रूप से नीचे दिये गये है :--



सुझाव एवं सिफारिशें

संसाधन जुटाना

- एससीएआरडी बैंकों को अपनी श्रेणी सुधारने का प्रयास करना चाहिये जिससे निवेश ऋण पुनर्वित्त हेतु नाबार्ड की पात्रता बनी रहे तथा दीर्घ कालीन वाले ऋणी सदस्यों की अल्पकालीन ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एनसीडीसी / एसटीसीसी / वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालीन उधारग्रहीता हेतु सम्पर्क बनाये रखना चाहिये।
- जमा संगहण में तीव्रता।

व्यवसाय विकास तथा विविधीकरण

- ग्राहकों की हर प्रकार की वित्तीय आवश्यकता सेवाओं को पूरा करने के लिये व्यवसाय विविधीकरण।
- ऐसे ऋणी सदस्य जो नियमित रूप से अपने ऋण की अदायगी कर रहे हैं, प्रतिभूति के रूप में पहले से ही उनकी बन्धकग्रस्त भूमि पर निवेश ऋण लाभार्थियों की अल्पकालीन आवश्यकताओं के लिये नगद ऋण सीमा की स्वीकृति।
- आय में वृद्धि तथा ऋण जोख़िम को कम करने के लिये मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण को प्रोत्साहन।
- जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिये किसानों की सहायता हेतु कृषि—वानिकी, ग्रीनहाउस (पौध गृह) के वित्तपोषण, न्यूनतम विद्युत शक्ति जल सक्षम सिंचाई यंत्रों, जैविक खेती, एकीकृत कीट नियंत्रण आदि के वित्तपोषण को प्रोत्साहन।

वसूली एवं एनपीए प्रबन्धन

- एससीएआरडी बैंकों को दुराग्रही और गैर इरादतन बकायेदारों का वर्गीकरण तथा दुराग्रही बकायेदारों के मामलों में विधिक प्रक्रिया को पूरा करने वाले वसूली उपायों को लागू करना चाहिये।
- ऋण की प्रतिभूति के रूप दी गई सम्पत्ति की बिक्री का नोटिस जारी करने तथा विधिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिये बैंक के विधिक सलाहकारों को कार्य पर लगाया जाना।
- दूसरे जनपदों के प्रत्याशित क्रेताओं को बन्धकग्रस्त भूमि की नीलामी में शामिल करने के हेतु विक्रय तथा क्रेताओं की पहचान करने के लिये राज्य स्तरीय प्रचार।
- जिन प्रकरणों में आवश्यक है वहां गैर इरादतन बकायेदारों के ऋण का पुर्निर्निधारीकरण एवं किश्तों की धनराशि को कम करने के साथ अवधि विस्तार।



- एनपीए कम करने के लिये विशेष अभियान चलाना।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार ऋणी सदस्य द्वारा वित्तीय व्यवहार्यता और पुर्नभुगतान की यथोचित निश्चितता के स्तर के आधार पर व्यक्ति अथवा खण्ड स्तर पर संकट की स्थिति में पुर्नभुगतान के आधार ऋण का पुनर्गठन।

कम्प्यूट्रीकरण

- सभी क्रियाशील एससीएआरडी बैंकों को अपने कार्य कम्प्यूटीकृत करने के लिये तत्काल कदम उठाने चाहिए।
- यह सुझाव दिया गया कि कम्प्यूट्रीकरण के लिये अग्रिम रूप से बहुत बड़े निवेश करने के स्थान पर विकसित साफ्टवेयर डाटा सेण्टर तथा कनेक्टीविटी सेवाओं सिहत बैंकों को प्रयोज्यता सेवा प्रदाता के कोर बैंकिंग समाधान कार्य में लगाने के विकल्प पर विचार करना चाहिये।

नेटवर्क का विस्तार

 नेटवर्क के विस्तार के लिये, कम लागत वाले नमूने की शाखा (शाखा का माडल) विकसित करें जो अत्यन्त छोटी शाखा हो, जिनमें दो से तीन कर्मियों का स्टाफ हो तथा अभ्यन्तर ग्रामीण शाखायें खोली जायें जो सप्ताह में तीन दिन कार्य करें जिससे कि एक शाखा के लिये निर्धारित कर्मी—समूह नज़दीक की दो गांवों की शाखाओं का कार्य कर सके।

मानव संसाधन

 अधिकतर राज्यों में संरचना, बैंक स्टॉफ की भारी कमी के कारण व्यवसाय बढ़ा पानें व वसूली के प्रयास तेज कर पाने और जमा संग्रहण कार्यक्रम चला पाने में असमर्थ है। बैंकों को परिमाण एवं गुणात्मकता में मानव संसाधन वृद्धि के तत्काल प्रयास करने चाहिए।

प्रमुख सचिवों (सहकारिता) तथा निबन्धक सहकारी समितियों की द्वितीय संगोष्ठी

20 नवम्बर 2014 को फेडरेशन ने तिरुअनन्थपुरम में प्रमुखसचिव (सहकारिता) तथा निबन्धक सहकारी समितियों की संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी का उद्घाटन केरल के माननीय मुख्यमंत्री श्री ओमेन चन्डी द्वारा किया गया। संगोष्ठी, जिसमें सरकार और 11 राज्यों के एससीएआरडी बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, में एआरडी बैंकों में विधिक तथा नीतिगत परिवेश सृजित करने तथा सामान्यरूप से कार्यप्रणाली में सुधार लाने हेतु अनेक महत्वपूर्ण संस्तुतियां की गईं। संगोष्ठी में की गई प्रमुख सिफारिशें नीचे सूचीबद्ध हैं।



केन्द्रीय सरकार सम्बन्धी संस्तुतियां

- वैद्यनाथन टास्क फोर्स द्वारा संस्तुत पुनरुद्धार पैकेज का बिना किसी देरी के कार्यान्वयन।
- एआरडी बैंकों को बैंकिंग लाइसेन्स देने के लिये उपयुक्त नीति निर्धारित करना।
- एआरडी बैंकों से फसली ऋण लेने वाले किसानों के लिये ब्याज अनुदान योजना का प्रभावी विस्तार कराना।
- किसानों के लिये निवेश ऋण पर ब्याज अनुदान योजना को आरम्भ कराना।

राज्य सरकार से सम्बन्धित संस्तृतियां

- एससीएआरडी बैंकों को गारण्टी देने में प्राथमिकता।
- गारण्टी शुल्क माफ करना अथवा इसे न्यून दर पर रखना यदि छूट सम्भाव्य नहीं है।
- नाबार्ड द्वारा दिये जाने वाले पुर्नवित्त में कमी को पूरा करने के लिये एससीएआरडी बैंकों द्वारा निर्गमित ऋणपत्रों
 पर भारत सरकार के अनुकूल अंशदान कर पर्याप्त बजट आवंटन का प्रावधान।
- स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीयन शुल्क को कुछ राज्यों द्वारा माफ किया जाना अभी बाकी है।
- बैंक में क्रियान्वित की जा रही ऋण प्रलेखों की प्रणाली को आरम्भ करना तथा ऋणी सदस्य को सम्मिलित किये
 बिना उसे सब-रिजस्ट्रार के पास रिजस्ट्रेशन हेतु भेजना, जिसे कुछ राज्यों द्वारा अभी आरम्भ किया जाना शेष
 है।
- दुराग्रही बकायेदारों के पिरप्रेक्ष्य में विधिक वसूली उपायों पर आरोपित प्रतिबन्धों को समाप्त करना।
- एआरडी बैंकों द्वारा वसूली एजेन्ट नियुक्त किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किया जाना।
- कुछ राज्यों द्वारा अभी भी बैंक अधिकारियों को भूमि विक्रय का अधिकार प्रदान करना शेष है।
- हरियाणा, राजस्थान और हिमांचल प्रदेश सिहत कुछ राज्यों द्वारा एआरडी बैंको को जमा राशि स्वीकार करने की अनुमित दिया जाना।
- सदस्यों की अल्पकालीन ज़रूरतों के लिये दिये जाने वाले ऋण की व्यवस्था को लागू करने के लिये कुछ राज्यों के एआरडी बैंकों के अधिनियम में संशोधन अपेक्षित है।
- सरकार द्वारा एक बार स्टाफ पैटर्न (स्वरूप) को निर्धारित और भर्ती प्रक्रिया के अनुमोदन के बाद स्टाफ की भर्ती के लिये अलग से अनुमोदन की आवश्यकता से बचा जा सकता है।



एससीएआरडी बैकों से सम्बन्धित संस्तृतियां

- एससीएआरडी बैंक जलवायु परिवर्तन से निपटने के अनुकूलन रणनीति के हिस्से के रूप में कृषि वानिकी, ग्रीन हाउस, न्यून ऊर्जा जल बचत सिंचाई प्रणाली, जैविक खेती, जैविक खेती आदि हेतु गुणात्मक वस्तुओं का निर्माण एवं आपूर्ति जैसे प्रयोजनों का वित्तपोषण बढ़ायें।
- एससीएआरडी बैंक खरीद, भण्डारण, प्रसंस्करण, ब्रांण्डिंग, पैकेज करने तथा थोक विक्रय आदि की फसल कटाई के बाद के कार्यों को छोटे एवं सीमान्त कृषकों द्वारा सहकारी समिति / उत्पादक कम्पनियों के बनाये जाने को प्रोत्साहित करना।
- एससीएआरडी बैंक एकान्तर दिवस पर दो अथवा तीन स्टाफ कर्मियों से संचालित अति लघु शाखाओं को खोल कर दीर्घ कालीन सहकारी साख समितियों के फुटकर बिक्री केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करें।
- अल्पकालीन ऋण तथा गैर निधि व्यवसायों के लिये व्यवसाय में विविधता उत्पन्न करना।
- एससीएआरडी बैंकों को मात्रा एवं गुणवत्ता के परिप्रेक्ष्य में मानव संसाधन में किमयों को दूर करने के लिये कदम उठाने चाहिये।
- एससीएआरडी बैंकों को बिना कोई विलम्ब किये सभी कार्यो को कम्प्यूट्रीकृत करना चाहिये।
 फेडरेशन ने उक्त संस्तुतियों को क्रियान्वित कराये जाने की स्थिति की जांच हेतु सम्बन्धित अभिकरणों को अग्रेषित कर दिया है।

बैंकिंग कार्यप्रणाली के लिए तत्परता को बढ़ाना

10 जनवरी 2015 की अपनी संचालक मण्डल की बैठक में एआरडी बैंकों में बैंकिंग कम्पनी की सम्भाव्यता के प्रोत्साहन का परीक्षण करने के लिये केरल, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश के एससीएआरडी बैंकों तथा एपकोब के प्रतिनिधियों की एक उप समिति का गठन किया गया। उप समिति की पहली बैठक 16 फरवरी 2015 को हैदराबाद में सम्पन्न हुई। बैठक में बैंकिंग कम्पनी की सम्भाव्यता के प्रोत्साहन के लिये निम्नांकित के परिप्रेक्ष्य में जांच की गई:—

- (i) क्या इसे अधिनियम एवं उपनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकृति दी गई है?
- (ii) क्या यह लाभ एवं उपयोगिता की दृष्टि से एआरडी बैंकों और उसके सदस्यों के लिये आवश्यक है?
- (iii) अपेक्षित पूँजी बढ़ाने में संरचना की सामर्थ्य।



उप समिति ने पाया कि एआरडी बैंकों को या तो प्रत्यक्ष रूप से या अनुषंगी अथवा संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से, जो उनके व्यापक उद्देश्यों को पूरा करने के लिये आवश्यक प्रतीत हो, कार्य सम्पन्न करने अधिनियम और उप नियमों में सक्षम बनाने के लिये प्रावधान हैं। इसके अतिरिक्त प्रमुख सचिवों और निबन्धक सहकारी समितियों की दूसरी संगोष्ठी में भी इस प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया तथा यह सुझाव दिया गया कि फेडरशन को एससीएआरडी बैंकों द्वारा एक छोटे वित्त बैंक (एसएफबी) की सम्भावनाओं के प्रोत्साहन की भी जांच करनी चाहिए।

बैंकिंग कम्पनी को प्रोत्साहित किये जाने के लाभ

यह देखा गया कि संरचना के स्वामित्व में बैंक कम्पनी को प्रोत्साहित किये जाने से एआरडी बैंकों और उसके कृषक सदस्यों को निम्नांकित लाभ होंगे।

- (i) सदस्यों को एसएफबी के व्यवसायिक अभिकर्ता के रूप में बैंक के ग्राहक खोने की जोख़िम के बिना ऐसी सेवायें प्रदान करने वाले प्राथमिक बैंकिंग सेवायें देना तथा उनकी अल्पकालिक उत्पादक तथा पूँजीगत माँगों को पूरा करने वाली सेवायें उपलब्ध कराना।
- (ii) एसएफबी, निवेश साख के ऋणी सदस्यों को विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा ब्याज अनुदान सहित फसली ऋणों का अनुमार्गण (राउटिंग) कराने में मदद करता है।
- (iii) एससीएआरडी बैंकों के एसएफबी के इक्विटी में निवेश, एसएफबी को ध्यान में रखते हुये तथा एसएफबी का कुछ समय में विश्वव्यापी बैंक की श्रेणी में होने की सम्भाव्यता से अच्छे लाभ मिलने की सम्भावना है।
- (iv) एक प्रोत्साहक / संरक्षक के रूप में, एससीएआरडी बैंकों को बैंक शासन व्यवस्था का अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा जिससे जब वे पूर्ण बैंक हो जायेंगे, उन्हें अपने व्यावसायिक कार्यों को पुर्नगठित करने में सहायता मिलेगी।

न्यूनतम पूँजी बढ़ाने की संरचना की क्षमता

संगोष्ठी में पाया गया कि एसएफबी के लिये न्यूनतम रु.100 करोड़ की पूँजी की आवश्यकता को वित्तीय रूप से सुदृढ़ एससीएआरडी बैंकों के दीर्घ कालीन निवेश के लिये रखे अपने निजी कोष के सहयोग से, निजी कोष के लिये अपेक्षित की तरलता तथा अनुग्रह अविध को प्रभावित किये बिना, पूरा किया जा सकता है। बड़े पैमाने पर यह सहमति व्यक्त की गई कि न्यूनतम पूँजी की आवश्यकता को केरल, पंजाब, गुजरात तथा उत्तरप्रदेश से पूरा किया जा सकता है जिसे आगे अन्य एससीएआरडी बैंकों से सम्बंधित किया जायेगा। संगोष्ठी में भारत के बाहर सहकारी बैंकों में एक प्रमुख बैंक के इक्विटी में सहभागिता सिहत वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग में प्रवेश करने की सम्भावनाओं का पता लगाने का भी निर्णय लिया गया।



संगोष्ठी ने प्रारम्भिक कार्यों को 2015 के अन्त से पहले पूरा करने का निर्णय लिया जिससे सम्भावित बैंकिंग कम्पनी एसएफबी लाइसेन्स के लिये उस समय आवेदन कर सके जब भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 2016 में एसएफबी लाइसेन्स के लिये आवेदन फिर से खोले।

एआरडी बैंकों का पुनर्गठन

एआरडी बैंक व्यवस्था, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवा के एक सौ वर्ष पूरे कर रहा है। संरचना को भारतीय कृषि के पूँजी निर्माण में सुदृढ योगदान तथा भारतीय कृषि में हिरत क्रान्ति में उल्लेखनीय भूमिका अदा करने पर गर्व है। 1980 तक केवल एआरडी बैंक ही कृषि में निवेश ऋण देने वाली एकमात्र संस्थागत ऋण संस्था थी। एआरडी बैंक कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम(एआरडीसी) के मार्गदर्शन में परियोजना के आधार परकुओं/नलकूप/भूमि विकास/बागवानी/कृषि यंत्रीकरण के लिये वित्तपोषण के प्रवर्तक थे। वास्तव में, 1980 तक वाणिज्यिक बैंकों के पास कृषक स्तर पर कृषि विकास के लिये वित्त पोषण का कोई सूत्र नहीं था। 1981 में वाणिज्यिक बैंकों का घरेलू ऋण में अंशदान 2.4% था जब कि सहकारी संस्थाओं का योगदान 22% से अधिक था। आरबीआई/एआरडीसी/नाबार्ड द्वारा एआरडी बैंकों को कुशलता से पोषित/दिशा निर्देशित तथा उदारतापूर्वक वित्त पोषित भी किया गया था। आरबीआई/एआरडीसी/नाबार्ड द्वारा एआरडी बैंकों पर ऋण प्रदान करने वाली संस्था के रूप में ध्यान केन्द्रित किया।

एआरडी बैंक, यद्यपि संरचनात्मक एवं कार्यात्मक स्वरूप के प्रमुख अवरोधों से ग्रस्त हैं। इन अवरोधों में भौगोलिक/क्षेत्रात्मक/एकल उत्पाद जोख़िम, व्यापक रूप से एक ही वित्तपोषण संस्था पर निर्भरता, व्यापक ऋण देने के प्रतिबन्धों के अधीन, राज्य के साथ निकट तादात्म्य, प्रबन्धकीय न्यूनता, प्रौद्योगिकी अभिग्रहण में कमी, दोहरा नियंत्रण, ग्राहकों के मध्य खराब ऋण अनुशासन तथा ऋण अनुशासन लागू करने के लिये अपर्याप्त आंतरिक प्रयास इत्यादि सम्मिलित हैं।

बैंकिंग संरचना में बदलने की पृष्टभूमि पर यह स्वीकार किया गया है कि संरचना का वर्तमान स्वरूप संवहनीय नहीं है तथा इसे सदस्य संचालित, स्वायत्त संसाधन आधारित विविध वित्तीय सेवायें प्रदान करने वाली बैंकिंग संस्था में रूपान्तिरत किये जाने की आवश्यकता है। 20 नवम्बर 2014 को फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रमुखसचिव (सहकारिता) एवं निबन्धक सहकारी समितियों की द्वितीय संगोष्ठी में इस संदर्भ में एक विशिष्ट संस्तुति भी की गई। यद्यपि आरबीआई के पास एआरडीबैंकों के नियमित बैंकों में परिवर्तित किये जाने के लिये कोई शासकीय नीति नहीं है। साथ ही, विभिन्नता प्रदान करने वाले बैंक की अवधारणा को मान्यता तथा आरबीआई के माइक्रोफाइनेन्स तथा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को एसएफबी में रूपान्तरित करने के प्रावधान के साथ एसएफबी को स्थापित करने के आरबीआई के दिशा निर्देश, एआरडी बैंकों के एसएफबी में रूपान्तरित करने के मामले को दृढ़ता प्रदान करता है। इस



संदर्भ में फेडरशन ने निम्नांकित रणनीति के अनुशीलन का निश्चय किया है:-

- (अ) नीति में सुधार हेतु सरकार और आरबीआई से पैरवी तथा एआरडी बैंकों को बैंकों के रूप में लाइसेन्स दिये जाने हेतु मापदण्ड निर्धारित करना।
- (ब) बैंक बनाने के लिये एआरडी बैंकों की तत्परता को बढ़ाना।

बैंक में रूपान्तरण के लिये प्रूडैन्शियल शर्तों को पूरा करने के लिये निर्धारित किये जाने की सम्भावना, एससीएआरडी बैंकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है।

चुनौती का सामना करने के लिये प्रस्ताव है कि कुछ राज्यों में बाह्य सहभागीदारों जैसे कि राबो इण्टरनेशनल एडवाइजरी सर्विसेज के तत्वावधान में पूँजीकरण, जोख़िम नियंत्रण, क्षमता / मूलभूत सामर्थ्य, प्रौद्योगिकी, शासन व्यवस्था आदि पर मुख्य मुद्दों को समझने के लिये, विकास संयत्रों / समाधान पर ध्यान केन्द्रित करते हुये तथा दूसरे एससीएआरडी बैंकों को मुख्य धारा में लाने की तैयारी में वृद्धि हेतु अग्रगामी परियोजना को क्रियान्वित किया जाये। फंडरेशन, राबो इण्टरनेशनल एडवाइजरी सर्विसेज तथा नाबार्ड के साथ अग्रगामी परियोजना प्रारम्भ करने के लिये पहले से ही वार्तालाप कर रहा है। आशा की जाती है कि आरबीआई द्वारा मापदण्ड निर्धारित कर दिये जाने के पश्चात तथा एससीएआरडी बैंकों द्वारा अपने को रूपान्तित कर लेने की तैयारी के उपरान्त बहुसंख्यक एससीएआरडी बैंक 4—5 वर्षों में एसएफबी हो सकेंगे। एआरडी बैंकों के पुनर्गठन की रणनीति में भी सभी राज्यों में पूर्णतः वसूली को सुधारने तथा गुणात्मक ऋण वितरण एवं संयुक्त रूप से एससीएआरडी बैंकों द्वारा कम्पनी अधिनियम पर आधारित एसएफबी को प्रोत्साहित करने पर संकेन्द्रित एक कार्यक्रम सिम्मिलत है जिसे प्रतिवेदन में अलग से उल्लिखित किया गया है।

त्वरित वसूली अभियान

उच्च अतिदेय ऋणों के कारण वर्ष 2000 से लगभग छः राज्यों में एआरडी बैंक निष्क्रिय हो गये हैं। अवशेष 13 राज्यों में से अधिकतर जो वर्तमान में पूरी तरह से सक्रिय हैं, की ऋण वसूली में भी पर्याप्त स्तर पर सुधार नहीं हो पाया है। एससीएआरडी बैंकों की विगत दो वर्षों की वसूली की स्थिति नीचे दी जा रही है।



सदस्य बैंकों का अतिदेय अवशेष तथा वसूली प्रतिशत

(लाख रु.में)

क्रम		शीर्ष बैंक के स्तर पर		अंतिम ऋणी सदस्य के स्तर पर	
संख्या	एससीएआरडी	30 जून 2013	30 जून 2014	30 जून 2013	30 जून 2014
2.2-11	बैंक का नाम	अतिदेय अवशेष/वसूली (%)	अतिदेय अवशेष/वसूली (%)	अतिदेय अवशेष/वसूली (%)	अतिदेय अवशेष/वसूली (%)
1.	गुजरात	28131.79 (45.22)	32936.10 (42.89)	28131.79 (45.22)	32936.10 (42.89)
2.	हरियाणा	56794.69 (37.61)	73912.23 (32 .10)	117101.21 (26.62)	121285.12 (27.42)
3.	हिमांचल प्रदेश	7096.21 (47.40)	6772.18 (50.24)	7096.21 (39.80)	6772.18 (43.51)
4.	जम्मू कश्मीर	797.73 (33.95)	846.87 (40.07)	797.73 (33.95)	846.87 (40.07)
5.	कर्नाटक	51694.60 (36.40)	52014.14 (42.14)	29205.54 (51.26)	23214.01 (66.80)
6.	केरल	5037.11 (94.88)	2407.21 (97.93)	35352.99 (72.62)	39096.41 (75.17)
7.	पाण्डिचेरी	84.25 (95.46)	121.93 (94.18)	84.25 (95.46)	121.93 (94.18)
8.	पंजाब	10134.88 (83.65)	9918.98 (8 4.23)	43783.83 (63.57)	50180.20 (60 .7 2)
9.	राजस्थान	42329.74 (43 .86)	22894.63 (57.59)	71730.89 (3 7.90)	72948.82 (36.51)
10.	तमिलनाडु	18674.19 (69 .8 6)	19032.77 (74.65)	13742.14 (79.50)	15891.77 (79.55)
11.	त्रिपुरा	611.89 (62.30)	740.25 (54.39)	611.89 (62.30)	740.25 (54.39)
12.	उत्तर प्रदश	175426.51 (42.47)	87859.07 (60 .06)	175426.51 (42.47)	87859.07 (60.06)
13.	पश्चिम बंगाल	15557.91 (57.21)	36504.63 (28.09)	25646.62 (44.51)	35140.90 (40.28)
	योग	412371.70 (53.18)	345915.99 (59.49)	548771.80 (48.74)	487033.63 (54.42)

नोटः— (1)कोष्ठक के अन्दर के अंक मांग के विरुद्ध वसूली प्रतिशत इंगित करते है। (2) ''उपलब्ध नहीं'' सूचना प्रतिवेदित नहीं की गई दर्शाता है।



13 एससीएआरडी बैंकों का 30.06.2014 को कुल अतिदेय अवशेष रु. 3459.16 करोड़ था जो उनकी स्वाधित निधियों से अधिक है। अतिदेय ऋणों में स्वाधित निधियों के पूरी तरह से बन्द हो जाने के कारण वसूली में कमी होने की स्थिति में इन बैंकों में से अधिकतर के पास नाबार्ड तथा अन्य दूसरे ऋण दाताओं का पुर्नभुगतान का प्रबन्ध करने के लिये पर्यात्प निधि नहीं है। 2013 की तुलना में 2014 में शीर्ष स्तर पर बकाया अवशेष में बहुत अधिक वृद्धि हुई तदनुसार हरियाणा में रु.567.95 करोड़ से रु.739.12 करोड़, गुजरात में रु.281.32 करोड़ से रु.329.36 करोड़, पश्चिम बंगाल में रु.155.58 करोड़ से रु.365.05 करोड़ की वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश राज्य में ऋण माफी योजना के फलस्वरूप रु.875.67 करोड़ की कमी के कारण कुल बकाये में रु.664.56 करोड़ की गिरावट आई। अन्तिम ऋणी सदस्य बकाया स्तर पर अधिकतर बैंकों सहित ऐसे बैंकों के बकाया में भी वृद्धि हुई जिनके शीर्ष स्तर पर बकाया में रु.232.14 करोड़ घटाया यद्यपि शीर्ष स्तर पर भारी असन्तुलन के कारण इसमें कोई कमी होती नहीं दिखाई पड़ी। बुनियादी स्तर पर बकाये में वृद्धि हिरियाणा में रु.1171.01 करोड़ से बढ़कर रु.1212.85 करोड़ तथा पश्चिम बंगाल में रु.256.47 करोड़ से बढ़ कर रु.351.41 करोड़ अधिक स्पष्ट रही।

पश्चिम बंगाल जिसने कुल मांग का केवल 28.93%,गुजरात 42.89% सहित हरियाणा ने 32.1% ऋण वसूली की, इनकी शीर्ष स्तर पर स्थिति अत्यधिक कमज़ोर हुई है। वस्तुतः यदि ये सभी बैंक अपनी स्थिति सुधारने में सफल नहीं होते हैं तो इन्हें नाबार्ड से पुनिवित्त पाने के लिये अयोग्य होने के जोख़िम का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार कर्नाटक को भी अपनी दर—पात्रता मूल्यांकन में सुधार कर असन्तुलन के प्रकरण को अपनी राज्य सरकार के सहयोग से असन्तुलन की धनराशि को रोक कर तथा चरणबद्ध तरीके से अवरुद्ध खाते का समाशोधन करने तथा पुनिवित्त पात्रता बढ़ाने के लिये प्राथमिकता के आधार पर नियंत्रित करने की आवश्यकता है। त्रिपुरा तथा जम्मू—कश्मीर, जो वर्तमान में नाबार्ड से पुनिवित्त नहीं प्राप्त कर रहे हैं, के मामले में वसूली में समुचित सुधार पुनिवित्त पात्रता बहाली के लिये अतिआवश्यक है।

जबिक एससीएआरडी बैंक वसूली में सुधार करने की आवश्यकता तथा इस दिशा में सुधार करने के प्रयास के लिये सजग हैं तो भी यह देखा गया है कि उनमें से अधिकांश ने सुसंगत नीतियों और स्थिति का सामना करने के लिये सुविचारित रणनीतियों को विकसित नहीं किया है।

त्वरित वसूली अभियान का उद्देश्य सुदृढ़ नीतियों एवं प्रथाओं पर आधारित एआरडी बैंकों की पुर्नभुगतान और वसूली प्रणाली जो सामान्यतया प्रभावशाली पायी गई है, को सुदृढ़ करना है।

पुर्नभुगतान प्रणाली

(i) पुर्नभुगतान क्षमता सम्बद्ध ऋण वितरण

भरोसे योग्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ऋण प्राप्तकर्त्ता की पुर्नभुगतान क्षमता पर ऋण वितरण की धनराशि



तथा ऋण की अवधि का निर्धारण होना चाहिए। फील्ड ऑफिसर प्रत्येक प्रकरण में आय के सभी स्त्रोतों को ध्यान में रख कर पुर्नभुगतान क्षमता का यथार्थवादी आंकलन करें।

स्वीकृताधिकारी ऋण स्वीकृति से पूर्व फील्ड ऑफिसर द्वारा प्रतिवेदित पुर्नभुगतान क्षमता का क्षेत्र स्तर पर एकाएक सत्यापन करे। पुनश्च, इस परिप्रेक्ष्य में गलितयों की पुनरावृत्ति करने पर फील्ड ऑफिसर के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जानी चाहिए। इसी प्रकार स्वीकृताधिकारी को अपर्याप्त भुगतान क्षमता के आधार पर ऋण प्रार्थनापत्र को अस्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए।

(ii) जोखिम दल

प्रत्येक शाखा/पीसीएआरडी बैंक के पास एक जोख़िम दल होना चाहिए। जोखिम दल प्रत्येक ऋण आवेदन के मामले में स्वीकृति से पूर्व व्यतिक्रम/चूक की जोख़िम का मूल्यांकन करे। जोख़िम प्रालेखन तथा साधारण के साथ—साथ विशिष्ट प्रकरण में जोख़िम नियंत्रण उपायों की व्यापक भूमिका है। जोख़िम दल का नेतृत्व शाखा प्रबन्धक/सचिव और वसूली प्रकोष्ट के प्रभारी को करना चाहिए।

(iii) पुर्नभुगतान की किश्तों का निर्धारण

मांग आय के स्त्रोतों के संयोजन तथा विभिन्न स्त्रोतों की आय की नियमितता पर आधारित होनी चाहिए। जहां कहीं भी अन्य स्त्रोतों से मासिक आय को पुर्नभुगतान क्षमता में आंकलित किया जाये, मौसमी फसलों आदि की आय पर आधारित, छमाही अथवा वार्षिक मांग से परिपूरित किये जाने स्थिति में ही मासिक किश्त का निर्धारण ऋणी सदस्य से परामर्श पर किया जा सकता है। यह शाखा प्रबन्धक द्वारा प्रत्येक को पृथक प्रकरण मान कर किया जा सकता है। इसी प्रकार अकृषि क्षेत्र के मामले में नियमित आय स्त्रोत के साथ मासिक मांग अनिवार्य होनी चाहिए।

एआरडी बैंकों द्वारा स्वीकार की गई मांग की समान किश्त प्रणाली जिसमें प्रारम्भ से अंत तक किश्त की धनराशि एक ही रहती है, वांछनीय नहीं है। यह पद्धित योजना के शिखर चरणों में जब आय अधिक होती है और पिरसम्पित्तयों के रखरखाव की लागत बहुत कम होती है, मांग और वसूली के उचित अनुपात के अवसर से वंचित रखती है। इसके अतिरिक्त ऋणी सदस्य आमतौर पर समान किश्त निर्धारण में की गई गणना को पूरी ऋण की अवधि में नहीं समझ पाता है और बाद के वर्षों में किश्त की धनराशि के कम होने की शिकायत करता है। यह भी देखा गया है बढ़ते हुये समय के साथ ऋणी सदस्य के भुगतान करने से मनोबल को बढ़ाये रखने के लिये किश्तों की धनराशि को कम किया जाना आवश्यक होता है। ऐसी मांग प्रणाली जिसमें प्रत्येक मांग के साथमूलधन तथा बकाया जमा राशि पर ब्याज के साथ की समान किश्ते हों अथवा क्रमवर्धी किश्ते हों, वह ऋण वसूली के अनुकूल होगी।



(iv) देय तिथि से पूर्व की अग्रिम कार्यवाही

अच्छी वसूली पाने के लिये देय तिथि से पूर्व अग्रिम कार्यवाही किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। पीसीएआरडी बैंक / शाखायें दूरभाष, एसएमएस से स्मरण कराने आदि की अग्रिम कार्यवाही के साथ देय तिथि से पूर्व मांग की सूचनायें सम्प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(v) बचत जमा खाते

एआरडी बैंक, बैंक न होने के कारण दूसरे बैंकों की भांति बचत उत्पादों को प्रस्तुत नहीं कर सकते। फिर भी ये ऋणी सदस्यों के बचत जमा खाते खोलने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। एआरडी बैंकों को अपने सदस्यों को अपनी नैत्यिक बचत रखने के हेतु बचत खाता खोलने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिए जिसका उपयोग देय तिथि पर किश्तों का भुगतान करने के लिये किया जा सकता है।

(v) अल्पकालीन ऋण

एआरडी बैंक जो सदस्यों की अल्पकालीन ऋण आवश्यकताओं का भी वित्त पोषण कर रहे हैं, ऋण वसूली में उनका अच्छा प्रदर्शन पाया गया है। अल्पकालीन ऋणों में लाभ यह है कि इससे ऋणी सदस्यों से लगातार सम्पर्कों को बनाये रखा जा सकता है जिससे ऋण वसूली में सहायता मिलती है।

वसूली व्यवस्था

वसूली व्यवस्था में ऋणों के बकाया वसूली के लिये देय तिथि के बाद की कार्यवाही की जाती है। इसमें निम्नांकित सोपान सम्मिलित हैं:--

प्रथम सोपान

ऋणी सदस्य के विगत कार्यों का रिकार्ड तथा व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर हठी तथा गैर इरादतन बकायेदारों में वर्गीकरण किया गया। यद्यपि हठी बकायेदारों को पहचानने के लिये अन्य कई पैमाने उपयोग किये जा सकते हैं, एक कसौटी है जो हठी बकायेदार को वर्गीकृत किये जाने के लिये सुरक्षित और आमतौर पर सभी को स्वीकार्य है। वह यह कि यदि वह अपनी मासिक या तिमाही किश्त का पूरे वर्ष के दौरान उसके लिये कोई स्वीकार्य कारण बताये बिना, कोई आंशिक भुगतान भी नहीं करता है। इस कसौटी की वैधता की दुबारा जांच ऋणी सदस्य, उसकी परिसम्पत्तियों एवं आय, उसके जीवन स्तर के बारे में ज्ञात तथ्यों इत्यादि के आधार पर भी की जा सकती है।

प्रत्येक देय तिथि के बकायेदारों को वर्गीकृत किया जाय— (i) गैर आदतन पपद्ध सम्भावित हठी (जिसके हठी बकायेदार होने की अवधि एक वर्ष से कम है।) तथा (ii) हठी, इन श्रेणियों के अतिरिक्त प्रत्येक देय तिथि बाद उचित



कार्यवाही के लिये सम्बन्धित मुख्य सूची में देखें जैसा कि सोपान दो में उल्लिखित किया गया है।

द्वितीय सोपान

गैर इरादतन बकायेदारों के प्रति दृष्टिकोण

ऐसा देखा गया है कि गैर इरादतन बकायेदार, उन परिस्थितियों को छोड़ कर जब कि प्राकृतिक आपदा तथा अन्य दुःखों अथवा परिवार में अनपेक्षित असामान्य बड़े व्ययों के कारण उनकी भुगतान क्षमता अवरुद्ध हो जाती है, समय में पुर्नभुगतान वाली किश्त का आंशिक भुगतान कर देते हैं। बैंकों को ऐसे मामलों में ऋणी सदस्यों के साथ—साथ अपने हित में निम्नांकित कदम उठाने की आवश्यकता है:—

- (i) बकाया शेष सहित अवधि विस्तार के साथ ऋण का पुर्नर्निधारण।
- (ii) बकाया अंश का एक मुश्त समाधान।

सम्भावित हठी बकायेदारों के प्रति दृष्टिकोण

सम्भाववित बकायेदारों के मामले में उनके विरुद्ध नोटिस जारी करने और स्थानीय समाचार पृत्र में प्रकाशन के अतिरिक्त उनसे व्यक्तिगत सम्पर्क सहित बैंकों को अग्रिम कार्यवाही तेज कर देनी चाहिये।

हठी बकायेदारों के प्रति दृष्टिकोण

हठी बकायेदारों के मामले में बैकों को विधिक वसूली उपाय करना चाहिए जिसमें सामान्यतया निम्नांकित कदम उठाये जाने चाहिये:—

- (i) हठी बकायेदार श्रेणी में वर्गीकृत किये जाने के तत्काल पूर्व पुरोबन्ध (अवधि से पूर्व खाताबन्द) की सूचना दिया जाना और विशेषरूप से बड़ी धनराशि होने की स्थिति में बकायेदारों की सूची का प्रकाशन करना।
- (ii) पुरोबन्ध (अवधि से पूर्व खाताबन्द)।
- (iii) विक्रय अधिकारी के साथ निष्पादन याचिका दाखिल करने से पहले वसूली की विधिक सूचना।
- (iv) प्रत्येक शाखा / पीसीएआरडी बैंक द्वारा नोटिस में देय धनराशि के तहत वसूली योग्य धनराशि के क्रम में एक समय में 5 (मामलों) के समूह में विक्रय प्रक्रिया प्रारम्भ करना।
- (v) विक्रय प्रक्रिया का राज्य स्तरीय प्रचार करना।
- (vi) दूसरे जनपदों से नीलामी में बोली लगाने वालों की व्यवस्था करने के साथ विक्रय कार्यवाही की सफलता को सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करना।



(vii) यदि आवश्यकता पड़े तो सम्भावित खरीदार को भूमि क्रय हेतु ऋण उपलब्ध कराना।

महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि हठी बकायेदार के पास भुगतान करने की क्षमता होते हुये भी उसमें भुगतान करने की तत्परता का अभाव होता है। अधिकतर मामलों में हठी बकायेदार किश्त का पुर्नभुगतान टालने के आर्थिक लाभों से प्रेरित होता है तथा उसे यह पूरा विश्वास होता है कि एआरडी बैंकों की वसूली कार्यवाही दूसरे बैंकों की कार्यवाही के प्रतिकूल प्रतिभूति सम्पत्ति की विक्रय किये जाने के स्तर से आगे नहीं पहुँच पायेगी। हठी बकायेदार का यह आत्मविश्वास कि वसूली कार्यवाही पहली और दूसरी नोटिस से कभी आगे की विक्रय कार्यवाही के स्तर तक नहीं पहुँच सकती है, अपने अनुभव से प्राप्त करता है। आमतौर पर हठी बकायेदार विभिन्न स्त्रोंतो से कार्यवाही रोकने के लिये अवरोध और हस्तक्षेप लाने में सफल होते हैं। किन्तु जब बैंक एकबार दृढ़ नीति पर चलना प्रारम्भ कर देता है तथा किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करना प्रारम्भ कर देता है तो हठी बकाया बड़ी तेजी से नीचे गिरता है तथा पहली और दूसरी नोटिस ही, अनिच्छुक भुगतानकर्त्ताओं को भुगतान के लिये राजी करने के लिये काफी होगी।

नोटिस जारी करने तथा विक्रय कार्यवाही को पूरा करने के लिये बाह्यस्त्रोत का विधिक सहयोग

अधिकतर बैंकों में कर्मियों की कमी के कारण समय से नोटिस जारी नहीं हो पाते जिससे विक्रय निष्पादन में विलम्ब अथवा रुकावट होती है। ऐसी स्थिति में बैंक को अपने पेनल में वसूली योग्य धनराशि के अनुरूप समय से नोटिस जारी करने के लिये शुल्क पर आधारित व्यवस्था के लिये विधिक कम्पनियों की सेवायें लेनी चाहिए। जैसा कि फेडरेशन के संचालक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया है, यह शुल्क रु. 1000 / — प्रति एक लाख रुपये तक के ऋण खाते तथा रु.1500 / — प्रति एक लाख से अधिक की धनराशि वाले खाते की दर पर निर्धारित की जा सकती है।

त्वरित वसूली अभियान निरीक्षण

शाखा / पीसीएआरडी बैंकों के साथ ही साथ त्वरित वसूली अभियान के क्रियान्वयन का निरीक्षण तथा प्रगति की समीक्षा के लिये राज्य स्तरीय समितियां जिनमें संचालक मण्डल के सदस्य एवं वसूली के प्रभारी हों की जांच समिति होनी चाहिए।

प्रकाशन

लैण्ड बैंक जरनल

लैण्ड बैंक जरनल का प्रकाशन पीआरडी प्रकोष्ठ का एक महत्वपूर्ण कार्य है। लैण्ड बैंक जरनल के चार अंकों अर्थात मार्च 2014, जून 2014, सितम्बर 2014 तथा दिसम्बर 2014 का वर्ष के दौरान प्रकाशन एवं प्रसारण कर दिया गया तथा मार्च 2015 का अंक संकलन में है।



वार्षिक सांख्यकीय बुलेटिन

सदस्य बैंकों के क्रिया कलापों से सम्बन्धित सांख्यकी का संग्रहण एवं संकलन तथा वार्षिक सांख्यकी बुलेटिन का प्रकाशन भी पीआरडी प्रकोष्ठ द्वारा जाता है। वर्ष के दौरान वर्ष 2012—13 की सांख्यकी बुलेटिन का प्रकाशन किया गया। 2013—14 का बुलेटिन संकलन के अधीन है। फेडरेशन इस महत्वपूर्ण प्रकाशन को एआरडी बैंकों के क्रियाकलापों के बुनियादी स्तर के आंकडों से सम्बन्धित युक्तसंगत सूचना तंत्र से अद्यतन किये जाने के लिये प्रयत्नशील है।

एआरडी बैंकों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन

फेडरशन सदस्य बैंकों की अपने स्तर पर तथा भारत सरकार को प्रतिवेदित करने हेतु समीक्षा के लिये मुख्य क्रियाकलापों के आंकड़ों का संग्रहण एवं संकलन मासिक आधार पर करता है। ऋण वितरण, वसूली निष्पादन, उधार राशियां तथा जमा संग्रहण आदि मुख्य क्षेत्र हैं जो इस मासिक प्रगति प्रतिवेदन में अन्तर्निहित हैं। अप्रैल 2014 से जनवरी 2015 तक 10 समेकित मासिक प्रगति प्रतिवेदन 2014—15 के दौरान प्रकाशित किये गये। फरवरी 2015 का मासिक प्रगति प्रतिवेदन संकलन के अधीन है।

VI. 2014–15 के दौरान विकास – मुख्य बातें

केन्द्रीय बजट 2014-15

वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने दिनांक 10 जुलाई 2014 को नई सरकार का बजट प्रस्तुत किया। बजट में 3—4 वर्षों में व्यापक आर्थिक स्थिरता के साथ 7—8% की निरन्तर वृद्धि के लक्ष्य को पूरा करने तथा विनिर्माण एवं बुनियादी संरचना में विकास की बहाली के लिये कदम उठाये जाने की घोषणा की गई। बजट में कृषि क्षेत्र के लिये अनेक प्रस्ताव निहित थे। कृषि सम्पत्तियों में निवेश के माध्यम से उत्पादकता वृद्धि पर ज़ोर दिया गया था। झारखण्ड और असम में दो और उत्कृष्टता के अनुसंधान संस्थान खोल कर कृषि अनुसंधान को भी महत्व दिया गया था जिसके कुछ समय तक कोई उपयोगी परिणाम नहीं निकले। किसानों के लिये निवेश ऋण सहायता बढ़ाने के लिये ग्रामीण दीर्घकालीन ऋण कोष की स्थापना कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिये दूसरी महत्वपूर्ण पहल है। भूमिहीन किसानों के 5 लाख संयुक्त कृषि समूहों के उत्तर और पूर्व क्षेत्रों के आदिवासी क्षेत्रों, जहां पर अधिकतर कृषि भूमि सामुदायिक स्वामित्व की होने के कारण किसानों को बैंकों से ऋण मिल पाने में कितनाई होती है, को लाभन्वित कराने के लिये भी वित्त पोषण का प्रस्ताव किया गया था। बजट में स्थानीय क्षेत्रों में काम करने तथा छोटे व्यवसाय, असंगठित क्षेत्र न्यून आय वाले परिवार, किसान तथा प्रवासी श्रमिक समूह जैसे निर्धारित लक्ष्यों वाले समूहों छोटे बैंकों एवं विभिन्नता वाले बैंकों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के सुझाव थे। बजट में कृषि, कृषि ऋण तथा बैंकिंग से सम्बन्धित निम्नांकित महत्वपूर्ण सुझाव हैं:—



कृषि

- झारखण्ड और असम में दो और उत्कृष्टता के अनुसंधान संस्थानों की स्थापना।
- कृषि-प्रौद्योगिक बुनियादी संरचना कोष की स्थापना।
- आंध्र प्रदेश और राजस्थान में नए कृषि विश्वविद्यालय।
- तेलंगाना और हिरयाण में नए बागवानी विश्वविद्यालय।
- किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड निर्गमन।
- 600 चलित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना।
- कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को जानने के लिये राष्ट्रीय अनुकूलन कोष की स्थापना ।
- कृषि में 4% की संवृद्धि का लक्ष्य है।
- प्रौद्योगिकी संचालित प्रोटीन क्रान्ति सहित दूसरी हरित क्रांति को बढ़ाया जायेगा।
- कृषि के लिये मूल्य स्थिरता कोष की स्थापना।
- राज्यों के एपीएमसी अधिनियम का पुनर्विन्यास।
- स्वदेशी पशु नस्लों तथा अन्तर्देशीय मत्यपालन के विकास हेतु नीली क्रान्ति का विकास।

कृषि ऋण

- 5 लाख भूमिहीन किसानों के संयुक्त कृषि समूहों को नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।
- 2014–15 में रु.८ लाख करोड़ के लक्ष्य कृषि साख के लिये निर्धारित किया गया।
- 2014–15 के लिये आरआईडीएफ परिव्यय को रु.20,000 करोड़ से बढ़ा कर रु.25,000 करोड़ किया गया।
- भण्डारण बुनियादी संरचना कोष हेतु रु.5000 करोड़ का आवंटन।
- सहकारी एवं क्षेत्रीय गामीण बैंकों को पुर्निर्वित्त प्रदान करने हेतु रु.5000 करोड़ के निर्धारण के साथ नाबार्ड में दीर्घ कालीन ग्रामीण ऋण कोष।
- 2000 उत्पादक संगठनों को आगामी दो वर्षों में सहयोग देने के लिए नाबार्ड के उत्पादक विकास एवं उत्थान समूह को रु.200 करोड़ आवंटित किया गया।



बेंकिंग

- कमजोर वर्गों पर संकेन्दित वित्तीय समावेशन मिशन का प्रारम्भ ।
- बैंको को बुनियादी संरचना क्षेत्र को लचीले ढंग से दीर्घ कालीन ऋण देने के लिये अभिप्रेरित करना।
- बुनियादी संरचना क्षेत्र को सीआर, एसएलआर तथा प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण वितरण हेतु शिथिल मानदण्डों के साथ बैंकों को दीर्घ कालीन कोष बढ़ानें की अनुमित।
- छोटे बैंक तथा दूसरे विभिन्नता वाले बैंकों के लाइसेन्स के लिये आरबीआई द्वारा रूपरेखा तैयार किया जाना।
- आला हितों, स्थानीय बैंकों, भुगतान बैंकों आदि की सेवा कर रहे विभिन्नता वाले बैंकों से छोटे व्यवसाय, असंगठित क्षेत्र, कम आय वाले परिवार, किसान तथा प्रवासी श्रमिक समूह की ऋण आवश्यकताओं तथा धन सम्प्रेषण ज़रूरतों को पूरा किया जाना अपेक्षित हैं।

सदस्य बैंकों को कार्य सम्पादन प्रस्कार

वर्ष के दौरान फेडरेशन ने प्रतिवेदन के अन्तर्गत सदस्य बैंकों को संशोधित मापदण्डों के अधीन उपलिक्षियों के लिये पुरस्कारों को पुनर्जीवित किया। वर्ष 2013—14 की उपलिक्षियों पर आधारित पुरस्कार 20 नवम्बर 2014 को प्रमुख सिचव सहकारिता एवं निबन्धक सहकारी सिनियोंकी द्वितीय संगोष्ठी के साथ संयोजन में थिरुअनन्तपुरम में प्रदान कराये गये।

पुरस्कार तथा पुरस्कार विजेता बैंकों की सूची नीचे दी जा रही है।

- 2013—14 में सर्वोत्कृष्ट बहुमुखी उपलब्धियों के लिये भारत सरकार ट्राफी (कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संस्थापित) से सम्मानित किया गया — : केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
- 2) 2013—14 में द्वितीय सर्वोत्कृष्ट बहुमुखी उपलब्धियों के लिये फेडरेशन ट्राफी से सम्मानित किया गया ः पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लि.
- 3) 2013—14 में ऋण वितरण में सर्वश्रेष्ठ उपलिख्यों के लिये मेलोथ नारयनन नाम्बियार स्मृति ट्राफी (केरल एससीएआरडी बैंक द्वारा संस्थापित) से सम्मानित किया गया : केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. एवं

पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लि.



- 4) 2013—14 में ऋण वसूली में सर्वश्रेष्ठ उपलिक्षयों के लिये पंजाब मुख्यमंत्री ट्रॉफी (पंजाब एससीएडी बैंक द्वारा संस्थापित) से सम्मानित किया गया — :
 - केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
- 5) 2013—14 में जमा संग्रहण में सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियों के लिये फेडरेशन ट्राफी से सम्मानित किया गयाः तमिलनाडु राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. एवं
 - हिमांचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
- 6) 2013—14 में सर्वोत्कृष्ट कायापलट उपलब्धियों के लिये फेडरेशन ट्राफी से सम्मानित किया गया : गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

नाबार्ड द्वारा ५ जून २०१४ को मुम्बई में आयोजित कराई गई एससीएआरडी बैंकों के सीईओ की बैठक

नाबार्ड ने 5 जून 2014 को नाबार्ड के मुख्यालय पर मुम्बई में एससीएआरडी बैंकों के सीईओ की बैठक आयोजित कराई। बैठक में फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक के अतिरिक्त 11 एससीएआरडी बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नाबार्ड के अध्यक्ष डा. हर्ष कुमार भानवला ने बैठक की अध्यक्षता की। अध्यक्ष ने सदन को नाबार्ड द्वारा इस वर्ष और अधिक एससीएआरडी बैंकों को पुर्नवित्त दिये जाने तथा विशेषरूप से मध्यम और उच्च जोख़िम की श्रेणी वाली एससीएआरडी बैंकों के लिये, ब्याज की दरों में काफी कमी लाये जाने बारे में अवगत कराया। उन्होनें कहा कि एआरडी बैंकों को अपने ग्राहकों के साथ प्रासंगिक बने रहने के लिये अपनी कार्यसूची में और अधिक सेवाओं को जोड़ना होगा और सुझाव दिया कि नैफकार्ड (एनएएफसीएआरडी) नये उत्पाद विकास और व्यवसाय विविधीकरण के लिये एक राष्ट्रीय विचार—गोष्ठी का आयोजन कराये। चेयरमैन / अध्यक्ष ने एआरडी बैंकों को अपने ऋणी सदस्यों के साथ अंकीय (त्विरत) सम्पर्क द्वारा सम्पर्क स्थापित रखने तथा अपनी आंतरिक समस्याओं के प्रबन्धन के व्यावसायिकीकरण के माध्यम से हल करने, वसूली के लिए विधिक कार्यविहयों का उपयोग करने तथा सुशासन की नीतियों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

निम्नांकित मुद्दों पर विचार विमर्श करने हेतु फेडरेशन द्वारा सुझाव दिये गये:-

- (1) पुर्नवित्त के वार्षिक आवंटन दिये जाने की अवधि।
- (2) पुनर्वित्त के पुर्नभुगतान के लिये दो वर्ष की अनुग्रह अवधि को बहाल किये जाने की आवश्यकता ।
- (3) 2011—12 के पूर्व स्तर पर पुनर्वित्त के मापदण्ड को बहाल करना।
- (4) मध्यम और उच्च जोखिम श्रेणियों वाली एसीएआरडी बैंकों से जोख़िम लागत के सापेक्ष अतिरिक्त ब्याज वसूल करना।



- (5) जब ऋणी सदस्य नियमित रूप से आंशिक पुर्नभुगतान कर रहा हो तो खाते में अवशेष के बकाये के पुर्नर्निधारण के लिये अनुमति।
- (6) नाबार्ड ''एलटीसीसीएस के पुनरुद्धार एवं संरचनात्मक सुधार'' पर अध्ययन प्रारम्भ करे।
- (7) कम्प्यूट्रीकरण पर सीडीएफ से सहायता।
- (8) पाण्डिचेरी एससीएआरडी बैंक को पाण्डिचेरी प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही गारण्टी के आधार पर पुर्निर्वित्त सहयोग।
- (9) त्रिपुरा एससीएआरडी बैंक कों जिसने ऋण वसूली में उत्कृष्ट कार्य किये किन्तु व्यापार स्तर के अपर्याप्त होने के कारण हानि उठानी पड़ी, को पूर्नर्वित्त सहयोग बहाल करना।

सदस्य बैंकों के प्रतिनिधियों ने नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय और प्रधान कार्यालय स्तर पर हल किये जा सकने वाले विशेष मुद्दों को भी प्रस्तुत किया। नाबार्ड ने निम्नांकित कार्य बिन्दुओं से अपनी बैठक की कार्यवाही में तादात्म्य स्थापित किया।

- (1) नये उत्पाद विकास और व्यवसाय विविधीकरण के लिये फेडरेशन द्वारा एक राष्ट्रीय विचार—गोष्ठी का आयोजन।
- (2) पुर्नर्वित्त पर लिये जा रहे ब्याज दर तथा नाबार्ड द्वारा पुर्नभुगतान पर दो वर्ष के अनुग्रह अविध दिए जाने के विचार की समीक्षा।
- (3) एससीएआरडी बैंकों द्वारा ऋणी सदस्यों के व्यक्तिगत विवरण को अद्यतन करना।
- (4) 31 मार्च 2015 तक एससीएआरडी बैंकों द्वारा अन्य अभिकरणों / एजेन्सियों की भांति एनपीए को कम कराने के लिये प्रयास करना।
- (5) फेडरेशन द्वारा फसली ऋण पर ब्याज अनुदान योजना को एससीएआरडी बैंकों द्वारा दिये जा रहे फसल ऋणों पर भी दिये जाने के लिये भारत सरकार से सम्पर्क करना।
- (6) बुनियादी संरचना विकास के लिये एससीएआरडी बैंकों को सीडीएफ सहायता दिये जाने पर नाबार्ड विचार करे।

नाबार्ड द्वारा पीसीएआरडी बैंकों को बहु सेवा केन्दों के रूप में वित्त पोषण हेत नीतिगत दिशा निर्देश

नाबार्ड ने पीसीएआरडी बैंकों को बहुसेवा केन्द्रों के रूप में वित्त पोषण हेतु दिशा निर्देश जारी किये हैं। नाबार्ड द्वारा उन पीसीएआरडी बैंकों को अपनी व्यावहारिकता सुधारने के लिये, विशेषरूप से उन राज्यों में जहां एससीएआरडी बैंक अपनी सभी वित्तीय आवश्यकतायें पूरी कर पाने में सक्षम नहीं हैं, पार्श्व सहयोग प्रदान किये जाने का इरादा है।



इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक एआरडी बैकों को नाबार्ड द्वारा 2012 में पीएसीएस को किसाने के लिये बहु सेवा केन्द्रों में परिवर्तित किये जाने वाले कार्यक्रम के प्रारम्भ किये जाने की ही तर्ज पर विकसित करना है। योजना में विचारार्थ हैं—

- (i) पीसीएआरडी बैंकों से निवेश ऋण की सुविधा दिलाये जाने के अतिरिक्त कृषि उपकरणों के किराये पर लेने, निवेश सामग्री की सामूहिक खरीद, भण्डारण क्षमता का विकास, प्रसंस्करण एवं विपणन सुविधाओं सिहत बहु सेवायें प्रदान करना।
- (ii) पीसीएआरडी बैंकों के उपार्जन के अवसर बढ़ाना तथा उन्हें आत्मनिर्भर इकाई बनाना।
- (iii) सभी अंश धारकों के समन्वित अवलम्ब के द्वारा पीसीएआरडी बैंकों की व्यवहार्यता एवं संवहनीयता में सुधार करना।
- (iv) पीसीएआरडी बैंकों के सदस्यों को जिनकी एससीएआरडी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड तक सीमित पहुँच है, को ऋण सुविधा प्रदान कराना।

बहु सेवा केन्द्रों के रूप में पीसीएआरडी बैंकों को निम्नाकित क्रियाकलापों के आरम्भ करने के लिये सहयोग प्रदान किया जायेगा।

- (i) विनिमेय भण्डारण प्राप्ति प्रणाली के अनुसार गोदाम के साथ कृषि संग्रहण केन्द्र / छंटाई / श्रेणी निर्धारण इकाई।
- (ii) स्वयं के और किराये उच्च तकनीक कृषि उपकरण जैसे कि पावर टिलर, भूमि संतलक, परिवाहक, सीड ड्रिलर, बहु फसल रोपक, पैडी ट्रांसप्लाण्टर, स्प्रेयर कम्बाइन हार्वेस्टर इत्यादि, में प्रवृत्त कृषि सेवा केन्द i
- (iii) छटाई, श्रेणीकरण, पूर्व प्रकोष्ठों के शीतलीकरण कर रहे प्रमुख प्रसंस्करण कार्य तथा उत्पाद के मूल्य वृद्धि के लिये पिसाई प्रसंस्करण आदि गौड़ प्रसंस्करण के कार्यो सम्पादन करने वाले कृषि प्रसंस्करण केन्द्र।
- (iv) परीक्षण, जल और मृदा परीक्षण प्रयोगशालाये, कृषकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करने वाले ज्ञान प्रसार केन्द्र में लिप्त कृषि चिकित्सा केन्द्र इत्यादि।
- (v) कृषि उत्पाद के विक्रय हेतु सीधा सम्पर्क बनाने हेतु ग्रामीण बाजारों की स्थापना इत्यादि के कार्य करने वाले कृषि विपणन केन्द्र तथा परिवहन व्यवस्था।
- (vi) उपभोक्ता भण्डार तथा नये बाज़ार का परिचालन, एलपीजी एजेन्सी, पेट्रोल पम्प आदि अन्य विविध क्रिया कलाप करना।



- (vii) पशु / मछली चारा, जैव कीटनाशक, जैव उर्वरक, गुणात्मक बीजों की आपूर्ति आदि के लिये कृषि उत्पादन सुविधा।
 - सेवा प्रदान करने वाले —टिकटों की बुकिंग, इण्टरनेट सुविधा प्रदान करना, दूसरे एफएल्सको बीसी देना, बिलों का पुर्नभुगतान कराना, मोबाईल की रिचार्जिंग का कार्य आदि।
- (viii) नाबार्ड पीसीएआरडी बैंकों कोयोजना की लागत का 90% तक ऋण उपलब्ध कराकर तथा सहयोग इन कार्यों को प्रारम्भ करने के लिये सहयोग प्रदान करायेगा तथा प्रारम्भिक प्रशासनिक लागत को पूरा करने के लिये किसानों को गतिविधि विशेष प्रशिक्षण इत्यादि के लिये अनुदान भी प्रदान करायेगा। जमानत से, जिसमें कम से कम 50% प्रतिभूतियों पर अधिकार के माध्यम से ऋण पूरी तरह से सुरक्षित होगा।

निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लिये दिशा निर्देश

सूक्ष्म और छोटे उपक्रमों, कृषि के लिये साख व्यवस्था तथा देश में बैंक—विहीन व न्यूनतम बैंक क्षेत्रों में बैंकिंग सेवायें उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 नवम्बर 2014 को निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) की स्थापना के लिये दिशा निर्देश जारी किये हैं। दिशा निर्देशों के प्रमुख पहलू निम्नवत् हैं:—

पात्र प्रोत्साहकों में स्थानिक व्यक्ति / बैंकिंग एवं वित्त, कम्पनियों एवं समितियों, मौजूदा एनबीएफसी एवं एमएफआई इत्यादि में 10 वर्ष के अनुभव वाले पेशेवर लोग सम्मिलित हैं। प्रथम वरीयता ऐसे स्थानीय ऋण प्रदान करने वालों को दी जायेगी जो समाज के ऋण से वंचित और कम लाभन्वित वर्गों को ऋण सुविधा प्रदान कराने पर ध्यान दें। गतिविधियों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत छोटी व्यावसायिक इकाइयों, छोटे एवं सीमान्त किसानों, वंचित एवं न्यूनतम स्विधा पाये वर्ग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग एवं संस्थाओं जैसे असंगठित क्षेत्र के जमा स्वीकार करने एवं ऋण वितरण के बुनियादी बैंकिंग क्रियाकलाप प्रारम्भ किया जाना सम्मिलित हैं। प्रथम पांच वर्षों में शाखाओं का विस्तार किया जाना भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा। 25% शाखायें बैंक विहीन 10,000 से कम आबादी वालें ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए। कार्य करने के क्षेत्र में कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा किन्त् वरीयता उन बैंकों को दी जायेगी जो अन्य क्षेत्रों में अपने कार्य विस्तार में बिना अवरोध लाये उसी अवधि में उत्तर पूर्व, पूर्वी तथा मध्य क्षेत्रों जैसे कम बैंकों वाले राज्यो / जनपदों के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। बैंकों को अपने नाम के साथ 'लघु वित्त बैंक' का उपयोग करना होगा। न्यूनतम प्रदत्त इक्विटी रु.100 करोड़ होनी चाहिए। तथा उन्हें लगातार 15% का निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर (आरक्षित परिसम्पत्ति की तुलना में पूँजी अनुपात) जिसका 50% प्रथम श्रेणी पूँजी हो, बनाये रखना चाहिये। प्रोत्साहकों का न्यूनतम पूँजी योगदान 40% होना चाहिए। 40% से अधिक की प्रारम्भिक धारित राशि को पांच वर्षों में 40% के स्तर पर ले आना चाहिए। शुद्ध सम्पत्ति के रु.500 करोड़ हो जाने के उपरान्त तीन वर्षों के अन्दर सूचीकरण अनिवार्य है। विदेशी शेयर धारिता पांच वर्षों के अन्दर प्रदत्त पूँजी का अधिकतम 74% तक ही मान्य है। लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के निदेशक मण्डल में स्वाधीन निदेशकों का बहुमत होना चाहिए। एसएफबी को आरबीआई द्वारा



निदेशकों के लिये समय समय पर जारी दुरुस्त एवं उचित मापदण्डों सिहत कम्पनी नियंत्रण एवं दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। एसएफबी दूसरे बैंकों के लिये अभिकर्त्ता नहीं हो सकता। यद्यपि व्यावसायिक अभिकर्त्ताओं का इसका अपना एक तंत्र (नेटवर्क) हो सकता है। आवेदन पत्रों के प्रथम समुच्चय को 16 जनवरी 2015 को बन्द किया गया। एसएफबी के साथ कार्यकरने से प्राप्त अनुभव के आधार पर प्रार्थनापत्र अब निरंतरता के आधार पर प्राप्त किये जायेंगे।

छत्तीसगढ़ एलटीसीसीएस का एसटीसीसीएस के साथ विलय

छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार ने अपने पत्र दिनांक 7 अक्टूबर 2014 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक एवं नाबार्ड से अपेक्षित अनुमित प्राप्त करने के उपरान्त छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का विलय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के साथ सम्पन्न करा दिया। उक्त आदेश के क्रम में राज्य के 13 ज़िला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का विलय भी 8 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के साथ कर दिया गया। परिसम्पत्तियां, दायित्व तथा एससीएआरडी बैंकों के कर्मियों को छत्तीसगढ़ एससीबी में स्थानान्तरित कर दिया गया। उसी तरह 13 पीसीएआरडी बैंकों की परिसम्पत्ति, दायित्व तथा स्टाफ का विलय भी 8 डीसीसी बैंकों के साथ, जिनके साथ वे मिलाये गये हैं, कर दिया गया। विगत कुछ वर्षों से छत्तीसगढ़ एससीएआडी बैंक भारी बकाये तथा नाबार्ड द्वारा पुर्निर्वित्त सहयोग रोक दिये जाने के फलस्वरूप ऋण वितरण कार्य बन्द कर हो जाने के कारण पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रहा था। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एससीएआरडी बैंक तथा एआरडी बैंकों को क्रमशः एससीबी तथा डीसीसीबी से विलय करने का निर्णय 2011 में लिया था और आरबीआई से इसका अनुमोदन जून 2013 को प्राप्त हुआ।

पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अन्तर्गत वादों के निस्तारण हेतु विचारण न्यायालयों के लिये उच्चतम न्यायालय के निदश

भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा 21 अप्रैल 2014 को दिये गये ऐतिहासिक निर्णय में भारत के सभी फौजदारी न्यायालयों को पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अन्तर्गत वादों (चेकों के अनादरण के मामलों) के त्विरत और शीघ्र निस्तारण के लिये दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। यह निर्णय पंजाब नेशनल बैंक, इण्डियन बैंक के एसोसिएशन तथा अन्य द्वारा पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अन्तर्गत देश की विचारण न्यायालयों में बड़ी संख्या में पड़े लिम्बत वादों के निस्तारण में तेजी लाने के लिये शीर्षस्थ न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने के लिये दायर याचिका पर जारी किया गया था। इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने विचारण न्यायालयों को उसी दिन शिकायतों की जांच करने तथा यदि शपथ पत्र एवं अन्य अभिलेखों के साथ नियमतः जब पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अन्तर्गत शिकायत प्रस्तुत की गई हो, सीधे सम्मन जारी करने के निर्देश दिये हैं। आगे यह भी निर्देश दिया गया है कि सम्मन सही ढंग से सम्बोधित हो तथा डाक द्वारा साथ ही साथ याचिकाकर्ता से



मिले ई—मेल पर भेजे जायें और यहां तक कि अगर आवश्यकता पड़े तो नोटिस प्राप्त कराने के लिये पुलिस की सहायता अथवा नज़दीक के न्यायालय की सहायता प्राप्त कर ली जाय। निर्णय के अनुसार अपराध निपटानें के लिये तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभियोक्ता का मुख्य परीक्षण, प्रति—परीक्षण, पुर्नपरीक्षण वाद सौंपे जाने के तीन माह के अन्दर कर लिया गया है, विचारण न्यायलय को अभियुक्त द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र पर शीघ्र निर्णय लेना होगा।

vII. सम्बद्धीकरण

राष्ट्रीय स्तर पर

फेडरेशन राष्ट्रीय स्तर पर निम्नांकित संगठनों से सम्बद्ध है:-

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एन.सी.यू.आई.)

फेडरेशन एन.सी.यू.आई. का सदस्य है तथा इसके कार्यक्रमों से सक्रिय रूप से जुड़ा है। फेडरेशन के उपाध्यक्ष श्री के. शिवदासन नायर, एन.सी.यू.आई. के भी उपाध्यक्ष हैं।

फेडरेशन राष्ट्रीय स्तर के निम्नांकित संगठनों / समूहों से भी सम्बद्ध है।

कोआपरेटिव बैंक ऑफ इण्डिया (सी.ओ.बी.आई.)

फेडरेशन सी.ओ.बी.आई. का संस्थापक सदस्य है। फेडरेशन के अध्यक्ष सी.ओ.बी.आई. के निदेशक मण्डल में भी निदेशक हैं।

नेशनल फिल्म एण्ड फाइन आर्ट्स कोआपरेटिव्स लि.(एन.ए.एफ.एफ.ए.सी.)

फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक साधारण सभा एवं निदेशक मण्डल के सदस्य हैं।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.)

फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक श्री के.के.रविन्द्रन को भारत सरकार द्वारा एन.सी.डी.सी. अधिनियम 1962 की धारा 3(4) (XVII) के अन्तर्गत एन.सी.डी.सी. की सामान्य सभा का सदस्य नामित किया गया है।

फेडरेशन निम्नांकित संगठनों से सह सदस्यता बनाये हुये है।

- 1) इण्डियन मर्चेण्ट चेम्बर (आई.एम.सी.)
- 2) इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन(आई.बी.ए.)



- 3) इण्डियन सोसाइटी फॉर स्टडीज़ इन कोआपरेशन
- 4) इण्डियन टूरिज़्म कोआपरेटिव लि.(आई.टी.सी.)

कृषिगत बैंकिंग में अंतराष्ट्रीय सहकारिता एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सी.आई.सी.टी.ए.बी.)

फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक इसकी साधारण सभा के सदस्य हैं। फेडरेशन सदस्य बैंकों के शासकीय अधिकारियों एवं गैर सरकारी पदाधिकरियों को नियमित रूप से सिक्टैब के कार्यक्रमों के लिए नामित करता है।

2014—15 में सिक्टैब के कार्यक्रमों में सहभागिता निम्नवत थी :-

- 1) 23—27 जून 2014 को वैम्निकॉम पुणे में आयोजित ग्रामीण वित्त संस्थाओं तथा सहकारी संस्थाओं के निदेशक मण्डल लिये सहकारी प्रशासन पर कार्यक्रम —जिसमें जी नागार्जुन, उपाध्यक्ष; एस.एम.सरगुनम, निदेशक मण्डल में निदेशक तथा के. चन्द्रशेखरन, प्रबन्धक / सम्पादक तमिलनाडु कोआपरेटिव राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. चेन्नई ने भाग लिया।
- 2) सिक्टैब की प्रबन्ध समिति एवं सामान्य सभा की बैठक दिनांक 6 अगस्त 2014 को सम्पन्न हुई जिसमें फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक श्री के.के.रविन्द्रन ने भाग लिया।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर

इण्टरनेशनल कोआपरेटिव एलाएन्स (आई.सी.ए)

फेडरेशन आई.सी.ए. वैश्विक के साथ साथ आई.सी.ए. एशिया—पैसिफिक क्षेत्र का भी सदस्य है। फेडरेशन आई.सी.ए की अनेक समितियों से भी सम्बद्ध है।

श्री के. शिवदासन नायर, फेडरेशन के प्रतिनिधि के रूप में आई.सी.ए—ए.पी. के अन्तर्गत रीजनल कोआपरेटिव बैंकिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में लगातार कार्य कर रहे है। वर्ष के दौरान फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने आई.सी.ए के निम्नांकित कार्यक्रमों में भाग लिया।

- 1. आई.सी.ए की 11वीं क्षेत्रीय महासभा, दिनांक 15—20 सितम्बर 2014 के दौरान बाली (इण्डोनेसिया) में सम्पन्न 8 वीं सहकारी वाक्पीठ तथा सम्बन्धित घटनाएं— श्री के.शिवदासन नायर, उपाध्यक्ष—फेडरेशन, श्री अशोक कुमार फौजदार, उपाध्यक्ष—फेडरेशन तथा श्री के.के.रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक—फेडरेशन द्वारा सहभागिता।
- 2. दिनांक 6–9 अक्टूबर 2014 के दौरान क्यूबेक शहर कनाडा में आयोजित सहकारिता का शिखर सम्मेलन 2014 में श्री के.के.रिवन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक–फेडरेशन एवं श्री जी.एस.मंगत, प्रबन्ध निदेशक पंजाब एस.सी.ए.डी बैंक द्वारा भाग लिया गया।



एशिया पैसिफिक रीजनल एग्रीकल्वरल क्रेडिट एसोसिएशन (एप्राका)

फेडरेशन एप्राका का संस्थापक सदस्य है। फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक श्री के.के. रविन्द्रन 1996 से इसकी साधारण सभा के सदस्य हैं। वर्ष के दौरान फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने निम्नांकित कार्यक्रमों / बैठकों में भाग लिया:—

- 1. बैंकाक, थाइलैण्ड में 15—16 मई के दौरान आयोजित ''निर्धन समर्थक ग्रामीण वित्तीय सेवाओं के चिरस्थाई प्रतिमानों की विश्व की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के प्रलेखीकरण पर आई.एफ.ए.डी (आईफेड) अनुदान योजना शुभारम्भ कार्यशाला में फेडरेशन के सहायक निदेशक श्री अंकित जोशी ने भाग लिया।
- 2. दिनांक 18—21 मई 2014 की अवधि में ढाका, बांग्लादेश में आयोजित एप्राका के सीईओ सवंर्ग की नीतियों पर वार्षिक सामान्य निकाय तथा ई.सी. बैठक में फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक श्री के.के.रविन्द्रन ने भाग लिया।
- 3. 30 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2014 के दौरान कोलम्बो श्रीलंका में आयोजित 65वीं कार्यकारी समिति बैठक तथा एप्राका के जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के अनुरूपण एवं शमन पर क्षेत्रीय वाक्पीठ में फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक श्री के.के. रविन्द्रन ने भाग लिया।

इण्टरनेशनल रेफिसन यूनियन (आईआरय्)

फेडरेशन आई.आर.यू का सदस्य है। श्री सुखदर्शन सिंह म्रार, अध्यक्ष-फेडरेशन आई.आर.यू की सामान्य सभा में फेडरेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

• 20—21 अक्टूबर 2014 के दौरान इस्ताम्बूल टर्की में आयोजित इण्टरनेशनल रैफिसन यूनियन की महासभा में श्री के.के. रविन्द्रन प्रबन्ध निदेशक एनसीएआरडी बैंक्स फेडरेशन ने भाग लिया।

ब्रिक्स (बी.आर.आई.सी.एस.) सहकारिताओं का फोरम

14—17 मई 2014 के दौरान क्यूरिटिबा (ब्राजील) में आयोजित चतुर्थ (IV) ब्रिक्स सहकारिताओं के सम्मेलन में फेडरेशन ने भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया।

VIII. फेडरेशन का प्रबन्धन

सामान्य निकाय

फेडरेशन की सामान्य सभा फेडरेशन के सदस्यों, जो अपने बैंक के प्रबन्ध संचालन समिति के द्वारा नामित प्रतिनिधि होते हैं, से बनी है।

फेडरेशन के सदस्यों की सूची निम्नवत् है:-



- आन्ध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, हैदराबाद।
- 2. असम राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, गुवाहटी।
- 3. बहुराज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित, बिहार –झारखण्ड, पटना।
- छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायपुर।
 (7 अक्टूबर 2014 तक सदस्य रहे तदुपरांत आदेशांक क्रमांक क्रेडिट-4/2014/4881 दिनांक 7.10.2014 द्वारा शीर्षस्थ बैंक के साथ विलय किया गया)।
- गुजरात राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, अहमदाबाद।
- 6. हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, पंचकुला।
- 7. हिमांचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, शिमला।
- 8. जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, श्रीनगर।
- कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, बैंगलोर।
- 10. केरल राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, थिरुअनन्तपुरम।
- 11. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, भोपाल।
- 12. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बैंक मर्यादित, मुम्बई।
- 13. उड़ीसा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, भुवनेश्वर।
- 14. पॉण्डिचेरी राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, पाण्डिचेरी।
- 15. पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक मर्यादित, चण्डीगढ़।
- 16. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित, जयपुर।
- 17. तमिलनाडु राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, चेन्नई।
- 18. त्रिपुरा स्टेट राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, अगरतला।
- 19. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक मर्यादित, लखनऊ।
- 20. पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, कोलकता।



- 21. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, नई दिल्ली।
- 22. गोवा राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, पणजी।
- 23. मेघालय राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, शिलांग।

प्रबन्धन मण्डल

उपविधि क्रमांक 20 (iii) फेडरेशन का प्रबन्धन मण्डल, सामान्य सदस्यों द्वारा चुने गये 20 निदेशक, केन्द्र सरकार द्वारा नामित एक निदेशक, फेडरेशन की प्रबन्ध समिति के सहयोजन से चयनित 2 निदेशक से बना है जिस में प्रबन्ध निदेशक फेडरेशन के पदेन सदस्य हैं।

दिनांक 31.03.2015 को प्रबन्धन मण्डल निम्नांकित सदस्यों से संरचित है:-

क्रम संख्या	बोर्ड के सदस्य का नाम	प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य बैंक
1.	श्री सुखदर्शन सिंह म्रार	पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास
	अध्यक्ष	बैंक मर्यादित।
2.	श्री के.शिवदासन नायर, एम.एल.ए	केरल राज्य सहकारी कृषि और
	उपाध्यक्ष	ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित।
3.	श्री बिजय कुमार सिंह	बहुराज्यीय सहकारी भूमि विकास
	उपाध्यक्ष	विकास बैंक मर्यादित(बिहार–झारखण्ड)
4.	श्री दलीप सिंह यादव	हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और
	उपाध्यक्ष	ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित।
5.	(रिक्त)	राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास
	श्री अशोक कुमार फौजदार	बैंक मर्यादित।
	दिसम्बर २०१४ तक उपाध्यक्ष	
	श्री विजय प्रकाश जोशी प्रशासक	
	1.555	
	(बैंक के पत्रांक एमडी सेक/2014-15/32368 दिनांक 16.03.2015	
	के क्रम में)	
5.	श्री अजीत केसरी	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और
		ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित।



क्रम संख्या	बोर्ड के सदस्य का नाम	प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य बैंक
7.	श्री के.वीरा रेड्डी	आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित।
8.	श्री सी. पन्ना, प्रबन्ध निदेशक (अक्टूबर 2014 तक) अक्टूबर 2014 में बैंक, राज्य सहकारी बैंक में विलय किया गया।	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित।
9.	श्री आर.एस.दहिया	दिल्ली राज्य सहकारी बैंक मर्यादित।
10.	श्री बी.एच.जडेजा	गुजरात राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित।
11.	श्री उल्हास बी. फल देस्साई	गोवा राज्य सहकारी बैंक मर्यादित।
12.	श्री के.सदाक्षरी, एम.एल.ए.	कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित।
13.	श्री डब्लू.के.किंडिया	मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक मर्यादित।
14.	श्री बी. शाहुल अमीद	तमिलनाडु सहकारी राज्यकृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित।
15.	श्री शिव लाल	हिमांचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित।
16.	श्री ज्योतिलाल दत्ता	त्रिपुरा सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित।
17.	श्री आलोक दीक्षित प्रबन्ध निदेशक (अक्टूबर 2014 से)	उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक मर्यादित।
	श्री राम जतन यादव (प्रबन्ध निदेशक अक्टूबर 2014 तक)	
18.	श्री के.के.रविन्द्रन	पदेन

टिप्पणी— सामान्य निकाय द्वारा चुने जाने वाले 20 निदेशकों में से दिनांक 31.03.2015 को केवल 17 निर्वाचित निदेशक ही हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति चुनाव / गैर प्रतिनिधि सदस्य बैंकों के प्रतिनिधियों, जिनका कोई बकाया शेष नहीं है, के प्रत्यायोजन द्वारा शीघ्र ही कर लिया जायेगा।



कार्यकारणी समिति

फेडरेशन के अपनियम 26 (ए), के अनुसार कार्यकारणी समिति में अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, तथा 5 बोर्ड के निर्वाचित सदस्य होंगे। तदनुसार दिनांक 21.09.2013 को नये प्रबन्धन मण्डल के निर्वाचन के बाद निम्नांकित सदस्यों सहित कार्यकारणी समिति का भी गठन कर लिया गया था।

- (1). श्री सुखदर्शन सिंह म्रार, अध्यक्ष (पंजाब राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.)
- (2). श्री के. शिवदासन नायर, उपाध्यक्ष (केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.)
- (3). श्री बिजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष (बहुराज्यीय भूमि विकास बैंक लि.,झारखण्ड–बिहार)
- (4). श्री दिलीप सिंह यादव, उपाध्यक्ष (हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.)
- (5). श्री अशोक कुमार फौजदार, उपाध्यक्ष (राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि.) (दिसम्बर 2014 तक दिसम्बर 2014 से रिक्त)
- (6). श्री के.वीरा रेड्डी (आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लि.)
- (7). श्री के.सदाक्षरी, एमएलए (कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.)
- (8). श्री बी. शाहुल अमीद (तमिलनाडु राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.)
- (9). श्री डब्लू. के.किन्डिया (मेघालय कोआपरेटिव एपेक्स बैंक लि.)
- (10). श्री के.के.रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक, एन.सी.ए.आर.डी.बी.एफ.



प्रशासनिक समिति

फेडरेशन के अपनियम 27(ए), के अनुसार, प्रशासनिक समिति में अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक होंगे। फेडरेशन की प्रशासनिक समिति में निम्नांकित सदस्य हैं।:—

- 1. श्री सुखदर्शन सिंह म्रार, अध्यक्ष
- श्री के. शिवदासन नायर, उपाध्यक्ष
- 3. श्री बिजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष
- श्री अशोक कुमार फौजदार, उपाध्यक्ष (दिसम्बर 2014 तक)
- श्री दलीप सिंह यादव, उपाध्यक्ष
- 6. श्री के.के.रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान सामान्य सभा, संचालक मण्डल तथा कार्यकारिणी समिति की बैठक

सामान्य निकाय की बैठक, प्रबन्ध एवं कार्यकारिणी समिति की सम्पन्न बैठकों का विवरण तिथि एंव स्थान सहित नीचे सूचीबद्ध है:—

बैठकें	स्थान	दिनांक
(अ) (५४वीं) वार्षिक सामान्य निकाय	मुम्बई	08 अगस्त 2014
(ब) प्रबन्ध समिति		
143वां बोर्ड	मुम्बई	08 अगस्त 2014
144वां बोर्ड	नवीमुम्बई	10 जनवरी 2015
(स) कार्यकारिणी समिति	गोवा	31 अक्टूबर 2014

बोर्ड की बैठकों में विचार विमर्श किये गये महत्वपवूर्ण मुद्दे

सदस्य बैंको के क्रिया कलापों की समीक्षा के अतिरिक्त ग्रामीण साख से सम्बन्धित नीतियों एवं कार्यों के विचार विमर्श का मुख्य मंच बोर्ड की बैठकें सदैव ही बनी रहीं।

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान बोर्ड ने सदस्य बैंकों के व्यवसाय संचालन से सम्बन्धित औपचारिक विषयों पर चर्चा तथा ऋण पत्र निर्गमन, ऋण वितरण, वसूली आदि क्रियाकलापों की आवधिक समीक्षा के अतिरिक्त निम्नांकित विषयों पर भी विचार विनिमय एवं चर्चा की :-



- 1. दिनांक 5 जून 2015 को मुम्बई में नाबार्ड द्वारा आयोजित एससीएआरडी बैंकों के मुख्यकार्यकारी अधिकारियों की बैठक में लिये गये निर्णय।
- पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालयों को वाद निस्तारण हेतु दिये गये निर्देश।
- 3. केन्द्रीय बजट 2014—15 में कृषि एवं ग्रामीण साख से सम्बन्धित प्रस्ताव।
- 4. फेडरेशन के सदस्य बैंको पर लागू टीडीएस में छूट पर स्पष्टीकरण।
- 5. केन्द्र सरकार द्वारा एससीएआरडी बैंकों के ऋणपत्रों में निवेश हेतु आवंटन निर्धारण।
- 6. एलटीसीसीएस में सुधारों पर राज्य स्तरीय संगोष्टियों कराने का प्रस्ताव।
- 7. 2014—15 के दौरान फेडरेशन की गतिविधियों के कार्यक्रम।
- 8. आई.सी.ए.आई. द्वारा संयुक्त संगोश्ठी आयोजन के प्रस्ताव।
- 9. सांसदीय फोरम की बैठक बुलाने के लिये प्रस्ताव।
- 10. दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना का पुनरुद्धार।
- 11. एससीएआरडी बैंकों का अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक प्रमुख परिचालन क्षेत्रों में योगदान।
- 12. 20 नवम्बर 2014 को थिरुअनन्तपुरम में सम्पन्न प्रमुख सचिवों एवं निबन्धक सहकारी समितियों का द्वितीय सम्मेलन।
- 13. निजी क्षेत्र के लघु वित्त बैंकों के वित्तपोषण हेतु दिशा निर्देश।
- 14. अल्पकालीन सहकारी साख संरचना में छत्तीसगढ़ दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना का विलय किया जाना।
- 15. भारत में सहकारिता के विकास की राष्ट्रीय सलाहकार समिति की संस्तुतियां।
- 16. भूमि विकास बैंकों के ऋण पत्रों में निवेश योजना के अन्तर्गत राज्य भूमि विकास बैंकों / एससीएआरडी बैंकों के ऋण पत्र कार्यक्रम।
- 17. वाहनों तथा वाहन-परिचालन लाइसेन्स के पंजीकरण प्रमाणपत्रों की राष्ट्रीय पंजिका के अभिलेखों तक पहुँच उपलब्ध कराना।
- 18. बहुराज्यीय सहकारी समिति संशोधन बिल 2014 का प्रस्तावित आलेख।



- 19. सहकारी ऋणों की वसूली के सम्बन्ध में कृषि उत्पादन पर कार्यकारी दल की संस्तुतियां।
- 20. सम्पूर्ण भारत की शाखाओं पर पैन प्रार्थनापत्रों के स्वैच्छिक संग्रहण द्वारा वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिये यू.टी.आई.—आई.टी.सी.एल. से बैंक की संधि का प्रस्ताव।
- 21. एससीएआरडी बैंकों का अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2014 के दौरान प्रमुख परिचालन क्षेत्रों में योगदान।
- 22. राष्ट्रीय पशुधन मिशन।
- 23. कृषि विपणन आधारभूत सुविधायें (ए.एम.आई.)—कृषि विपणन आधारभूत सुविधाये आई.एस.ए.एम. की उप योजना के अन्तर्गत नई योजनाओं के लिये अनुदान स्वीति पर रोक।
- 24. ग्रामीण गोदान एवं ए.एम.आई.जी.एस. योजना के अन्तर्गत नाबार्ड के पास अंतिम अनुदान दावा प्रस्तुत करने की समय सीमा।



IX. वित्त एवं लेखा

वर्ष 2014—15 के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरण पत्रोंके अनुसार परिसम्पत्तियां एवं देयतायें तथा आय एवं व्यय खातों का सारांश निम्नवत् हैं:

परिसम्पत्तियां एवं देयतायें

(धनराशि ₹ लाख में)

क्रम संख्या	देयतायें	जैसा	ा कि	क्रम संख्या	परिसम्पत्तियां	जैसा	ा कि
		31-3-15	31-3-14			31-3-15	31-3-14
1.	आरक्षित निधि तथा अन्य निधियां	1868.25	1733.46	1.	रोकड़ शेष तथा बैंक शेष	15.83	18.06
2.	प्रतिभूत ऋण	30.40	0.00	2.	निवेश	1573.97	1446.38
3.	अन्य देयतायें एवं प्रावधान	30.83	50.62	3.	स्थिर परिसम्पत्ति	260.38	256.53
4.	आय एवं व्यय खाते से हस्तांतरित अधिशेष	9.41	9.27	4.	विविध देनदार एवं प्राप्य राशियां	77.69	55.90
				5.	ऋण एवं अग्रिम	6.08	11.30
				6.	विविध जमा एवं पूर्व दत्त व्यय	4.94	5.18
	योग	1938.89	1793.35		योग	1938.89	1793.35

आय एवं व्यय

(धनराशि लाख ₹ में)

क्रम संख्या	विवरण	धनत	राशि
	आय	2014-15	2013-14
1.	वार्षिक सदस्यता शुल्क तथा सदस्य बैंको द्वारा अतिरिक्त अभिदान/सहयोग	86.75	74.12
2.	ब्याज आय	80.43	71.78
3.	प्राप्त अनुदान	8.00	0.00
4.	विविध आय/लाभांश/अतिथिगृह सेवा प्रभार	0.35	0.52
5.	बी.डी.आर से वसूली / पूर्व अवधि आय / पुनरांकित प्रावधान / खारिज किये गये व	य 27.35	10.50
	योग (1 से 5)	202.88	156.92
	व्यय		
1.	प्रबन्धन लागत	83.67	79.31
2.	अन्य कार्यालय व्यय	21.47	22.72
3.	बैठक / संगोष्ठी / सम्मेलन व्यय	12.20	8.45
4.	परिसर रख–रखाव व्यय	9.88	8.31
5.	प्रावधान / सुरक्षित निधियां	66.25	28.86
	योग (1 से 5)	193.47	147.65
	अधिशेष	9.41	9.27



X. 2014-15 के दौरान सदस्य बैंकों की गतिविधियों की समीक्षा

सामान्य सूचना

31.03.2014 को 19 एससीएआरडी बैंक तथा 4 एससीएआरडी बैंकों के सापेक्ष 31.03.2015 को दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना में कुल 17 एससीएआरडी बैंक तथा 4 एससीबी सम्मिलित हैं। छत्तीसगढ़ एससीएआरडी बैंक के छत्तीसगढ़ एससीबी में विलय हो जाने तथा महाराष्ट्र एससीएआरडी बैंक के इस प्रतिवेदित वर्ष में विघटन के कारण एससीएआरडी बैंकों की संख्या 17 हो गई है।

17 एससीएआरडी बैंकों में से 8 में संघीय ढांचा है और वो सम्बद्ध पीसीएआरडी बैंकों से संचालित हैं तथा 7 एकात्मक प्रणाली में हैं जो अपनी शाखाओं के माध्यम से संचालित हैं तथा 2 एससीएआरडी बैंक मिश्रित ढांचे के बैंक हैं जो राज्य के कुछ क्षेत्रों में पीसीएआरडी बैंकों से संचालित तथा राज्य के दूसरे क्षेत्रों में अपनी शाखाओं से संचालित हैं। वर्ष 2014—15 के लिये इस रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने के समय तक उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित पूर्ण रूप से सिक्रय तथा अन्य एससीएआरडी बैंकों, दोनों के सामान्य प्रशासनिक आंकड़े संकलित किये गये हैं। 31.03.2015 की स्थित समीक्षा के लिये मानी गई है। 824 शाखाओं के माध्यम से एकात्मक प्रणाली / मिश्रित संरचना वाले एससीएआरडी बैंक कार्य कर रहे थे। संघीय प्रणाली के 627 पीसीएआरडी बैंकों की 734 शाखाएं थी। 31.03.2015 को 17 एससीएआरडी बैंकों की कुल सदस्य संख्या 119.76 लाख थी जिसमें 67.66 लाख ऋण लाभार्थी थे। 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार 12 एससीएआरडी बैंकों में निर्वाचित प्रबन्ध समितियां थीं और दूसरी ओर 4 एससीएआरडी बैंक की प्रबन्ध समितियां निर्वाचित नहीं थीं। पीसीएआरडी बैंक स्तर पर 31.03.2015 को 515 पीसीएआरडी बैंकों का निर्वाचित प्रबन्ध नण्डल था। उक्त के संक्षिप्त आंकड़े निम्नवत थे:—

क्रम संख्या	विवरण	31.03.2015 को	31.03.2014 को
1)	(संघीय) एससीएआरडी बैंको की संख्या	8	10
2)	(एकात्मक) एससीएआरडी बैंको की संख्या	7	7
3)	मिश्रित प्रणाली वाले एससीएआरडी बैंको की संख्या	2	2
4)	(एकात्मक) एससीएआरडी बैंको की शाखाओं की संख्या	824	816
5)	(संघीय) पीसीएआरडी बैंको की संख्या	627	627
6)	(संघीय) पीसीएआरडी बैंको की शाखाओं की संख्या	734	746
7)	कुल सदस्य संख्या (लाखों में)	119.76	119.89
8)	मद संख्या ७ में से ऋण लाभार्थियों की संख्या (लाखों में)	67.66	68.18
9)	ंनिर्वाचित प्रबन्ध समिति वाले एससीएआरडी बैंकों की संख्या	12	12
10)	निर्वाचित प्रबन्ध समिति वाली पीसीएआरडी बैंकों की संख्या	515	584
11)	एससीएआरडी बैंकों में कार्मिकों की संख्या	5477	5618
12)	पीसीएआरडी बैंकों में कार्मिकों की संख्या	6986	6872



ऋण वितरण

पिछले वर्ष कुल वितरित ऋण रु.4616.44 करोड़ के सापेक्ष 12.74% की वृद्धि दर्शाते हुये वर्ष 2014—15 में 13 एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों (पूर्णतया कार्यशील) द्वारा रु.5204.65 करोड़ के ऋण वितरित किये गये। तिमलनाडु एससीएआरडी बैंक को छोड़ कर शेष सभी एससीएआरडी बैंकों ने पिछले वर्ष से अधिक की वृद्धि अंकित की है जब कि तिमलनाडु एससीएआरडी बैंक के कुल वितरित ऋण गत वर्ष वितरित ऋणों के लगभग बराबर ही रहे। 2014—15 में अंतिम ऋण प्राप्तकर्त्ता स्तर पर बकाया कुल ऋण पिछले वर्ष 2013—14 के रु.16522.75 करोड़ के सापेक्ष रु.17883.00 करोड़ रहा।

उधार राशियां

वर्ष 2014—15 में 13 (पूर्ण कार्यशील) एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों की कुल उधार राशियां रु.2517.16 करोड़ से बढ कर रु.3722.89 करोड़. रही। नाबार्ड रु. 2876.11 करोड़ के पुर्निर्वित्त सहयोग के साथ वर्ष में ऋण प्रदान करने वाला मुख्य स्त्रोत बना रहा जो बैंकों को दिये गये कुल ऋण का 77.26% है। अवशेष एससीएआरडी बैंकों को दिये गये 22.74% के ऋण सरकार, एनसीडीसी, एनएचबी तथा विभिन्न सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान कराये गये। एससीएआरडी बैंक—वार ऋणों में भी गत वर्ष की तुलना में पश्चिम बंगाल को छोड़ कर, वृद्धि अंकित की गई।

13 (पूर्ण कार्यशील) एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों की कुल उधार राशियों का 31.03.2014 को रु.12876.15 करोड़ के बकाये के सापेक्ष दिनांक 31.03.2015 को रु.13639.50 करोड़ का बकाया हुआ। एससीएआरडी बैंक—वार उधार राशियों की स्थिति में, पाण्डिचेरी, राजस्थान, तिमलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल जहां नकारात्मक वृद्धि हुई है, को छोड़ कर वर्ष के दौरान, गतवर्ष की तुलना में वृद्धि पायी गई।

जमा संग्रहण

हरियाणा, राजस्थान तथा त्रिपुरा को छोड़ कर सभी पूर्ण क्रियाशील एससीएआरडी बैंक प्रतिवेदित वर्ष में जमा संग्रहण का कार्य कर रहे हैं। इन बैंकों के जमा में निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित अनेक जमा योजनाओं के अन्तर्गत सदस्यों के जमा सिम्मिलत हैं। कुछ एससीएआरडी बैंक वर्ष 1997 में जारी नाबार्ड के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत एससीएआरडी बैंकों द्वारा जमा संग्रहण के लिये प्रदत्त अनुमित के आधार पर आम जनता के 1 से 3 वर्ष की अविध के साविध जमा संग्रहण का कार्य भी कर रहे हैं।

गत वर्ष 31.03.2014 को रु.1175.27 करोड़ के सापेक्ष दिनांक 31.03.2015 को एससीएआरडी बैंकों का कुल जमा शेष में 30.45% की आकर्षक वृद्धि के साथ रु.1533.14 करोड़ था। इसके अलावा तमिलनाडु के अतिरिक्त इन बैंकों ने गत वर्ष 31.03.2014 की तुलना में 31.03.2015 को जमा संग्रहण के अवशेष में वृद्धि दर्ज कराई।



वित्तीय गतिविधियां

31 मार्च 2015 को (पूर्ण कार्यरत) एससीएआरडी बैंकों के सदर्भ में लाभ / हानि स्थिति यह दर्शाती है कि 9 एससीएआरडी बैंक लाभ में थे जब कि शेष 4 एससीएआरडी बैंक (हरियाना, जम्मू एवं कश्मीर, पाण्डिचेरी तथा त्रिपुरा) हानि में रहे। वर्ष के दौरान हरियाना को छोड़ कर वो सभी एससीएआरडी बैंक जिन्होने नाबार्ड से पुर्निर्वित्त प्राप्त किया, लाभ पर रहे। तमिलनाडु, यद्यपि नाबार्ड से पुर्निर्वित्त प्राप्त नहीं कर रहा है, ने अपने शुद्ध लाभ में बढ़त को लगातार बनाये रखा। इसी तरह लाभ अर्जित करने वाले एसीसीएआरडी बैंकों की संख्या जो गत वर्श 7 थी, बढ़ कर 9 हो गई है। 9 एससीएआरडी बैंकों का कुल लाभ रु.101.92 करोड़ था जब कि 4 एससीएआरडी बैंकों की कुल हानि रु.109.81 करोड़ रही।

गैर निष्पादित अस्तियां

31.03.2015 को पूर्ण कार्यरत 13 एससीएआरडी बैंकों का अवशेष बकाया रु.17883.00 करोड़ था तथा गैर निष्पादित अस्तियां रु.3969.13 करोड़ थी जो 31.03.2014 को कुल ऋण बकाये 23.32% के सापेक्ष 22.19% थीं। 5 एससीएआरडी बैंकों की गैर निष्पादित अस्तियां औसत स्तर से नीचे रहीं। गैर निष्पादित अस्तियों के ऊंचे औसत का कारण मुख्य रूप से 5 राज्य गुजरात, हरियाना, राजस्थान, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश थे जहां यह औसत 39% स्तर से अधिक रहा।

वसूली प्रगति

शीर्षस्थ एवं अंतिम लाभार्थी स्तर की वार्षिक वसूली प्रगित प्रति वर्ष 30 जून को प्रतिवेदित की जाती है। अतैव मांग जमा और अवशेष की नवीनतम उपलब्ध स्थिति 30 जून 2014 तक की है। 2014—15 के दौरान (पूर्ण रूप से कार्यरत)13 एससीएआरडी बैंकों की बुनियादी स्तर की मांग रु.10685.27 करोड़ थी जिसके सापेक्ष रु.5814.70 करोड़ की वसूली हुई जो 30 जून 2013 की मांग के 48.74% के सापेक्ष 54.42% है। अंतिम बकायेदार स्तर पर 6 एससीएआरडी बैंकों अर्थात कर्नाटक, केरल, पाण्डिचेरी, पंजाब, तिमलनाडु तथा उत्तर प्रदेश की वसूली का स्तर 60% से अधिक था जब कि त्रिपुरा एससीएआरडी बैंक 50 से 60% की सीमा में था तथा गुजरात, हिमांचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल एससीएआरडी बैंक 40 से 50% की सीमा में थे। 30.06.2013 को रु.5487.12 करोड़ के सापेक्ष गत वर्ष के बकाये में रु.617.78 करोड़ की कमी लाते हुये 30.06.2014 को बकाये की धनराशि रु.4870.34 करोड़ थी।

शीर्ष स्तर पर 30.06.2013 को 53.18% की वसूली प्रतिशत की तुलना में 30.06.2014 को 59.49% की वसूली प्रतिशत के साथ रु.8539.14 करोड़ की मांग के विरुद्ध कुल वसूली रु.5079.75 करोड़ थी।



XI. प्रत्युपहार

अपनी संरचना को सुदृढ़ बनाने और सदस्य बैंकों के कार्य व्यवसाय में वृद्धि के अपने प्रयासों के अन्तर्गत, फेडरेशन केन्द्र और राज्य सरकारों, नाबार्ड, भारतीय रिर्ज़व बैंक, एन.सी.डी.सी., एन.सी.यू.आई. तथा अन्य अभिकरणों एवं संस्थाओं के साथ निरन्तर सम्बन्ध और सम्पर्क बनाये हुये है। प्रबन्ध समिति इन सभी अभिकरणों और संस्थाओं द्वारा फेडरेशन को दिये गये उनके आलम्बन एवं सहयोग के लिये कृतज्ञता ज्ञापित करती है।

फेडरेशन और साथ ही साथ इसकी सदस्य संस्थायें कृषि मंत्रालय भारत सरकार से वित्तीय एवं नीतिगत सहयोग प्राप्त करते रहे हैं। प्रबन्धन मण्डल मंत्रालय को फेडरेशन एवं दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना को उसके द्वारा निरन्तर दिये जा रहे समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिये आभार प्रदर्शन करता है।

आरम्भ से ही नाबार्ड एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को पुर्नवित्त सहयोग प्रदान करता रहा है।प्रबन्धन मण्डल, नाबार्ड को एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को उसके सतत पुर्नवित्त सहयोग तथा दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिये इनके द्वारा निर्वहन की जा रही महत्वपूर्ण भूमिका के लिये कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

हम, एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को उनके सदस्यों की ऋण सम्बन्धी ज़रूरतों को अपेक्षाकृत अच्छे ढंग से पूरा करने में मदद प्रदान कर वित्तीय सहयोग प्रदान करनेवाली एन.सी.डी.सी., एन.एच.बी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा राज्य सहकारी बैंकों के प्रति अपना आभार ज्ञापित करते हैं।

फेडरेशन की गतिविधियों में एन.सी.यू.आई. अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करता रहा है। फेडरेशन इस उदारता की सराहना करते हुये श्री चन्द्रपाल सिंह यादव, अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी डा. दिनेश के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करता है।

प्रबन्धन मण्डल, माननीय सांसदों विशेष रूप से श्री पी. जे. कुरियन, उपाध्यक्ष राज्य सभा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है जिन्होंने दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना के मुद्दों को आगे बढ़ा कर भारत सरकार के साथ बैठक आयोजन कराने में अहम भूमिका निर्वहन की।

प्रतिवेदित वर्ष में फेडरेशन को अपने सदस्य बैंकों से निरन्तर वित्तीय एवं अन्य दूसरे सहयोग के साथ समर्थन मिलता रहा हैं। हम अपने सदस्य बैंकों के प्रबन्धन, किमयों विशेष रूप से एससीएआरडी बैंकों के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के प्रति आभार की अन्तस भावना प्रकट करते हैं। प्रबन्धन मण्डल माननीय श्री सुखदर्शन सिंह म्रार, अध्यक्ष जिन्होनें श्री के. शिवदासन नायर, एम.एल.ए. उपाध्यक्ष; श्री बिजय कुमार सिंह उपाध्यक्ष; श्री दलीप सिंह यादव उपाध्यक्ष तथा श्री अशोक कुमार फौजदार उपाध्यक्ष के कुशल सहयोग के साथ फेडरेशन तथा दीर्घ कालीन साख



संरचना के चुनौतीपूर्ण समय में इस क्षेत्र को प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान करते हुये अपना बहुमूल्य योगदान दिया, के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

प्रबन्धन मण्डल, श्री के. के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक की सेवाओं की सराहना करता है, जिन्होनें पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ मुख्य कार्यकारी के दायित्वों का निर्वहन किया। प्रबन्धन अपने सभी अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा प्रतिवेदित वर्ष में की गई सेवा एवं सहयोग की सराहना करता है।

प्रबन्धन मण्डल की ओर से,

सुखदर्शन सिंह म्रार अध्यक्ष



(₹ लाखः

तालिका 1 – ऋण वितरण एवं ऋण अवशेष

865.46 31-03-2014 2799.72 1906.11 2579.41 5344.80 78022.49 245649.82 105351.70 전내 111561.96 58247.75 209570.65 28693.68 39251.67 413342.12 225350.78 144349.47 102511.17 1652274.84 # 10 कुल अवशेष 31.03.2015 को (7+8) 2392.59 4047.26 1962.43 271623.63 107019.55 865.46 5344.80 109821.55 209570.65 247084.38 77483.84 1788299.90 58247.75 32595.97 49558.91 145303.97 103611.29 거.귀 181408.97 6 (आरएच एस/एस.टी/ अन्यऋण सहित) 31 मार्च 2015 को अवशेष अकृषि क्षेत्र 1171.58 1951.75 1905.05 1754.64 1897.51 406.57 7861.41 76235.82 13360.01 101542.79 36366.92 36162.24 75543.21 12533.61 전 741763.48 10022.62 3092.99 ∞ 2875.68 1940.63 3590.16 55154.76 33334.83 19235.96 47661.40 79866.18 10.68 160717.46 109141.73 487.54 知.귀 710426.85 458.89 99798.93 Я.Н. 95749.88 거귀 क्ष्रे कृषि (2013-14)103.18 6677.30 2577.42 1147.50 22866.06 1642.40 95974.90 5277.52 77.29 54.85 0.00 132.14 17550.83 50111.70 21766.62 40653.06 461644.40 Я.Н. 95295.91 9 महा योग 33271.17 6677.30 7007.18 1741.90 58958.24 229.06 77.29 54.85 0.00 132.14 17550.83 1744.87 21866.87 95202.90 19211.65 520465.39 97969.51 59033.91 2014-15 (3+4)2 ऋण सहित् एस/एस.टी अकृषि क्षेत्र 2264.80 2402.55 682.40 300.02 13994.96 8641.83 191.79 2896.75 38.85 0.00 2805.95 1744.87 77.29 116.14 (आरएच 61806.92 95202.90 5924.20 308859.94 2014-15 में वितरित 32971.15 4412.50 4604.63 1059.50 0.00 16.00 0.00 16.00 क्षेत्र 14744.88 36162.59 44963.28 13225.04 00: 37.27 16314.90 211605.45 0.00 13109.71 က कृषि रससीएआरडी बैंक का नाम योग (1 से 13 तक) योग (1 से 4 तक) जम्मू एण्ड कश्मीर तरह से कार्यात्मक हिमांचल प्रदेश पश्चिम बंगाल N तमिलनाडु0 उत्तर प्रदेश हरियाणा * पागिडचेरी मध्य प्रदेश राजस्थान बिहार * कर्नाटक असम * गुजरात , उड़ीसा पंजाब त्रिपुरा केरल 쪞 अस संख्या 왕 <u>ਲ</u> 10. έ. 12. 13. <u>ৰ</u> . ς. ς. 4. 5. 9 7. œ. 6 . 4. 2 Э.

नोट 1 – प्र.न. का तात्मर्थ प्रतिवेदित नहीं

2 – * 31.03.2014 की स्थिति को 2014–15 की समीक्षा करने के लिये लिया गया क्योंकि प्रतिवेदन तैयार करते समय तक आंकड़े उपलब्ध नहीं हुये थे।



तालिका 2 - उधार राशियां

		q	र्ष 2014-15	के दौरान एक	जित <u> </u>	महा	योग
क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम	नाबार्ड से	केन्द्रीय सरकार से	राज्य सरकार से	अन्य (एनसीडीसी/ एससीबी/एनएचबी)	2014-15 (3+4+5+6)	(2013-14)
1	2	3	4	5	6	7	8
अ) पूर्	री तरह से कार्यात्मक						
1.	गुजरात *	8900.00	0.00	0.00	0.00	8900.00	8900.00
2.	हरियाणा *	6797.25	377.63	377.63	41650.00	49202.51	49202.51
3.	हिमांचल प्रदेश	4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	4000.00
4.	जम्मू एण्ड कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	कर्नाटक	23635.75	371.67	371.67	0.00	24379.09	11198.17
6.	केरल	115479.07	0.00	0.00	25000.00	140479.07	82800.06
7.	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00	461.82	461.82	389.10
8.	पंजाब	53200.00	0.00	0.00	0.00	53200.00	43000.00
9.	राजस्थान	17100.00	238.33	238.33	0.00	17576.66	19300.00
10.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	15113.00	15113.00	12743.00
11.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	उत्तर प्रदेश	45000.00	0.00	0.00	478.05	45478.05	7183.10
13.	पश्चिम बंगाल	12998.64	0.00	0.00	0.00	12998.64	12999.99
	योग (1 से 13 तक)	287610.71	987.63	987.63	82702.87	372288.84	251715.93
ब)	अन्य						
1.	असम *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	बिहार *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	12954.76	0.00	12954.76	14101.97
4.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग (1 से 4 तक)	0.00	0.00	12954.76	0.00	12954.76	14101.97

नोट — * 31-03-2014 की स्थिति को 2014—15 की समीक्षा करने के लिये लिया गया क्योंकि प्रतिवेदन तैयार करते समय तक आंकड़े उपलब्ध नहीं हुये थे।



तालिका ३ – उद्यार राशियों का अवशेष

			31.03.201	5 को अवशेष	Ŧ	महा	योग
क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम	नाबार्ड से	केन्द्रीय सरकार से	राज्य सरकार से	अन्य (एनसीडीसी/ एससीबी/एनएचबी)	जैसा कि 31.03.2015 को था 2013-14 (3+4+5+6)	जैसा कि 31.03.2014 को था (2012-13)
1	2	3	4	5	6	7	8
अ) ।	पूरी तरह से कार्यात्मक						
1.	गुजरात *	13100.10	105.79	0.00	51.47	13257.36	13257.36
2.	हरियाणा *	157510.42	4373.71	4399.45	27569.00	193852.58	193852.58
3.	हिमांचल प्रदेश	18495.54	610.05	127.42	0.00	19233.01	18220.37
4.	जम्मू एण्ड कश्मीर	0.00	279.28	336.72	0.00	616.00	616.00
5.	कर्नाटक	134953.01	3498.86	5736.55	0.00	144188.42	141533.45
6.	केरल	377471.44	1027.35	1027.35	10170.13	389696.27	317102.16
7.	पाण्डिचेरी	0.00	0.38	0.00	708.60	708.98	757.77
8.	पंजाब	227172.25	478.67	128.28	0.00	227779.20	216314.83
9.	राजस्थान	112813.45	3442.31	3360.07	0.00	119615.83	124573.95
10.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	10130.00	10130.00	14031.57
11.	त्रिपुरा	2252.44	1.61	40.23	128.57	2422.85	2986.98
12.	उत्तर प्रदेश	151791.73	1946.91	1949.24	3116.00	158803.88	159743.24
13.	पश्चिम बंगाल	83378.05	0.00	0.00	267.68	83645.73	84624.27
	योग (1 से 13 तक)	1278938.43	15764.92	17105.31	52141.45	1363950.11	1287614.53
ब) 3	भन्य						
1.	असम *	0.00	57.48	2882.69	12.00	2952.17	2952.17
2.	बिहार *	553.36	0.85	860.66	60.61	1475.48	1475.48
3.	मध्य प्रदेश	48163.36	2211.50	65058.81	4711.60	120145.27	124411.43
4.	उड़ीसा	प्र.न.	प्र.न.	प्र.न.	प्र.न.	प्र.न.	प्र.न.
योग	(1 से 4 तक)	48716.72	2269.83	68802.16	4784.21	124572.92	128839.08

नोट 1 – प्र.न. का तात्पर्य प्रतिवेदित नहीं।

^{2 — * 31.03.2014} की रिथति को 2014—15 की समीक्षा करने के लिये लिया गया क्योंकि प्रतिवेदन तैयार करते समय तक आंकड़े उपलब्ध नहीं हुये थे।



तालिका 4 - जमा संग्रहण कार्यक्रम

क्रम	एससीएआरडी बैंक का नाम	जमा संग्रहण वृ	द्धि की अवधि	अंकित तिथि को	ा जमा अवशेष
संख्या	Ceremoneou 44 40 11 1	2014-15	2013-14	31-03-2015	31-03-2014
1	2	3	4	5	6
अ) पूर्ट	ी तरह से कार्यात्मक				
1.	गुजरात #	18840.90	17705.57	24283.20	22017.30
2.	हिमांचल प्रदेश	802.21	2249.21	6532.16	5729.95
3.	जम्मू एण्ड कश्मीर	832.56	2622.08	6020.73	3586.78
4.	कर्नाटक	7991.94	7306.79	13506.36	12383.12
5.	केरल	60272.69	25632.46	49912.15	16049.61
6.	पाण्डिचेरी	912.75	849.92	1306.61	1138.85
7.	पंजाब	169.59	2394.77	15753.86	15866.38
8.	तमिलनाडु	14961.08	30117.71	13962.87	19882.29
9.	उत्तर प्रदेश	2871.44	3414.37	5705.35	5568.07
10.	पश्चिम बंगाल	1026.24	1850.83	16331.12	15304.88
	योग (1 से 10 तक)	108681.40	94143.71	153314.41	117527.23
ब) अ न	य				
1.	असम *	72.20	72.20	49.07	49.07
2.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	3748.07	4659.25
3.	उड़ीसा	प्र.न.	प्र.न.	प्र.न.	प्र.न.
	योग (1 से 3 तक)	72.20	72.20	3797.14	4708.32

नोट 1 — प्र.न. का तात्पर्य प्रतिवेदित नहीं।

^{2-*} 31.03.2014 की स्थिति को 2014–15 की समीक्षा करने के लिये लिया गया क्योंकि प्रतिवेदन तैयार करते समय तक आंकड़े उपलब्ध नहीं हुये थे।

^{3 – #} मासिक रिपोर्ट मार्च 2015 से



तालिका 5 - लाभ / हानि (शीर्षस्थ बैंक स्तर पर)

			(र लाख मे)
क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम	31.03.2015 को	31.03.2014 का
1	2	3	4
अ) पूरी तर	ह से कार्यात्मक		
1.	गुजरात *	2349.97	2349.97
2.	हरियाणा *	(5904.93)	(5904.93)
3.	हिमांचल प्रदेश	120.35	(545.48)
4.	जम्मू एण्ड कश्मीर	(4993.31)	(4467.80)
5.	कर्नाटक *	12.82	12.82
6.	केरल	2341.18	2110.66
7.	पाण्डिचेरी	(58.44)	(74.55)
8.	पंजाब पंजाब	2610.45	2566.95
9.	राजस्थान	425.44	215.30
10.	तमिलनाडु	290.00	269.00
11.	त्रिपुरा	(24.66)	(16.67)
12.	उत्तर प्रदेश	2000.34	1811.47
13.	पश्चिम बंगाल	41.81	(2420.75)
ब) अन्य			
1.	असम *	(533.82)	(533.82)
2.	बिहार *	(2207.86)	(2207.86)
3.	मध्य प्रदेश	प्र.न.	(19763.56)
4.	उड़ीसा	у .न.	, у. न .

नोट 1 – प्र.न. का तात्पर्य प्रतिवेदित नहीं।

^{2 — * 31.03.2014} की स्थिति को 2014—15 की समीक्षा करने के लिये लिया गया क्योंकि प्रतिवेदन तैयार करते समय तक आंकड़े उपलब्ध नहीं हुये थे।

^{3 –} कोष्ठक में अंकित राशियां हानि इंगित करती है।

तालिका 6 - गैर निष्पादित आस्तियां (एन. पी. ए.)

(र लाख में)

		31 मार्च	2015 को एनपीए की स्थिति	1 स्थिति	31 मार्च	31 मार्च 2014 को एनपीए की स्थिति	ी स्थिति
क्रम संख्या	एससीएआरडी बेंक का नाम	कुल अदत्त ऋण	गैर निष्पादित आस्तियां	कुल ऋण अवशेष में एनपीए का %	कुल अदत्त ऋण	गैर निष्पादित आस्तियां	कुल ऋण अवशेष में एनपीए का %
1	2	8	4	5	9	2	80
अ) फूर्	पूरी तरह से कार्यात्मक						
7.	गुजरात *	58247.75	25317.14	43.46	58247.75	25317.14	43,46
2.	हरियाणा *	209570.65	97962.47	46.74	209570.65	97962.47	46.74
3.	हिमांचल प्रदेश	32595.97	9720.15	29.82	28693.68	10844.20	37.79
4.	जम्मू एण्ड कश्मीर	4047.26	437.20	10.80	2799.72	454.47	16.23
5.	कर्नाटक	149558.91	34955.16	23.37	139251.67	37103.40	26.64
.9	केरल	481408.97	5355.03	1.11	413342.12	13041.86	3.16
7.	पाणिडचेरी	1962.43	108.76	5.54	1906.11	84.46	4.43
8.	पंजाब	247084.38	3407.24	1.38	225350.78	4580.50	2.03
.6	राजस्थान	145303.97	57878.54	39.83	144349.47	38536.83	26.70
10.	तमिलनाडु7	7483.84	14775.00	19.07	78022.49	14940.00	19.15
17.	त्रिपुरा	2392.59	1116.18	46.65	2579.41	1307.74	50.70
12.	उत्तर प्रदेश	271623.63	117920.10	43.41	245649.82	113654.43	46.27
13.	पश्चिम बंगाल	107019.55	27959.59	26.13	102511.17	27557.82	26.88
	योग (1 से 13 तक)	1788299.90	396912.56	22.19	1652274.84	385385.32	23.32
ब) अन्य	교						
1.	असम *	865.46	800.12	92.45	865,46	800.12	92.45
2.	बिहार *	5344.80	5241.01	98.06	5344.80	5241.01	98.06
3.	मध्य प्रदेश	ਸ਼.ਜ.	ਸ਼.ਜ.	<u>и.</u> न.	105351.70	90924.69	86.31
4.	उड़ीसा	<u>и.</u> न.	ਸ਼.ਜ.	у.न.	ਸ਼.ਜ.	у.न.	<u>и.</u> न.
	योग (1 से 4 तक)	6210.26	6041.13	97.28	111561.96	96965.82	86.92

नोट १ – प्र.न. का तात्मर्थ प्रतिवेदित नहीं।

५५ वीं वार्षिक रिपोर्ट २०१४ - १५

^{2 – * 31.03.2014} की स्थिति को 2014–15 की समीक्षा करने के लिये लिया गया क्योंकि प्रतिवेदन तैयार करते समय तक आंकड़े उपलब्ध नहीं हुये थे।

8.82

7.20

129574.48

10047.32

139621.80

4.26

3.47

150360.24

5403.60

155763.84

योग (1 से 4 तक)

2014 पर स्थिति . मांग, संग्रहण, अवशेष की 30 जून Ľ तालिका

लाख में)

K

30 जून 2013 की 26.62 39.80 33.95 51.26 72.62 95.46 63.57 37.90 79.50 62.30 42.47 48.74 9.84 전. 6.41 44.51 12 का प्रतिशत % मांग के सापेक्ष 94.18 60.72 79.55 7.08 66.80 75.17 54.39 90.09 43.51 40.07 36.51 40.28 54.45 18.41 7.34 거 7 अंतिम ऋण प्राप्तकर्ता स्तर पर 6772.18 50180.20 740.25 456.15 121.93 72948.82 32936.10 21285.12 870.27 487057.03 33294.62 5891.77 87859.07 35140.90 95823.71 23214.01 39096.41 거.귀 अवशेष 10 45818.16 5216.95 1974.74 77564.07 41944.31 882.75 102.90 2638.49 7305.93 581.91 581470.35 संग्रहण (वसूली) 24734.60 46716.62 18366.52 61825.07 32143.64 23701.01 거.귀 1452.18 27744.27 1623.00 559.05 67103.28 2096.67 14893.13 57670.70 11989.13 69930.63 57462.93 77716.84 220002.71 1068527.38 35933.11 103129.64 知.귀 58841.91 ω 븊 30 जून 2013 की 33.95 36.40 94.88 95.46 83.65 43.86 53.18 37.61 69.86 42.47 8.96 6.41 3.56 57.21 거 का प्रतिशत % मांग के सापेक्ष 94.18 32.10 50.24 42.14 97.93 54.39 59.49 40.07 84.23 57.59 74.65 28.09 8.41 7.34 2.23 저.귀 9 शीर्षस्थ बैंक स्तर पर 73912.23 6772.18 2407.21 121.93 9918.98 22849.63 740.25 456.15 870.27 32936.10 52014.14 36504.63 345939.39 19032.77 87859.07 33294.62 116609.47 अवशेष 2 507974.88 2638.49 2662.21 1974.74 882.75 102.90 24734.60 581.91 52971.10 14260.20 34934.67 6836.86 37886.04 113688.65 31028.80 56050.92 132143.64 거. (वसूली) संग्रहण 853914.27 1452.18 116095.86 50764.83 559.05 57670.70 108846.90 89900.18 53878.43 1623.00 220002.71 35933.11 13609.04 2096.67 62890.08 75083.69 119271.68 거. 븊 एससीएआरडी बैंक का नाम जम्मू एण्ड कश्मीर # योग (1 से 13 तक) अ) पूरी तरह से कार्यात्मक हिमांचल प्रदेश पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश तमिलनाडु मध्य प्रदेश पागिडचेरी राजस्थान हरियाणा कर्नाटक उड़ीसा त्रिपुरा पंजाब बिहार केरल असम ब) अन्य क्रम संख्या . 12. 13. 10. . 7. დ <u>ი</u> . ω, 2 e. 4. 5 4.

मोट

^{1 —} प्र.न. का तात्पर्य प्रतिवेदित नहीं। 2 — रु वर्ष 2013—14 के संग्रह में ओटीएएस व आईआरएसी के अर्त्तगत ब्याज की छूट सम्मिलित है।

^{3 - * 31.03.2014} की स्थिति।



तालिका 8 . सामान्य प्रशासनिक आंकड़े

		शाखायें (एकात्मक /मिश्रित संरचना)	एकात्मक संरचना)	ਧੀसੀएआरडी बैंक (संघीय/मिश्रित संरच	पीसीएआरडी बैंक (संघीय/मिश्रित संरचना)	पीसीएआ की शाखायें ।	पीसीएआरडी बैंकों की शाखायें (संघीय ढांचा)	कुल सदस्यता (ऋणी + अऋणी)	ऋणी + अऋणी)
क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014
~	2	8	4	5	9	7	8	6	10
अ) पूरी	अ) पूरी तरह से कार्यात्मक								
7.	गुजरात *	181	181	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	673488	673488
2.	हरियाणा *	0	0	19	19	92	92	737978	737978
3.	हिमांचल प्रदेश	49	49	~	_	16	16	79905	77804
4.	जम्मू एण्ड कश्मीर	51	45	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	95239	94389
5.	कर्नाटक	25	23	177	177	0	0	1108472	1115943
.9	केरल	14	14	63	63	175	175	1826175	1826175
7.	पागिडचेरी	-	_	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	17379	16951
8.	पंजाब	0	0	88	88	0	0	839393	848248
6	राजस्थान	7	7	36	36	133	133	1236932	1236932
10.	तमिलनाडु0		0	180	180	0	0	1244656	1244656
11.	त्रिपुरा	5	5	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	22372	22796
12.	उत्तर प्रदेश *	323	323	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	2915889	2915889
13.	पश्चिम बंगाल	2	2	24	24	73	84	324555	324555
	योग (1 से 13 तक)	658	650	589	589	473	484	11122433	11135804
ब) अन्य									
1.	असम *	28	28	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	45886	45886
2.	।	131	131	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	701588	701588
3.	मध्य प्रदेश	7	7	38	38	261	262	105582	105582
4.	उड़ीसा	<u> </u>	<u> Я</u> .न.	<u> </u>	ਸ.ਜ.	ਸ਼.ਜ.	ਸ਼.ਜ਼.	ਸੂ.ਜ.	<u>Я</u> .न.
	योग (1 से 4 तक)	166	166	38	38	261	262	853056	853056

नोट :— 1 — प्र.न. का तात्पर्य प्रतिवेदित नहीं। 2 — ला.न. का तात्पर्य लागू नहीं। 3 — * 31.03.2014 की स्थिति को 2014—15 की समीक्षा करने के लिये लिया गया क्योंकि प्रतिवेदन तैयार करते समय तक आंकड़े उपलब्ध नहीं हुये थे।



तालिका 8 . सामान्य प्रशासनिक आंकड़े

		ऋणी सदस्य	सदस्य	निर्वाचित बोर्ड (हां/नहीं	ई (हां/नहीं)	निर्वाचित बोर्ड युक्त पीसीएआरडी बैंक	बोर्ड युक्त एडी बैंक	एससीएआरडी कर्मचारी	एससीएआरडी बँकों में कर्मचारी	पीसीएआरडी बँकों में कर्मचारी	डी बैंकों में गरी
क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014
-	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<u>अ</u>	पूरी तरह से कार्यात्मक										
-	गुजरात *	673488	673488	on,	on,	ला.न.	ला.न.	406	406	ला.न.	ला.न.
2.	हरियाणा *	217247	217247	औ¢	औ¢	19	19	93	93	1139	1139
3.	हिमांचल प्रदेश	25340	24320	ऑ [¢]	ऑ [°]	_	_	107	111	69	09
4	जम्मू एण्ड कश्मीर	76231	75381	नहीं	नहीं	ला.न.	ला.न.	248	148	ला.न.	ला.न.
5.	कर्नाटक	660673	673614	जर [°]	ज ं	175	175	297	333	775	861
.9	केरल	797800	797800	औ [®]	औ¢	62	63	261	288	1177	1177
7.	पाणिडचेरी	4209	4262	नहीं	नहीं	ला.न.	ला.न.	30	32	ला.न.	ला.न.
89	पंजाब	133857	174616	औ¢	w.	71	92	289	295	850	599
6	राजस्थान	717967	717967	औ¢	औ¢	9	36	104	112	483	526
10.	तमिलनाडु1	27450	127450	ऑ [°]	ऑ [°]	180	180	129	133	516	523
17.	त्रिपुरा	3663	4087	ज्ज [©]	ज ं	ला.न.	ला.न.	35	37	ला.न.	ला.न.
12.	उत्तर प्रदेश *	2740936	2740936	औ [°]	ऑ¢	ला.न.	ला.न.	2434	2560	ला.न.	ला.न.
13.	पश्चिम बंगाल	262190	262190	नहीं	नहीं	<u> </u>	Я.न.	112	109	564	564
	योग (1 से 13 तक)	6441051	6493358	•	•	514	550	4545	4657	5563	5449
ब) अन्य	ন										
-	असम *	4130	4130	æ,	æ,	ला.न.	ला.न.	217	217	ला.न.	ला.न.
2.	ৰিहাर *	215007	215007	यः	ध्यू	ला.न.	ला.न.	495	495	ला.न.	ला.न.
3.	मध्य प्रदेश	105582	105582	नहीं	नहीं	_	34	220	249	1423	1423
4.	उड़ीसा	ਸੂ.ਜ.	ਸ਼.ਜ.	ਸੂ.ਜ.	ਸ਼.ਜ.	<u>и.</u> न.	ਸ.ਜ.	저.ન.	ਸ.ਜ.	<u> </u>	ਸ.ਜ.
	योग (1 से 4 तक)	324719	324719	•	•	-	34	932	961	1423	1423

नोट :— 1 — प्र.न. का तात्पर्य प्रतिवेदित नहीं। 2 — ला.न. का तात्पर्य लागू नहीं। 3 — * 31.03.2014 की स्थिति को 2014—15 की समीक्षा करने के लिये लिया गया क्योंकि प्रतिवेदन तैयार करते समय तक आंकड़े उपलब्ध नहीं हुये थे।



Notes

LIST OF MEMBERS

- Andhra Pradesh State Co-operative Bank Ltd., Hyderabad.
- 2. Assam State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Guwahati.
- 3. Multi State Co-operative Land Development Bank Ltd. (Bihar-Jharkhand), Patna.
- 4. Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Ahmedabad.
- 5. Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Panchkula.
- Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Shimla.
- Jammu & Kashmir State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Srinagar.
- 8. Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Bangalore.
- 9. Kerala State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Thiruvananthapuram.
- 10. Madhya Pradesh Rajya Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Ltd., Bhopal.
- 11. Maharashtra State Co-operative Agriculture Rural Multipurpose Development Bank Ltd., Mumbai.
- 12. Orissa State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Bhubaneshwar.
- 13. Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd., Pondicherry.
- 14. Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd., Chandigarh.
- 15. Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd., Jaipur.
- 16. Tamil Nadu Co-operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Chennai.
- 17. Tripura Co-operative Agriculture & Rural Development BankLtd., Agartala.
- 18. Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd., Lucknow.
- 19. West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Kolkata.
- 20. Delhi State Cooperative Bank Ltd., New Delhi.
- 21. Goa State Co-operative Bank Ltd., Panaji.
- 22. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd., Shillong.

सदस्यों की सूची

- आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित , हैदराबाद ।
- असम राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, गुवाहटी।
- बहुराज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित, (बिहार–झारखण्ड), पटना।
- गुजरात राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, अहमदाबाद।
- हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित,
 पंचकुला।
- हिमांचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, शिमला।
- जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, श्रीनगर।
- कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित,
 बैंगलीर।
- केरल राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित,
 थिरुअनन्तप्रम।
- मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, भोपाल।
- 11. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बैंक मर्यादित , मुम्बई।
- उड़ीसा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, भ्बनेश्वर।
- 13. पान्डिचेरी सहकारी केन्द्रीय भूमि विकास बैंक, पाण्डिचेरी।
- 14. पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक मर्यादित, चण्डीगढ़।
- 15. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित, जयप्र।
- तमिलनाडु राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, चेन्नई।
- त्रिपुरा सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, अगरतला।
- 18. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक मर्यादित . लखनऊ।
- पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, कोलकाता।
- 20. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक मर्यादित , नई दिल्ली ।
- 21. गोवा राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, पणजी।
- 22. मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक मर्यादित , शिलांग ।



NATIONAL COOPERATIVE AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD. राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक महासंघ मर्यादित

७०१, ७वी मंज़िल, ए - विंग, बीएसईएल टेक पार्क, रेल्वे स्टेशन के सामने, वाशी, नवी मुंबई - ४०० ७०३

टेलीफोन (कार्यालय): ०२२-२७८१ ४२२४ / ४२६ / २२६

(एम.डी) : २७८१ ४११४ फैक्स : ९१-२२-२७८१ ४२२५

ई-मेल: nafcard.org@gmail.com

वेबसाईट: www.nafcard.org

701, 7th Floor, BSELTech Park, A Wing,

Opp. Railway Station, Vashi, Navi Mumbai-400703

Telephone (Office): 022-27814114 / 426 / 226

(M.D.): 022 - 27814224 Fax: 91-22-27814225

E-mail: nafcard.org@gmail.com Website: www.nafcard.org